राजस्थान विधान सभा

३६ वीं बैठक, मंगलवार, दिनांक—८ जून, सन् १६५४ ई.

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में ८ बजकर १० मिनट (मध्यान्ह पूर्व) पर प्रारम्भ हुई ।

(प्रातःकालीन बैठक)

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री रामलाल बंसीवाल ।

प्रश्न संख्या १०६८

सन् १६५३-५४ में बांसवाड़ा गवर्नमेंट इन्टर कॉलेज में विज्ञान कक्षा खोलना

श्री रामलाल बंसीवाल—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गवर्नमेंट इन्टर कॉलेज बांसवाड़ा में साइन्स क्लास खोलने के लिए १६५३-५४ में कितनी ग्रान्ट रखी गई ?

(ख) साइन्स की सामग्री किस फर्म से खरीदी गई ? क्या वह व्यक्ति उन वस्तुओं में डील करता है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि जिस फर्म से यह सामग्री खरीदी गई उसके बड़े भाई गवर्नमेंट इन्टर कॉलेज, बांसवाड़ा में अध्यापक हैं और दूसरे फर्मों के बेटर टर्म होते हुए भी इस फर्म को ऑर्डर मिला है ?

(घ) अगर ऐसा है, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—इसका उत्तर नहीं आया है । दूसरी टर्न पर उत्तर देने की कोशिश की जायगी ।

श्री अध्यक्ष—कौन-कौन से प्रश्न हैं ?

Page No.2

श्री भोलानाथ—नं० १०६८ एण्ड नं० १०७१।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री हरिकृष्ण व्यास।

प्रश्न संख्या १०६६

जयपुर के श्रम विभाग में पेट्रोल व्यय का अनुमान

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Labour be pleased to answer:

(a) What is the average monthly consumption of petrol in the Labour Department at Jaipur?

(b) What are the purposes for which the Labour Department vehicle is entitled to be used?

(c) Will the Government state why the consumption of petrol is so high as compared to the legitimate functions and purposes for which the vehicle could be used?

श्री रामकरण जोशी (श्रम मन्त्री)—(अ) औसत खर्चा ६५ गैलन प्रतिमास।

(ब) सरकारी काम में आती है।

(स) काम और कादलेज जो गाड़ी देती है उसे ध्यान में रखते हुए अधिक प्रतीत नहीं होता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वेहिकल एवरेज कितने माइल रन करती है?

श्री रामकरण जोशी—१२-१३ माइल।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो इस प्रकार से एक दिन में कितने माइल का दौरा करती है?

श्री रामकरण जोशी—औसत निकाल लीजिये। २५-२६ मील का पड़ता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मन्त्रीजी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन से फन्कशन्स के लिए, कौन-कौन से कार्यों के लिए वेहिकल वाजिब तौर पर काम में लाई जाती है?

श्री रामकरण जोशी—जयपुर में जितनी फैक्ट्रीज़ हैं उनमें कोई ऑफिसर जाय, वीकली होलीडेज़ के इन्स्पेक्शन के लिए, सेक्रेटेरियेट में किसी काम जाना पड़े उसके लिए, एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज में किसी काम जाना पड़े उसके लिए, अर्थात् लेबर डिपार्टमेंट सम्बन्धी कामों के लिए वेहिकल काम में लाई जाती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मन्त्री महोदय के ध्यान में है कि वह वेहिकल लेबर कमिश्नर के लिए ही ज्यादा काम में लायी जाती है?

श्री रामकरण जोशी—लेबर डिपार्टमेंट के हैड लेबर कमिश्नर हैं, इसलिए यह उनके काम में आती होगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मन्त्री महोदय के ध्यान में है कि यह इधर-उधर के कामों के सिलसिले में भी काम में आती है ?

श्री रामकरण जोशी—ऐसी सूचना नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मन्त्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो एवरेज ६५ गैलन ५५ है, वह क्या उचित प्रतीत होता है ?

श्री अध्यक्ष—Order !

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं यह जानना चाहूँगा कि माननीय मन्त्री जी ने फरमाया कि लेबर कमिश्नर और दूसरे ऑफिसर्स अगर किसी काम से जाते हैं तो उनके वह विहिकल काम में आती है, तो क्या उनको अलाउन्सेज़ और तनख्वाहें नहीं मिलती हैं ?

श्री रामकरण जोशी—यह स्टॉफ कार है। यदि वे सरकारी ड्यूटी में जाँय तो उसका उपयोग कर सकते हैं। जयपुर में जाने-आने का अलाउन्स नहीं मिलता है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या उनके टर्मस एण्ड कन्डीशन्स ऑफ सर्विस में यह लिखा है कि सरकारी काम के लिए सवारी दी जायगी ?

श्री रामकरण जोशी—यह स्टाफ कार है, उनके खानगी कामों में काम नहीं आती।

कु०श्री जसवन्तसिंह—इसकी क्या गारन्टी है कि यह खानगी कामों में काम नहीं आती है।

श्री रामकरण जोशी—यह गारन्टी है कि खानगी कामों में काम नहीं आती है। यदि ऐसी कोई सूचना आई तो एक्शन लिया जायगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या माननीय मन्त्रीजी चीफ मिनिस्टर साहब के यहाँ और कोई जगह एट होम या पार्टी हो, तो उस स्टाफकार में बीसियों अफसर भरकर पहुँचें; तो उसको ओफिशियल ड्यूटी समझते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—ओफिशियल एट होम हो तो वहाँ ओफिशियल कैटेगरी में जा सकते हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—ऐसे कौन-कौन से ऑफिसर्स हैं जिनको ये सहूलियतें दी गई हैं ?

Page No.4

श्री रामकरण जोशी—यह आप जी. ए. डी. से सवाल करें। यह तो लेबर डिपार्टमेंट के लिए बता रहा हूँ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—आपके पोर्टफोलियो में जितने डिपार्टमेंटस हैं उनके स्टाफ के लिए ये सहूलियतें हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब के यहाँ एट होम हो तो क्या वे राज्य की सवारी में जा सकते हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या लोक बुक रखी जाती है ?

श्री रामकरण जोशी—अवश्य, लोक बुक रखी जाती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि 'स्टेट पर्पजेज' (state purposes) लिखने के अलावा और कोई स्पेसिफिक एन्ट्री उस लोक बुक में की जाती है या नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—जिस काम में गाड़ी जाती है उसका विवरण दिया जाता है। अगर आप कोई विशेष बात बतावें तो लोक बुक देखी जा सकती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा प्रश्न यह है कि स्टेट पर्पजेज़ की डिटेल्ड एन्ट्री (detailed entry) की जाती है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—बतला दिया है कि डिटेल्ड एन्ट्री की जाती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—लोक बुक चेक करते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चाँदमल मेहता।

श्री रामकरण जोशी—चेक करने का भी तरीका होता है। मिनिस्टर चेक नहीं करते हैं। कोई ऐसी बात हो जो आप बतावें तो उसके ऊपर चेक किया जा सकता है।

प्रश्न संख्या १०७०

राजस्थान में मिनरल सर्वे

श्री चाँदमल मेहता— क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) राजस्थान में मिनरल सर्वे कहां-कहाँ हो चुकी है ?

(ख) उक्त सर्वे का क्या परिणाम निकला ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) राजस्थान में निम्नलिखित स्थानों पर खनिजों की जाँच (मिनरल सर्वे) हो चुकी है :

[श्री जयनारायण व्यास]

१. लेड जिन्क माइन्स, जावर (उदयपुर) ।
२. पलाना कोल फील्ड में एक छोटा चुना हुआ क्षेत्र ।
३. तारानगर (बीकानेर) के पास जिप्सम का एक छोटा क्षेत्र ।
४. उत्तरलायी (जोधपुर) के पास जिप्सम का एक छोटा क्षेत्र ।
५. मकराना संगमरमर की खानें ।
६. जोधपुर के पश्चिम की ओर उन्दरोल में कोयला ।
७. मढ (बीकानेर) के चारों ओर मिटटी व काँच के लिए उपयुक्त रेत ।
८. बूँदी मे काँच की उपयुक्त रेत ।
९. बेन्टोनाइट मिटटी (जोधपुर के पश्चिम में) ।
१०. अभ्रक का क्षेत्र भीलवाड़ा जिले में व कुछ खण्ड उदयपुर जिले में ।
११. बाँसवाड़ा जिले के कुछ खण्ड में मेंगनीज़ ।
१२. नीमला (जयपुर) में लोहे का अयस्क (आइरन ओर)
१३. नीमली (उदयपुर) में लोहे का अयस्क (आइरन ओर)
१४. अलवर जिले में बेराइटीज़ ।
१५. हथौड़ी (भरतपुर) में बेराइटीज़ ।
१६. चित्तौड़ के निकट चूने का पत्थर ।
१७. नाथद्वारा के पास लोहे व सल्फेट के क्षेत्र ।
१८. प्रसाद (उदयपुर) में शीशा (लेड) का क्षेत्र ।
१९. चौकड़ी (तोरावाटी) के पास फेल्पार क्षेत्र ।
२०. अलवर जिले में गुड़ा चन्दानी के पास लेड शीशे के क्षेत्र ।
२१. राजमहल (जयपुर) व सरवाड़ (किशनगढ़) में गार्नेट क्षेत्र ।

(ख) उक्त सर्वे में जिन-जिन स्थानों का सर्वे व प्रोस्पेक्टिंग कराया जा चुका है उनकी खनिज विभाग ने व गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के जिओलाजीकल सर्वे ने अपने-अपने सम्बन्धित स्थानों की सर्वे रिपोर्ट तैयार की है और उनका विस्तृत विवरण विभागीय बुलेटिन में दिया गया है ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या इस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से रिपोर्ट प्रकाशित हुई है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं इसका उत्तर दे चुका हूँ । सरकारी बुलेटिन में इसका जिक्र है ।

Page No.6

श्री खेतसिंह—जैसलमेर में पेट्रोलियम निकलने की संभावना थी, तो उसका सर्वे क्यों नहीं करवाया गया ?

श्री जयनारायण व्यास—जहाँ आवश्यक होता है, वहीं सर्वे कराया जाता है। केवल संभावना के आधार पर सर्वे नहीं कराई जाती है। उसके लिये ठोस संभावनाएँ होनी चाहिए।

श्री खेतसिंह—शिव तहसील के गूंगा गांव में कोल की खान निकली थी, तो उसका एक्सपेरीमेंट क्यों नहीं करवाया गया ?

श्री जयनारायण व्यास—मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य की सूचना ठीक नहीं है।

श्री कंवरलाल जेलिया—शाहबाद तहसील में भी जाँच के लिए सरकार से कहा गया था, तो वहाँ सर्वे क्यों नहीं कराई गई ?

श्री जयनारायण व्यास—कब कहा गया था, यह पता नहीं। अगर प्रश्न अलग से पूछा जाय तो उसकी जांच करके उत्तर दिया जा सकता है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—सोजत के पास शीशे की खान है, क्या उसका सर्वे कराया गया ?

श्री जयनारायण व्यास—कल्पित प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। कोई स्पेसिफिक स्थान हो और उसके लिए यदि प्रश्न पूछा जाय तो उसका उत्तर दिया जा सकता है।

श्री संतोषसिंह—आप इसको कल्पित किस आधार पर कहते हैं ? क्या वहां शीशे की खान नहीं है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह कल्पना है। स्पेसिफिक प्रश्न नहीं किया गया है। इस तरह से जो प्रश्न किये जाते हैं कि फलां चीज का सर्वे हुआ या नहीं; आपको यह एक्स्पेक्ट नहीं करना चाहिए किसी मिनिस्टर से कि चप्पे-चप्पे को ध्यान में रख कर उत्तर दे। आपको स्पेसिफिक जगह बतानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

(प्रश्न संख्या १०६८ का उत्तर देते हुए श्री शिक्षा मन्त्री ने यह कहा था कि प्रश्न संख्या १०७१ का उत्तर भी बाद में दिया जावेगा)

प्रश्न संख्या १०७२
जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर में काम करने वालों के लड़कों की शिक्षा की व्यवस्था

श्री श्रीदास गोयल—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

श्री श्रीदास गोयल]

(क) फैक्ट्री एक्ट के अनुसार जयपुर उद्योग लि० सवाई माधोपुर में वहां काम करने वालों के बालकों की शिक्षा का क्या प्रबन्ध है ?

(ख) कितने अध्यापक हैं ? उनकी क्या योग्यता है ?

(ग) विद्यार्थियों की संख्या कितनी है व किस श्रेणी तक शिक्षा दी जाती है ?

(घ) सरकार भविष्य में शिक्षा सम्बन्धी क्या-क्या सुधार करने जा रही है व कब तक ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—

(क) Factories Act में मजदूरों के बालकों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करने की कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता

श्री श्रीदास गोयल—कितने अध्यापक है उस संख्या में ?

श्री रामकरण जोशी—आपका सवाल फैक्ट्री एक्ट के मातहत किया गया है, विशेष जानकारी नहीं दी । फेक्ट्री एक्ट के अलावा कानून के अनुसार शिक्षा वहां नहीं दी जाती ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—इस फैक्ट्री से सवाई माधोपुर का स्कूल कितना दूर पड़ता है ?

श्री रामकरण जोशी—स्कूल की इमारत बन रही है । अब कितनी दूरी पर है, देखने में नहीं आई ।

श्री श्रीदास गोयल—क्या माननीय मन्त्री यह जरूरी समझते हैं कि जहां फैक्टरी एक्ट के मातहत शिक्षा का प्रबन्ध न हो, वहां शिक्षा की व्यवस्था ठीक हो ?

श्री रामकरण जोशी—बराबर समझते है । इतनी बात निवेदन करने के बाद आपको शंका नहीं रहनी चाहिये । वहां चौथे दर्जे तक स्कूल चल रही है और इस साल से आठवीं तक शुरू हो जायगी और आगे जरूरत पड़ेगी तो हाई स्कूल भी बन सकती है ।

श्री श्रीदास गोयल—क्या इस स्कूल में अध्यापक केवल दो ही हैं ?

श्री रामकरण जोशी—यह तो आपका सवाल देखते हुए, जानकारी नहीं ली गई ।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि वहां १५० विद्यार्थी एयरोड्रोम के टीन शेड में बैठकर पढ़ते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—स्कूल की इमारत बन रही है। मैं जब सवाई माधोपुर गया था तब से वह इमारत बन रही है और इमारत के बनने के बाद यह असुविधा दूर हो जायगी।

जोधपुर डिवीजन में तेल तथा पैट्रोल होने की संभावना के विषय में शासकीय सूचना

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Industries be pleased to answer:

(a) Has the Government received any communication intimating it of the possible existence of oil or petrol somewhere in Jodhpur Division ?

(b) If so, did the Government make any effort to contact the person concerned and find out this mineral source ?

(c) If so, with what results ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)— (a) No technical report has been made so for in this respect to the Government.

(b) The question does not arise in view of the reply to (a) above.

(c) Does not arise.

श्री खेतसिंह—जब डिवीजन का सर्वे ही नहीं हुआ तो रिपोर्ट कहां से आयगी ?

श्री जयनारायण व्यास—सर्वे नहीं हुआ इसलिये रिपोर्ट भी नहीं आई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या किसी सज्जन ने इस प्रकार की सूचना सरकार के पास भेजी है ?

श्री जयनारायण व्यास—कई सज्जन कई प्रकार की सूचनायें भेजा करते हैं, लेकिन जिन सज्जन ने इस प्रकार की सूचना भेजी उन्होंने रुपया मांगने की कोशिश की है, लेकिन रुपया सरकार देने को तैयार नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या ये माननीय सज्जन सरकार के इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा बुलाये गये ?

श्री जयनारायण व्यास—तभी तो रुपया मांगा गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि जब इन सज्जन को बुलाया गया तो इन्टर

Page No.9

क्लास का आने-जाने का फेयर देने का वायदा किया गया ?

श्री जयनारायण व्यास—यह अलग क्वेश्चन है।

श्री खेतसिंह—क्या जो उन सज्जन द्वारा सूचना दी गई उसके अनुसार सरकार ने वहां शोध करवाई है ?

श्री जयनारायण व्यास—उन्होंने कोई सूचना नहीं दी। वे तो चाहते थे कि हमें दस हजार रुपया मिल जाय, लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं जो इस तरह फिजूल खर्चे के तौर पर दे।

श्री खेतसिंह—क्या वे सदस्य कॉम्युनिस्ट पार्टी मेम्बर थे ?

श्री जयनारायण व्यास—झुकाव जरूर है कॉम्युनिज्म की तरफ।

प्रश्न संख्या १०७४

उन श्रेणियों के विद्यार्थी जिन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है

श्री श्रीदास गोयल—क्या शिक्षा मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

(क) राजस्थान में किस-किस श्रेणी के विद्यार्थियों को निःशुल्क दी जा रही है ?

(ख) क्या सरकार ट्रावनकोर कोचीन के अनुसार निःशुल्क शिक्षा देने की सन् ५४,५५ में व्यवस्था कर रही है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) सम्पूर्ण राजस्थान में कक्षा १ से ५ तक।

मत्स्य क्षेत्र के अतिरिक्त समस्त राजस्थान में कक्षा ७ तक।

मत्स्य व जोधपुर डिवीजन को छोड़कर समस्त राजस्थान में कक्षा ८ तक।

पूर्व राजस्थान, पूर्व बीकानेर व जैसलमेर स्टेट के क्षेत्र में कक्षा १० तक।

स्त्रियाँ, परिगणित जन जातियाँ। Tribes परिगणित जातियाँ। और पिछड़ी हुई जातियों को समस्त राजस्थान में और किसी भी कक्षा तक।

(ख) नहीं।

श्री श्री दास गोयल—सरकार, जैसा कि मत्स्य में कक्षा ७ तक है, वहां आगे निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का कब निर्णय करेगी ?

श्री भोलानाथ—सन् ५१ में स्टेटस को मेन्टेन किया गया था।

श्री श्रीदास गोयल—जब सन् ५१ में डिसीजन हो गया था तो फिर उसको कार्यान्वित नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ—सन् ५१ में स्टेटस को मेन्टेन किया गया, कोई डिसीजन नहीं किया गया।

श्री श्रीदास गोयल—क्या इसको दुबारा रिव्यू करने का विचार है ?

श्री भोलानाथ—अभी नहीं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—जब राजस्थान एक प्रान्त बन गया, तो फिर अलग-अलग डिवीजन में अलग-अलग प्रणालियां क्यों चालू है ?

श्री भोलानाथ—यह तो एक खास तौर का सवाल था। जहां फीस नहीं ले रहे थे, वहां फीस लेना जरूरी नहीं समझते।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—आपने अभी जवाब में फरमाया कि कहीं कक्षा पांच तक, कहीं ८ तक और कहीं १० तक फीस नहीं ली जाती है; तो राजस्थान बनने के बाद भी ये भिन्नतायें क्यों हैं, एक रूपता आप क्यों नहीं लाये ?

कुँ०श्री जसवन्तसिंह (दुहराते हुए)—पांच वर्ष हो गये इस प्रश्न पर विचार करते, लेकिन अभी तक समानता लाना आवश्यक नहीं समझा गया ?

श्री भोलानाथ—सरकार ने तय किया कि जैसा कि हर स्टेट में राजस्थान के बनने से पूर्व नियम था वही चालू रहने दिया जाय।

श्री श्रीदास गोयल—सन् ५१ में जब आपने तय किया, तब क्या माननी व श्री जसवन्त सिंहजी भी केबिनेट के मेम्बर थे।

श्री जयनारायण व्यास—इन्हीं के कारण तय नहीं हो सका।

प्रश्न संख्या १०७५

समस्त श्रेणियों के पुलिस अधिकारियों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता सम्बन्धी रकम

श्री बलवीरसिंह—Will the Chief Minister be pleased to answer :—

Page No.11

[श्री बलवीरसिंह]

(a) Has the Sate Government been spending any amount to provide free medical aid to the Police Officers of all ranks ?

(b) If so, what is the amount thus spent during each year since the formation of Rajasthan ?

(c) How much of this amount has been spent to provide free medical aid to the Gazetted Officers and how much has been spent for the subordinate Police officers, also give the number of such officers categorywise and districtvise.

Is it a fact that a very little amount is being spent to provide free medical aid to the subordinate Police officers who are getting a little salary while a large amount is being spent for the Gazetted officers who are well paid by the State Government ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(a) Yes.

(b) Since the formation of Rajasthan the follewing amounts have been spent in providing free medicines to the Police officers of all ranks :—

1949-50	...	Rs	1,770/-
1950-51	...	Rs.	79,797-
1951-52	...	Rs.	18,226/-
1952-53	...	Rs.	20,563/-
1953-54	...	Rs.	40,139/- *

* This is the amount which was released to Districts etc. during 1953-54. Figures of actual expenditure are not complete.

(c) The amount has been spent in providing free medicines to all ranks indiscriminately. No separate account for issue of medicines is maintainod rank-wise, and medicines are issued from the Police dispensaries as prescribed by the Medical Officers.

Besides issue of free medicines from Police dispensaries, if any officer has drawn any amount on account of purchase of medicine under Free Medical

[श्री जयनारायण व्यास]

Aid Rules, the figures for the same are not available and can be collected if due time is given.

श्री खेतसिंह—क्या सरकार यह नहीं सोचती कि यह पुलिस की काबलियत पर कुठाराघात है, जब कि वे अधिकारी ताँगे में फ्री बैठ सकते हैं, बस में फ्री बैठ सकते हैं, तो फिर वे मेडिकल एड क्यों नहीं फ्री पा सकते ?

श्री जयनारायण व्यास—तांगे या बस में फ्री बैठने की कोई इजाजत नहीं। अगर कोई फ्री बिटला लेते हैं, तो या तो बिठलाने वाले उनके दोस्त हैं या बेवकूफ।

प्रश्न सं० १०७६

जोधपुर पुलिस में बड़े बारूद के डिस्पोज़ल को एजेन्ट की नियुक्ति तक बन्द करना

श्री अध्यक्ष—श्री माधोसिंह।

(अनुपस्थित)

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—This is an important question.

श्री अध्यक्ष—If the Minister wants to reply to it, he may reply to it, in the public interest.

प्रश्नः Will the Chief Minister be pleased to answer that :—

Is it a fact that the disposal of the ammunition lying in Police Lines, Jodhpur has been stopped so as to appoint an agent to sell that ?

(b) Will the present selling prices be affected by this bargain ?

(c) What criteria is to be followed while appointing the agent ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आर्म्स डीलर्स नियुक्त करने से पूर्व उनके बारे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एवं स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई सिफारिश को ध्यान में रखा जाता है। नियुक्त होने वाले आर्म्स

Page No.13

[श्री जयनारायण व्यास]

डीलर्स की आर्थिक परिस्थिति, चाल-चलन, व्यवस्था एवं स्थान का औचित्य आदि महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखा जाता है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या माधोसिंह भैसवाड़ा ने भी एजेन्ट होने की दरख्वास्त दी है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह प्रश्न उनसे पूछा जाता तो ठीक था, मेरे पास कोई सूचना नहीं।

प्रश्न सं० १०७७

करटम विभाग के क्लर्कों, नाकेदारों व मुहर्रिरों को अपने जिले से बाहर स्थानान्तर न करने सम्बन्धी सन् १९५१ का परिपत्र

श्री चाँदमल मेहता—क्या पृथक राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सही है कि कस्टम विभाग के क्लर्कों एवं नाकेदारों व मुहर्रिरों को अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर तबादला नहीं करने के सम्बन्ध में सन् ५१ में राज्य द्वारा सर्क्युलर जारी किये जा चुके हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि इसकी तामील अधिकारियों द्वारा नहीं की जा रही है ?

(ग) क्या यह सही है कि राज्य द्वारा ऐसे सर्क्युलर भी जारी किये जा चुके हैं कि उपरोक्त पदाधिकारियों के ३ साल से पहले तबादले नहीं किये जावें ?

(घ) यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि इस सर्क्युलर की तामील नहीं की जा रही है ?

(ङ) जोधपुर डिविजन में सन् ५३-५४ में ऐसे कितने ट्रान्सफर किये गये जो होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर थे ?

(च) ऐसे कितने पदाधिकारी हैं जिनके ट्रान्सफर ६ महीने के भीतर-भीतर किये गये हैं ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—कस्टम विभाग के क्लर्कों एवं नाकेदारों व मोहर्रिरों को अपने होम डिस्ट्रिक्टों के बाहर तबादला नहीं करने के लिए कोई राजाज्ञा जारी नहीं

Page No.14

[श्री रामचन्द्र]

4. Will the Government lay on the Table the names of Civil Judges, Munsiff, Magistrate and Sub-Divisional Magistrates who are promoted as Givil and Additional Sessions Judges with their qualification, experience in Judiciary, length of service and pay ? What were the reasons for their promotion over the District and Sessions Judges ?

5. Will the Government lay on the Table the names of Judicial Officers in whose case the inter-state seniority was disturbed and what was the criteria that led to this disturbance of inter-state seniority ?

6. Will the revision of the list of the Judicial Services groupwise set the inter-state seniority right ?

-श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—1. The question of the revision of the seniority has been taken with a view to correcting mistakes, if any, specially factual mistakes, as Government received a number of representations from Judicial officers.

2. The selection which was made by a Selection Board appointed by the Government and its recommendations endorsed by the Public Service Commission, has not been considered faulty.

3. and 4. These questions do not arise in view of the reply to question No. 2 above.

5. The principles on the basis of which seniority has been fixed have been notified in the State Gazette dated the 20th February, 1954. The inter-seniority or officers belonging to the same covenanting State was not, as a rule, disturbed.

6. 'Inter se' seniority of officers belonging to the same covenanting State will be respected as far as possible.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, it has been said that Questions No. 3 and 4 do not arise. They ask for certain information as to whether the Government is prepared to place on the Table of the House list and whether Government considers it proper to revise the list or otherwise. All this informati.

[श्री रामकरण जोशी]

हुई। अलबत्ता इस प्रकार के क्लर्क एवं सेक्रेटेरियट के कर्मचारियों के लिए सन् ५१ में यह राजाज्ञा अवश्य हुई थी कि उनका अपने होम डिस्ट्रिक्टों से बाहर तबादला न किया जावे।

(ख) यह सही नहीं है।

(ग) यह भी सही नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ३५।

(च) २०।

प्रश्न सं० १०७८

श्री अध्यक्ष—श्री मुन्नि लाल मोदी।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री रामचन्द्र।

प्रश्न सं० १०८६

राजस्थान ज्युडिशियल-सर्विस के ग्रूपवाइज पुनर्विचार के कारण

श्री रामचन्द्र—Will the Chief Minister be pleased to answer :—

1. What are the reasons that have now led the Government to revise the list of Rajasthan Judicial Services groupwise ?

2. If the former selection and the fixation of seniority is faulty, why is not the list being revised as a whole ?

3. Will the Government lay on the Table the list of District and Sessions Judges in the former Bikaner State, their qualification, length of services, pay, the period they have worked as District and Sessions Judges, before the integration and the remarks of the Chief Justices of their High Court about their work. What were the reasons for their demotion from the District and Sessions Judges to Munsiff and Civil Judges ?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

is relevant for the purpose and I do not know why parts 3 and 4 have not been answered.

श्री जयनारायण व्यास—The question does not arise, Sir, because it relates to demotion and I do not think the question of demotion should be taken up in view of the reply I have given to part 2.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I will draw the attention of the Hon' ble Speaker to Part 3 and 4 :"will the Government lay on the Table of the House the list of District and Sessions Judges in the former Bikaner State, their qualifications, length of service, pay, the period they have worked as District and Sessions Judges" etc. etc. Now this is information which the Government may consider or may not consider faulty or worthy of revision or not that is a different question. But, how the information is being prevented, I cannot say.

श्री जयनारायण व्यास—They are not simple questions. They are questions of demotion and promotion. No. 3 is of demotion and No. 4 is of promotion, which means the Hon' ble member wants the Government to commit that there was promotion which they were not.

श्री हरिकृष्ण व्यास Is it not true that the people who were formerly District and Sessions Judges have now been made Munsiffs and Civil Judges?

श्री जयनारायण व्यास—It may be, But because certain formulae have been found out on the basis of which a particular officer of a particular State was considered to be junior to a particular officer and a particular officer was considered to be senior. So all these have been taken on the basis of certain formulae.

श्री हरिकृष्ण व्यास—My question does not relate to the causes. I want a definite answer. Is it not a fact that such persons have now been taken to the category of Munsiffs and Civil Judges ?

श्री जयनारायण व्यास—It may be.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Has the Government no definite information on this subject?

श्री जयनारायण व्यास—Yes, it may be. I said, because definte information would mean a list of such persons.

श्री हरिकृष्ण व्यास—No. 3 relates to persons who were formerly District & Sessions Judges and now they are Munsiffs and Civil Judges and whether they have been demoted or promoted.

श्री जयनारायण व्यास—But the sole question is : if they were simple questions the Government would submit a list. But since the question has been mixed up with demotion and promotion, the Govt. is not in a position to reply. If it was a simle question the Governmet would put before the House all the information. But it cannot put any information if it is mixed up with demotion and promotion.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, I would invoke a definite ruling on the point because the question whether the Government considers it demotion or promotion is a different matter. Whether it is conceivably justifiable is a different matter. Whether it wants to revise the list or not again, is a different matter. The information here relates to persons who were working as District and Sessions Judges and are now Munsiffs and Civil Judges. I would request you to give a definite ruling on the subject.

श्री जयनारायण व्यास—Sir, before you give a ruling, I will draw your attention to the particular portions of the questions. "What are the reasons for their demotion from District & Sessions Judges to Munsiffs and Civil Judges." All these things are more or less combined with demotion which has been not. That is why the question does not arise.

श्री रामचन्द्र—Is it a fact that a few Sessions Judges have been made Munsiffs and Civil Judges in the Bikaner State?

श्री जयनारायण व्यास—I cannot state how many Sessions Judges have been made Munsiffs, but some such cases have happened.

श्री हरिकृष्ण व्यास—What about the ruling that I sought for ?

श्री अध्यक्ष—Any other Supplementary ?

श्री रामचन्द्र—Is it a fact that one junior man has been kept against Munsiff's post.

श्री जयनारायण व्यास—Well, I cannot say definitely unless a particular specific question is put to me.

श्री वेदपाल त्यागी—What was the criteria of fixing the seniority ?

श्री जयनारायण व्यास— I can put the criteria on the Table of the House, if so required.

श्री रामचन्द्र— It is in my question, Sir.

श्री अध्यक्ष—The voice is not distinct.

श्री जयनारायण व्यास—The principles on the basis of which seniority has been fixed are stated below:—

(1) Senior posts both in Group A and Group B were treated as selection posts.

(2) Officers appointed as Puisne Judges of the Rajasthan High Court and subsequently reverted as District Judges were placed at the top of Group A and their seniority inter Se was fixed in the reverse order of their reversion, that is the Judge reverting later was deemed senior to the Judge reverting earlier.

(3) Selection having been made to a group and subject to the provisions of paragraph 2 above, seniority in each group was determined by the total length of superior of Gazetted Service in the Covenanting State to which the Officer belonged.

(4) When the first appointment of an officer in Government service was made on a post higher than the lowest post on which direct appointments in the superior service were generally made, or at a stage higher than the lowest stage of the grade of that post, the period of his total service for the purpose of determining his seniority was computed by adding to his actual length of service a further period assessed in each case on a consideration of the length of his practice at the Bar, or of previous employment, not exceeding in any case the actual credit allowed to him on his first appointment as indicated by the post to which he was appointed and the relative seniority assigned to him.

(5) Previously determined inter seniority of officers belonging to the same covenanting State was not as a rule disturbed.

श्री रामचन्द्र—क्या यह बतलायेंगे कि अगर पहले इन्टीग्रेशन लिस्ट में ज्यादती हुई है, तो अब उस लिस्ट को एज़ ए होल डील नहीं किया जाकर ग्रूपवाइज़ क्यों नहीं डील किया जाता ?

श्री जयनारायण व्यास—हाई कोर्ट और जो इस सम्बन्ध में विशेषज्ञ हैं उनकी राय से ग्रूपवाइज़ करना ही उचित समझा गया है।

श्री रामचन्द्र—क्या यह लिस्ट दो बार रिवाइज़ की गई ?

श्री जयनारायण व्यास—आप कौनसी लिस्ट के बारे में पूछ रहे हैं। आर. ए. एस. के बारे में या आर. जे. एस. के बारे में ? आर. ए. एस. के बारे में अगर कहा जाता है तो वह की गई है और आर. जे. एस. का जहाँ तक सम्बन्ध है उसके बारे में हाईकोर्ट और उसके विशेषज्ञों की राय ही मानी जाती है।

श्री रामचन्द्र—जब आर. ए. एस. की दुबारा रिवाइज़ की जा सकती है तो फिर यह क्यों नहीं ?

एक माननीय सदस्य—यह कितनी बार रिवाइज़ होने के बाद फाइनल समझी जावेगी ?

श्री जयनारायण व्यास—जितनी बार जरूरी समझा जावेगा। पर यह मैं आपको बतला चुका हूँ। जहाँ तक ज्युडिशियरी का ताल्लुक है इसमें हाई कोर्ट की राय को बहुत वजन दिया जावेगा ?

श्री रामचन्द्र—मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या हाई कोर्ट भी गवर्नमेंट के इशारे पर चलता है। पी० एस० सी० की लिस्ट दो बार रिवाइज़ की गई, तो क्या गवर्नमेंट के इशारे पर हाई कोर्ट भी इस लिस्ट को दो दफा ठीक करेगी।

श्री जयनारायण व्यास— हाई कोर्ट इशारे पर नहीं चलता।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—तो क्या पी०एस०सी० इशारे पर चलती है ? नहीं तो इस लिस्ट को पी०एस०सी० को क्यों नहीं तय करने के लिए दिया जाता है ?

श्री जयनारायण व्यास—ऐसे मामलों में हाई कोर्ट का इनीशियेटिव होता है। पर जब कोई डिविजन ऑफ ऑपीनियन हाई कोर्ट और सरकार के बीच होता है तो पी. एस. सी. की राय जरूर ली जाती है।

श्री कानसिंह—अब जो लिस्ट रिवाइज़ की जा रही है तो यह गवर्नमेंट का इनीशियेटिव हुआ या हाई कोर्ट से ?

श्री जयनारायण व्यास—यह अलग प्रश्न है कि कहाँ से इनिशियेट हुआ या कहाँ से नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप (श्री अध्यक्ष) निर्णय दीजिये।

श्री अध्यक्ष—क्या ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—गवर्नमेंट की ओपीनियन का सवाल नहीं है। गवर्नमेंट इसे अपो-

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इन्टमेंट का ही सवाल समझती है; तो यह वह सवाल नहीं है। सवाल तो यह है कि आप उनके नाम बताइये और साथ ही यह भी बताइये कि उनको डिस्ट्रिक्ट और सैशन्स जज से मुन्सिफ और सिविल जज क्योंकर बना दिया गया ? चूंकि माननीय मन्त्री महोदय ने जवाब देने से इन्कार किया है इसलिए मैं इस बारे में आपका निर्णय चाहता हूँ। डिमोशन और प्रोमोशन किन-किन का किया गया और किन कारणों से ऐसा किया गया, इसकी सूचना मिलनी चाहिए। इसमें गवर्नमेन्ट की ओपीनियन का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष—There is no point of question......

श्री रामचन्द्र— Do we take it that parts 3 and 4 have been disallowed?

श्री अध्यक्ष—There is no point of ruling. This is a question of definite reply. The Hon'ble Member says that he does not want to reply to it. In that case the other procedure is open to the Hon'ble Member (Shri H. K. Vyas.)

श्री हरिकृष्ण व्यास—No, but the preliminary clarification is necessary. He has said that he is not prepared to reply. I want to know whether the Hon'ble Speaker considers that as a valid reply. Then and then only I can take recourse to the other procedure open in cases of refusal to give reply.

श्री अध्यक्ष—No. The position is that he cannot be forced. The Treasury benches cannot be forced to give information which they do not want to give in public interest.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But the Member did not claim any such thing, Sir. He said.....

श्री अध्यक्ष—They do not want to commit when the question of demotion and promotion comes and then the details are to be given. The Government is not prepared to give it.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That is a different matter. The point is whether the Hon'ble Speaker considers that still as valid for admission and he is refusing to reply that.

श्री अध्यक्ष—No, so far as the admission of the question is concerned, the office has allowed and it is for the Treasury Benches to reply. But if the questions are tabled and the answers are not suitable or adequate, and they are rather evasive, then there are other procedures open to the Hon'ble Member, He can raise half-an-hour discussion. But if the things are otherwise, the

Page No.21

[श्री जयनारायण व्यास]

Treasury Benches cannot be forced to give reply which they do not want to give.

श्री हरिकृष्ण व्यास—If the answers are evasive, there is of course that procedure open. But if there is a refusal to give the answers...

श्री जयनारायण व्यास—There is no refusal.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want to know whether the Hon'ble Member refuses to reply to part 3 and 4.

श्री जयनारायण व्यास —I never refused. I have replied to parts 3 & 4.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Not definitely.

श्री जयनारायण व्यास—The question wanted to involve the Government into giving information which the Government did not like to give, about the question relating to promotion and demotion.

श्री हरिकृष्ण व्यास—On what grounds can they refuse to give information to the House ?

श्री जयनारायण व्यास—I refuse to give answer to this question, Sir.

श्री कानसिंह—क्या मन्त्री महोदय यह नाम नहीं दे रहे हैं कि फोर्मर बीकानेर स्टेट के कुछ ऑफिसर थे, जजेज़ थे, उनको डिमोट किया गया, तो यहां नाम लेने से कहीं उनका रिप्रेजेन्टेशन नहीं हो जाय ?

श्री जयनारायण व्यास—फॉर्मर बीकानेर स्टेट के अलावा और कोई शब्द साफ नहीं है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह— Sir, the refusal on the part of the Chief Minister is due to public grounds or his incapacity to reply?

श्री जयनारायण व्यास -The Chief Minister is capable to reply to all sensible questions.

श्री अध्यक्ष--श्री हरिकृष्ण व्यास, नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १०८०

गूंगे तथा बहरों की स्कूल में निःशुल्क प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Education be pleased to answer:

1. How many boarders are allowed free of charge in the Deaf and Dumb School, Jaipur?

2. What is the number of boarders at present enjoying the above benefit?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)--(१) आठ।

(२) सात।

प्रश्न संख्या १०८१

कोटा म्यु० बोर्ड या सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कोटा के क्षेत्र में सिनेमा हाउस बनाने का आवेदन पत्र।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोटा म्यु० बोर्ड या सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कोटा के एरिया में से किसी एरिया में किन्हीं महानुभावों ने सिनेमा हाउस बनवाने के लिए आवेदनपत्र गत दो वर्षों के अन्दर २ पेश किये हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन ने ?

(ग) इन आवेदकों में से क्या किसी भी महानुभाव को स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इस जमीन की स्वीकृति दी जा चुकी है ?

(घ) क्या यह जमीन किसी शर्तनामा पर दी गई है ? यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

(ङ) उक्त जमीन किस भाव पर दी गई और कितनी दी गई ?

अन्य आवेदकों के आवेदन पत्रों को किन कारणों से अस्वीकृत किया गया ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) जी हाँ।

(ख) ब्रज टॉकीज़ कोटा, सुन्दर टॉकीज़, कोटा, मिनर्वा टॉकीज़ जोधपुर, मदनराज एण्ड सन्स, श्री एम० के. सिंह, कानपुर, श्री एच०एम० जोहरी, नयापुरा, कोटा।

(ग) जी हां। ब्रज टॉकीज़, कोटा को।

(घ) जी हां। १. लेने वाले को जमीन बराबर स्वयं करवानी पड़ेगी।

१. सफाई का इन्तजाम सिनेमा हाउस की जगह को स्वच्छ रखने के लिए स्वयं करना पड़ेगा।

३. सिनेमा हाउस का मकान पट्टा मिलने की तारीख से सालभर के अन्दर २ बनवाना तथा खेल चालू करना पड़ेगा।

४. सिनेमा हाउस का नक्शा सरकार के संबंधित अधिकारी द्वारा पास कराना होगा।

(ङ) १२ आने प्रति वर्ग फुट। उतनी जमीन जितनी कि सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कोटा ने इस एरिया में सिनेमा के लिये निहित कर रखी है।

(च) केवल तीन आवेदन पत्र ही प्लान के साथ और निश्चित समय के अन्दर जो कि गजट नोटीफिकेशन तारीख ३०.६.५१ में दर्ज किया गया था, आई थी। अतः इन्हीं पर विचार किया जा सका। इनमें से मिनर्वा टॉकीज़ ने कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा। सुन्दर टॉकीज़ की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं समझी गई कि वे उपरोक्त शर्तें पूरी कर सकें। ऐसी स्थिति में ब्रज टॉकीज़ को जमीन दी गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कितनी जमीन दी गई, इसके बारे में क्या निश्चित उत्तर देने की कृपा करेंगे?

श्री रामकरण जोशी—निश्चित तो पूछने से पता होगा, लेकिन उतनी जमीन दी है जितनी कि सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कोटा ने निश्चित की थी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—लास्ट बट वन पार्ट (ङ) का महरबानी करके उत्तर दीजिये कि और कितनी दी गई? What is the area of the land

श्री रामकरण जोशी—वह मैंने निवेदन किया है कि, उतनी जमीन जितनी कि जमीन सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने निश्चित की थी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एकड़, वर्गमील या स्क्वायर मीटर्स में वह कितनी थी?

श्री रामकरण जोशी—ऐसा अगर आप नाप चाहते हैं तो मैं बाद में दे सकता हूँ।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि चार आवेदन-पत्र आये थे उनको कायदे का नोटिस दिया है एक महिने का, वह एक महीने का नोटिस दिया गया है जो कि जमीन को बिक्री के लिए कायदे से एक महीने का नोटिस निकलता है, वह नोटिस इश्यू हुआ है या नहीं?

श्री रामकरण जोशी—हां, सब को सूचना मिल गई थी और सब की तरफ से आदमी आये हैं।

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि कमिश्नर ने एक ही रात में उनको पट्टा दे दिया ?

श्री रामकरण जोशी—यह कमिश्नर से पूछने का सवाल है। बाकी ऑर्डर राजस्थान सरकार का हुआ था; इसलिए उसको पट्टा जरूर मिलना चाहिए। उसके दिये जाने की सरकारी आज्ञा हो चुकी थी उसके बाद पट्टा रात को दे दिया गया या दिन को दे दिया गया, सुबह हो, शाम हो, यह अलग बात है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या कमिश्नर साहब आयेंगे जवाब देने के लिए ?

श्री रामकरण जोशी—कमिश्नर से हम पूछ लेंगे, यह मेरा मतलब था।

श्री जयनारायण व्यास—यह कहा गया था कि हम जवाब दे सकते हैं, कमिश्नर से पूछकर।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हमसे यह कहा गया था कि कमिश्नर ने जब दी है, वह जवाब देंगे।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सरकार यह बतावेगी कि जिन सिनेमा वालों ने दरख्वास्तें दीं तो उन अन्य आवेदनपत्रों को यह मानती है कि उनके पास सम्पत्ति नहीं है ? क्या जिनके पास सिनेमा है उनकी ही संपत्ति मानी जायगी ?

श्री अध्यक्ष—No, no. Next. इसके बारे में काफी प्रश्न पूछ लिये गये हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, यह एक मेटीरियल क्वेश्चन है कि एरिया टेक्नीकेली कितना दिया गया है ? सिनेमा के लिए वह एरिया काफी है या बड़ा है, इसका उत्तर नहीं दिया जा रहा है। तो यह समझ में नहीं आता है कि सिनेमा के लिए कितनी जमीन दी गई है और अलग से कितनी जमीन दी गई है, इसका क्लेरिफिकेशन हो जाय ?

श्री रामकरण जोशी—यह करीब एक या सवा एकड़ की है। रियल फीगर्स वहां से आने के बाद बता सकूंगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि सिनेमा की जगह होटल बनने वाला है ?

श्री रामकरण जोशी—होटल नहीं बनेगा, सिनेमा बनेगा। निश्चित शर्तें मैंने आपके सामने रखी हैं, वैसा ही बनेगा। सिनेमा के साथ रेस्टोरेन्ट बनते हैं इसलिए वह भी बनेगा, होटल नहीं बनेगा।

प्रश्न संख्या १०८२

किशनगढ़ सब डिवीजन के ५४-५५ की बजरी व मोहरम की रॉयल्टी का ठेका

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) किशनगढ़ सब डिविज़न का ५४-५५ के वर्ष का बजरी और मोहरम के रॉयल्टी का ठेका किसको कितने रुपये में दिया गया ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार को मुरड़ीदा की रॉयल्टी भी वसूल करने का अधिकार दे दिया गया है ?

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—किशनगढ़ सब डिवीजन का ५४-५५ के वर्ष का बजरी और मोहरम (मुरम्म) का रॉयल्टी का ठेका श्री छोटेलाल कुमावत मदनगंज को ३५१६० सालाना में दिया गया।

श्री चांदमल मेहता—आवाज नहीं आती है।

श्री जयनारायण व्यास—(उत्तर जारी रखते हुए) 'मोहरम' 'मोड़ीदा' 'मुर्ई' 'मुरई' 'मुरड़ीदा' सब एक ही खनिज के नाम हैं और नम्बर 'क' के ठेकेदार को जिसे इनका ठेका दिया गया है, रॉयल्टी वसूल करने का हक है।

(ग) इसका जवाब नं॰ 'ख' में दे दिया गया है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस प्रकार का हक नहीं होने की वजह से माइन्स विभाग ने छोटू को एक मरतबा नोटिस दिया था कि तुम 'मुरड़ीदा' पर रॉयल्टी वसूल नहीं कर सकते ?

श्री जयनारायण व्यास— नोटिस दिया था तो गलत हो सकता है। यह सब चीजें एक ही समझी गईं।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि ठेके में 'मुरड़ीदा' दर्ज नहीं है।

श्री जयनारायण व्यास—दर्ज नहीं होने पर भी 'मुरड़ीदा इसी धातु के अन्दर शामिल है

श्री चांदमल मेहता—क्या मन्त्री महोदय जानते हैं कि 'मुरड़ीदा' और 'मोहरम' अलग अलग खानों से निकलता हैं।

श्री जयनारायण व्यास—हालांकि अलग-अलग खानों से निकलता है लेकिन जहां तक खनिज का ताल्लुक है वह एक ही केटेगरी में लिया गया है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या मन्त्री महोदय को यह भी मालूम है कि 'मुरड़ीदा' और 'मोहरम' एक ही तरह की चीज है, तो 'महोरम' पत्थर का ठेका दूसरे आदमी को दिया गया है जो कि वास्तव में उस ठेके का हकदार नहीं है ?

श्री जयनारायण व्यास—'मुरड़ीदा' और 'मोहरम' का ठेका एक ही को दिया गया है, ऐसी कोई मिसाल देगें कि दो व्यक्तियों को देने का ठेका दिया गया है तो उस पर जांच की जायगी ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या आप यह बतलाने की कृपा करेंगे कि माइन्स विभाग ने छोटू को मुरड़ीदा पर रॉयलटी वसूल नहीं करने का क्यों आदेश दिया ?

श्री जयनारायण व्यास—यह अलग प्रश्न है, आदेश दिया या नहीं दिया । सूचना प्राप्त करके इसका उत्तर दिया जा सकता है ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि माइन्स का मतलब जहाँ था, वहाँ इजाजत दी गई और जहां नहीं था वहां नहीं दी गई ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं नहीं जानता कि मतलब कहाँ से और कैसे बना था; नहीं बना था जिसका मतलब है उससे प्रेरणा पाकर ही प्रश्न किया गया ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या इसकी जाँच की जायगी ?

श्री जयनारायण व्यास—कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती जाँच करने की ।

प्रश्न संख्या १०८३

राजस्थान के राजस्व विभाग में एस. डी. ओज़

श्री चाँदमल मेहता—क्या मुख्य मन्त्रीजी निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) राजस्थान में राजस्व विभाग में एस. डी. ओ. की संख्या कितनी है ?

(ख) कितने एस. डी. ओ. लॉ ग्रेज्युएट नहीं हैं, उनके नाम क्या-क्या हैं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—निम्नलिखित सूची के अनुसार एस डी. ओज़ लॉ ग्रेजुएट नहीं हैं—

१. श्री गंगाप्रसाद बिसा	आर. ए. एस.	बीकानेर
२. श्री विक्रमप्रसाद सुद	,,	रायसिंहनगर

Page No.27

३.	श्री मोहम्मदगनी, आर. ए. एस.	नोहर
४.	श्री मानधातासिंह ,,	जैसलमेर
५.	श्री मानसिंह सारंगदेवोत ,,	बाड़मेर
६.	श्री एस. एन. मिश्रा, आइ. ए. एस.	भीनमाल
७.	श्री अमरनाथ पुरोहित ,,	सोजत
८.	श्री गोपालदास कपड़दास ,,	परबतसर
९.	श्री गनेशसिंह, आर. ए. एस.	मेड़ता
१०.	श्री शरफअली, आर. ए. एस.	फलासिय
११.	श्री धूलसिंह, आर. ए. एस.	बल्लभनगर
१२.	श्री आर. एन. शिवपुरी, आर. ए. एस.	प्रतापगढ़
१३.	श्री के. एल बराया, आर. ए. एस.	सांभर
१४.	श्री आसुकरण गोस्वामी, आर. ए. एस.	सवाई माधोपुर
१५.	श्री जी. के. बेहनोत, आए. ए. एस.	करौली
१६.	श्री भासिनअलीखां, आर. ए. एस.	हिन्डौन
१७.	श्री गंगालहरी, आर. ए. एस.	गंगापुर
१८.	श्री सुरेन्द्रलाल कासलीवाल, आर. ए. एस.	फतहपुर
१९.	श्री अमृतलाल ओझा, आर. ए. एस.	चेचट
२०.	श्री पद्मसिंह, आर. ए. एस.	सीरोंज

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि एस. डी. ओज़ लॉ ग्रेजुएट नहीं होने से जनता को सच्चा न्याय नहीं मिलता ?

श्री जयनारायण व्यास—यह सही नहीं है। ये लॉ ग्रेजुएट नहीं होने पर भी बेहतर न्याय दे सकते हैं।

श्री चाँदमल मेहता—क्या जहां लॉ ग्रेजुएट एस. डी. ओज़ हैं उनके बजाय लॉ ग्रेजुएट नहीं हैं उनको भेजने की बात सोचेंगे ?

श्री जयनारायण व्यास—जहाँ लॉ ग्रेजुएट हैं उनके स्थान पर नोन लॉ ग्रेजुएट को भेजने का प्रश्न नहीं है। जो लॉ ग्रेजुएट नहीं हैं वे भी अपने एक्सपीरियेन्स और किताबें पढ़ने से अच्छा न्याय कर सकते हैं। ये लोग अपनी पुरानी युनिट से यह काम करते आ रहे हैं। उनको हटाने की बात सरकार नहीं सोच सकती।

श्री चांदमल मेहता—उनके कामयाबी से काम करने के बारे में क्या सरकार ने जांच की है ?

श्री जयनारायण व्यास—ये सारे प्रमोशन्स कामयाबी के कारण ही हुए हैं, ऐसा सोचती है सरकार।

अल्प काल सूचना प्रश्नोत्तर

ग्राम ललाना (त० पबतसर) में डकैत मदनसिंह द्वारा डकैती

श्री मोतीलाल चौधरी—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) ता० २१.५.५४ को गांव ललाना तहसील परबतसर जिला नागौर में जो डाका पड़ा उसमें कितने व्यक्ति मारे गये, कितने घायल हुए और कितना माल लूटा गया ? क्या घायलों में कोई महिला भी है ? घायलों की हालत कैसी है ?

(ख) क्या उक्त घटना घटने के पहले सम्बन्धित पुलिस थाने में इस प्रकार की घटना घटने की सूचना मिल गई थी ? क्या पुलिस ने उक्त घटना को रोकने के लिये कोई उचित प्रबन्ध किया था ?

(ग) क्या यह डाकू मदनसिंह गाँव हरनावा के रहने वाले हैं और वह हरनावा का केस के फरारी हैं जिसको पकड़ने के लिये २ साल से वारन्ट जारी होते हुए भी पुलिस पकड़ने में असमर्थ रही है ?

(घ) क्या यह डाकू हरनावा के भूँताराम व ललाने के ऊमराराम को मारने के अभिप्राय से ही आये थे जिसकी सूचना पुलिस को पहिले ही से थी, पुलिस ने उसके लिये क्या प्रबन्ध किया ?

(ङ) क्या यह सही है कि तारीख ४.४.५४ को मदनसिंह अपने पिता के पास गांव हरनावा में मय अपने दोनों साथी के आया था जिसका समाचार भूँताराम तथा हरनावा स्थित पुलिस सिपाही गच्छिपुरा के थानेदार को उसी दिन थाने में दे दिया था और उसके बाद भी थानेदार उसको पकड़ने के लिये हरनावा नहीं गये और हैड कांस्टेबिल को ५ सिपाही देकर हरनावा भेज दिया ?

(च) क्या तारीख ४.४.५४ को पुलिस मदनसिंह को मय उसके दो साथियों के २४ घण्टे घेरे में रखने के बाद भी गिरफ्तार नहीं कर सकी ?

(छ) क्या उपरोक्त प्रश्न नं० (ङ) व (च) में वर्णित घटना-सम्बन्धित शिकायत मुख्य मन्त्रीजी, आई. जी. पी. कलेक्टर नागौर और एस. पी. नागौर को मिली है ? अगर हां, तो उसके विषय में क्या कार्यवाही की गई ?

(ज) तारीख २१.५.५४ के डाका पड़ने के बाद पुलिस को डाके का समाचार कब मिला और उसके बाद कब और क्या कार्यवाही पुलिस में आज तक की है ?

Page No.29

(झ) क्या यह सही है कि जनता ने पुलिस थाना गच्छिपुरा के वर्तमान अधिकारियों के प्रति अपना विश्वास खो दिया है ?

(ट) १ जनवरी १९५४ से आज तक नागोर जिले में कितने डाके पड़े हैं और उनमें परबतसर तहसील में कितने डाके पड़े हैं ?

(ठ) इस डाके में मरने वाले तथा घायल व्यक्तियों के परिवार के भरण-पोषण के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री जयनारायण व्यास—माननीय सदस्य ने शोर्ट नोटिस क्वेश्चन के जरिये से सूचना माँगी थी वह लेट आई है, इसलिये मैं अँग्रेजी में सूचना सुना दूँगा और माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये हिन्दी भी कर दूंगा, यदि वे ऐसा चाहते हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—वे अंग्रेजी जानते हैं।

श्री जयनारायण व्यास—(a) In a robbery that took place on 21-5-54, in the Sarhad of village Lalana, P. S. Gachhipura, 2 persons Chhotu and Ramu were shot dead by the robbers. Four persons were injured including one woman. All of them are under treatment at Jodhpur. The details of property looted are not available at the moment.

(b) There was no previous information regarding the possible commission of this crime. However, one Jhunta of village Harnawa had reported that the apprehended violence from dacoit Madan Singh with whose father Jhunta had enmity over land. Proceedings under section 107 Cr. P. C. had been taken against Madan Singh's father Bhawani Singh and other relations who were bound down by the S. D. M. for a year on 31-7-53. Jhunta had also submitted an application through the Parbatsar Congress Committee to the S. P. regarding apprehension to him and dacoit Madan Singh's visit to his father on 4.4.54. The application was received on 17.4.54. A special Police party had already been posted at the Dhani of Jhunta.

(c) Dacoit Madan Singh is a resident of village Harnawa and is absconding for last two years. Despite vigorous efforts it had not been possible to arrest him.

(d) When dacoit Madan Singh and his accomplices Akhey Singh and Anand Singh reached the Dhani of Dewa Jat they did ask for Jhunta Ram and were informed by the inhabitants of the Dhani that Jhunta was in his own Dhani near Harnawa. The dacoits possibly knew that special Police party was posted there and did not proceed to the Dhani. There was no information or suspicion

[श्री जयनारायण व्यास]

regarding the possibility of commission of this offence at Dewas Dhani near Lalana. Probably their motive was to murder Jhunta Ram but not Amra Ram who was present in the Dhani, was made to sit on the stones. He was not injured and was fired upon once when he tried to run away.

(e) Information reached P. S. on 4.4.54 that dacoit Madan Singh was present in his village in the Bara of his father. H. C. with five other constables went to Harnawa and organised a raid. S. H. O. Gachhipura could not proceed himself. It cannot be said for certain if the two accomplices of dacoit Madan Singh were with him or not. S. H. O. himself made another raid on 10.4.54.

(f) On 4.4.54. when Gachhipura Police organised the raid dacoit Madan Singh had left Bara, One hour prior the Bara being surrendered.

(g) Answer to this question has already been given.

(h) The S. H. O. Gachhipura reached the scene of occurrence at 9.00 P. M. and the S. P. Nagaur reached at 12 1/4 midnight, the same night. The dacoits were pursued for 175 miles and an encounter took place near village Noonkabas. On the 24th evening the dacoits managed to escape under cover of darkness and on account of Jaos and broken ground.

(i) It is not possible to answer this question for there are on other complaints against the S. H. O. or other Police staff of P. S. Gachhipura.

(j) Since January 1954 there have been only 2 dacoities in District Nagaur; one of which was in Parbatsar Tehsil.

(k) This question is under consideration of the Government.

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि घायलों को अस्पताल में दाखिल नहीं करवाया गया ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—अस्पताल में दाखिल करवाया गया ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि घायलों को पुलिस ने अस्पताल में दाखिल नहीं कराया और जनता ने चंदा करके उनको जोधपुर अस्पताल में भेजा ?

श्री जयनारायण व्यास—यह नई सूचना है, अलग से प्रश्न करें तो इसके गलत-सही होने के बारे में बताया जा सकता है ?

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही कि तारीख ४.४५.४ को जब डकैतों के गिरोह के बारे में इत्तला की गई तो उस वक्त हैड कॉनिस्टेबल डकैतों के पीछे निःशस्त्र होकर गया था ?

श्री जयनारायण व्यास—कोई रेड बिना हथियारों के नहीं किये जाते।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि डकैतों के पीछे जब हैड कॉनिस्टेबल गया था तो पैदल गया था और इस तरह डकैतों को मोका दिया था कि वे भाग जायं ?

श्री जयनारायण व्यास—यह सही नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—इस सारे मामले की जांच करने के लिये कि क्या यह सही है या गलत है, सरकार निष्पक्ष जांच करवाने के लिये तैयार है ?

श्री जयनारायण व्यास—इस पूरे मामले की प्रारम्भिक जांच करके ही उत्तर दिया गया है। कोई स्पेसिफिक पोइन्ट दिये जायंगे तो उनकी जांच करवाई जा सकती है।

श्री नाथूराम मिर्धा—अभी उत्तर में कहा गया कि मदनसिंह व उसकी पार्टी को पकड़ने के लिये विगरस एफर्टस (Vigoroas efforts) किये गये। क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या-क्या एफर्टस किये गये और वे कब-कब किये गये ?

श्री जयनारायण व्यास—उत्तर दिया गया है कि १७५ मील तक डाकुओं का पीछा किया गया, हैड कॉनिस्टेबल ने रेड किया, सब इन्स्पेक्टर ने रेड किया, सुपरिन्टेन्डेन्ट उस समय मौके पर नहीं पहुँच सके, किन्तु बाद में वे भी पहुँच गये और भी एफर्टस किये गये होंगे; उनके डिटेल्स इस वक्त मेरे पास नहीं हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा—प्रीवियस एफर्टस की बात कह रहा हूँ, दो साल से क्या एफर्टस किये गये ?

श्री जयनारायण व्यास—दो साल से जो एफर्टस किए गये थे, यह इस प्रश्न के बाहर की बात है। अलग प्रश्न पूछा जाय तो उत्तर दिया जा सकता है।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—४ तारीख को मदनसिंह के उसके गाँव में होने की इत्तिला थाने में की गई फिर भी sub-inspector Gachipura did not proceed, उसने कोई परवाह नहीं की। इतनी महत्वपूर्ण बात होते हुए भी सब-इन्सपेक्टर नहीं गया, तो क्या इससे उसके कन्डक्ट के बारे में सस्पीशियन नहीं किया जा सकता ?

श्री जयनारायण व्यास—इस बारे में जाँच की जा रही है। जब तक पूरी जाँच नहीं हो, पूरा डेफिनिट उत्तर देना आसान नहीं।

Page No.32

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या सरकार ने इस बारे में जाँच की है कि ४ तारीख को एक पार्टी को रेड करने के लिए भेजने के बाद १० तारीख को थानेदार का उस गाँव में जाना उसके कन्डक्ट के बारे में सस्पीशियन पैदा करने वाला है ?

श्री जयनारायण व्यास--नहीं, १० तारीख को दूसरी स्थितियाँ थीं जिनके कारण उसको वहाँ जाना पड़ा।

श्री चाँदमल मेहता--इस प्रश्न की सूचना पर भी सब इन्सपेक्टर का घटनास्थल पर नहीं पहुँचना, उसके कन्डक्ट पर सस्पीशियन पैदा नहीं करता ?

श्री जयनारायण व्यास--नहीं किया जा सकता, जब तक कि जाँच करके कि खास कारण थे कि नहीं, इसकी पुख्ता सूचना नहीं मिल जाय; तब तक उसके मोटिव्ज़ में शक करने का हमें हक नहीं।

श्री चाँदमल मेहता--भूथाराम ने पुलिस में सूचना दी कि मेरी जान को खतरा है और मेरे ऊपर हमला करने की तैयारी की जा चुकी है, इस पर पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

श्री जयनारायण व्यास--इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री मोतीलाल चौधरी--प्रश्न के भाग (छै) का उत्तर नहीं मिला है।

श्री जयनारायण व्यास--अगर मुख्य मन्त्री को मिली होगी तो वह सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के पास मार्फत आई. जी. पी. के पास गई होगी। इस वक्त यह नहीं कहा जा सकता कि जिस अर्जी का जिक्र किया गया है वही मिली या दूसरी मिली।

श्री मोतीलाल चौधरी--४ तारीख को पुख्ता खबर देने पर भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री जयनारायण व्यास--पुलिस ने कार्यवाही की है जैसा कि मैं अभी उत्तर में कह चुका हूँ। थानेदार नहीं गया, पर हैड कॉन्स्टेबल ने रेड किया और एस. पी. ने रेड किया।

श्री चाँदमल मेहता--उस सब-इन्सपेक्टर के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जयनारायण व्यास--इन्क्वायरी की जा रही है, उत्तर दे चुका हूँ।

श्री चाँदमल मेहता--यह इन्क्वायरी कौन अफसर कर रहा है ?

श्री जयनारायण व्यास--सरकार कर रही है। कौन अफसर कर रहा है, यह इस सदन

Page No.33

[श्री जयनारायण व्यास]

में बताना सार्वजनिक हित में ठीक नहीं होगा। अफसर का नाम बताने पर इस ओर से या उस ओर से उस अफसर पर दबाव डाले जा सकते हैं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या माननीय मुख्य मन्त्रीजी का यह मतलब है, क्या यह मंशा है कि इस सदन के माननीय सदस्यों द्वारा दबाव डाला जायगा ?

श्री जयनारायण व्यास—अगर दबाव डालना चाहें तो ऑपोजिशन के लीडर भी दबाव डाल सकते हैं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—पर, सदन में ऐसा कहना ओब्जेक्शनेबल है, गलत चीज है।

श्री जयनारायण व्यास—गलत चीज नहीं है। खुले हाउस में नाम बता देना कि कौन ऑफिसर इन्क्वायरी कर रहा है, कहाँ तक उचित है ?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—पर यह कहना कहाँ तक ठीक है कि सदन के इस तरफ से और उस तरफ से दबाव डाला जा सकता है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैंने जो कहा है कि इस तरफ से और उस तरफ से दबाव डाला जा सकता है, उसका मतलब सदन में इस तरफ और उस तरफ बैठे सदस्यों से नहीं बल्कि मुलजिम की तरफ से और जो मारा गया है उसके रिश्तेदारों की तरफ से, दोनों तरफ से दबाव डाला जा सकता है, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी।

(हँसी)

श्री मोतीलाल चौधरी—प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया था कि इन दिनों में नागौर डिस्ट्रिक्ट में २ डाके पड़े हैं। पर हकीकत में चार डाके पड़े हैं, क्या यह बात सही है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप सूचना दे रहे हैं।

श्री जयनारायण व्यास—यह गलत सूचना है।

श्री चान्दमल मेहता—क्या यह सही है कि इस मामले को दबाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को जाँच के लिए डेप्यूट किया है जो कई किसानों के मकान जला चुका है ?

अध्यक्ष—Order !

श्री मोतीलाल चौधरी—अभी माननीय मुख्य मन्त्री ने फरमाया कि दो डकैतियाँ ही हुई हैं, मैं पुख्ता तौर से कहता हूँ कि ४ डकैतियाँ हुई हैं।

श्री अध्यक्ष—इस इन्सीडेन्ट के बारे में ही आप सवाल पूछ सकते हैं।

(विराम)

श्री श्रीदास गोयल।

ग्राम एकड़ा (त० सवाई माधोपुर) के अग्निकाण्ड से जलने के कारण वहाँ के ग्रामवासियों को आर्थिक सहायता

श्री श्रीदास गोयल—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ग्राम एकड़ा, तहत तहसील सवाई माधोपुर आग लग जाने के कारण जल गया ?

(ख) यह अग्निकाण्ड कब हुआ और इससे वहाँ की जनता का कितना नुकसान हुआ ?

(ग) सरकार वहाँ के निवासियों को कब और क्या सहायता देगी ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—उक्त गाँव में अकस्मात आग लग जाने से करीब ५० घर जल गये। यह अग्निकाण्ड तारीख ११ मई, १९५४ को घटित हुआ और उससे लगभग ६७,०००) रुपये की कीमत का नुकसान होना आँका जाता है।

अब तक मिली सूचना के अनुसार हर पीड़ित परिवार को, मकानों को दुबारा बनाने के लिए, सरकारी जंगल से २० मन लकड़ी और १० से १५ तक कोरोगेटेड आइरन शीट्स के लिए परमिट्स दे दिये गए हैं। नकद आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में कमिश्नर जयपुर से रिपोर्ट मंगवाई जा रही है जिन्हें कि ऐसे पीड़ित लोगों के लिए ५००) रुपया तक की पारिवारिक सहायताएँ मन्जूर करने का अधिकार है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह बात सही है कि बरसात एन करीब है और वहाँ के निवासी खुली जगहों में पड़े हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—कोरोगेटेड आइरन शीट्स का ऑर्डर दे दिया गया है। पर अगर नहीं मिले हों तो मुमकिन है कि खुली जगहों में पड़े हों। मैं इस बारे में जाँच करूँगा।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि आइरन शीट्स की परमिशन सिर्फ १५-२० व्यक्तियों को ही ८-८ दिन की दी गई और बाकी कोई सुनवाई नहीं हुई और यह कहा गया कि सवाई माधोपुर में टिन शीट्स नहीं है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं जब तक सिविल सप्लाइज़ से न पूछ लूँ कुछ नहीं कह सकता कि यह टिन क्यों नहीं दी गई ?

श्री श्रीदास गोयल—क्या डिज़र्विंग केसेज़ को अब टिन की सहायता एक सप्ताह में दे दी जावेगी ?

श्री जयनारायण व्यास—कोशिश यह की जावेगी, मगर फिर भी जहाँ आइरन शीट्स प्राप्त नहीं हैं वहाँ मुश्किल हो सकती है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या जयपुर से या किसी दूसरी जगह से ये टिन शीट्स भेजने की व्यवस्था की जावेगी?

श्री जयनारायण व्यास—कोशिश की जावेगी।

एक माननीय सदस्य—क्या भरतपुर में भी ऐसी आग लगे तो उसको भी सरकार सहायता देगी?

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !!

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिये जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित हैं, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है:

श्री बद्रीलाल (वि०सं० ५) दिनांक ७.६.५४ से ६.६.५४ तक, श्री बिशनसिंह (वि० सं० २२) दिनांक १८ मई, १९५४ से ८.६.५४ तक के लिये।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

विशेषाधिकार प्रस्ताव के प्रतिवेदन की प्रस्तुति में समय की वृद्धि

श्री अध्यक्ष—Shri Ram Kishore Vyas.

श्री रामकिशोर व्यास—Sir, I beg to move that as required under sub-section (1) of Rule 58 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajasthan Legislative Assembly, the time for the presentation of the Report of the Privileges Committee on a question of privilege raised by Shri H.K. Vyas be extended up to the last day of the current session.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House?

(स्वीकृत)

The time is extended.

राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, १९५४

We now come to Section 34 of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs (amendment) Bill, 1954.

Today we have to finish it up.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)--As you like.

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैंने इस क्लॉज़ में संशोधन इस प्रकार से रखा है कि ये शब्द इस क्लॉज़ के आखिर में जोड़ दिये जावें।

"Add at the end of clause 1 of the Second Schedule in the Principal Act the following proviso :

'Provided that the basic year in the case of Jagirdars of former Rajasthan will mean the agricultural year immediately preceding the agricultural year in which their revenue powers were taken over,"

माननीय अध्यक्ष, जहां तक जागीरदारों को कम्पेन्सेशन और रिहेबिलीटेशन ग्रान्ट देने का सम्बन्ध है उनका आधार उनकी आमदनी के लिहाज से माना जायगा। चूंकि राजस्थान में अलग-अलग हिस्सों में भिन्न-भिन्न परिस्थितियां थीं इसलिये मैंने अपना संशोधन सब तरफ से, समदृष्टि से प्रस्तुत किया है। फोर्मर राजस्थान का जितना एरिया था वहां पर जागीरदारों के पॉवर ले लिये गये थे, लेकिन दूसरी जगह अभी तक उनके पास उनके रेवेन्यू पॉवर्स रहे हैं और उनके पास आज भी रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार है। अब सवाल यह प्रस्तुत होता है कि क्या वे जागीरदार जिनके पास रेवेन्यू पॉवर्स थे और वे जिनके पास में ये अधिकार नहीं थे दोनों को एक ही लेवल पर माना जावेगा या दोनों के लिये बेसिक इयर अलग-अलग होना ज्यादा उपयुक्त होगा। मैंने अपना यह प्रोविजन सदन के सामने रखते वक्त इस बात को सामने रखा है कि दोनों तरफ के जागीरदारों को न्याय देना है तो बहतर यह होगा कि जिनके पॉवर्स १९४९ में फोर्मर राजस्थान में सरकार ने ले लिये थे उनके लिये बेसिक इयर दूसरा होना चाहिये और जिनके पॉवर्स अभी कायम हैं उनके लिये बेसिक इयर दूसरा होना चाहिये। इसलिये जब उनकी जागीरें अब ली जा रही है तो उनके लिये बेसिक इयर दूसरा होना चाहिये और दोनों के साथ में न्याय किया जाना चाहिये और यह तभी हो सकता है जब अलग-अलग बेसिक इयर्स माने जावें। इसके लिये माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान लेन्ड रिफोर्मस एन्ड रिजम्पशन आफ जागीर (एमेंडमेंट) बिल के सम्बन्ध में हुए समझौते में पन्त रिपोर्ट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा; जहां राजस्थान सरकार और क्षत्रिय महासभा के बीच इस पर समझौता हुआ। सीरियल नम्बर २० पर निश्चित रूप से सरकार और क्षत्रिय महासभा ने इस बात को मान लिया है। सीरियल नम्बर २० इस प्रकार से है :

"In the case of Jagirdars of former Rajasthan the gross income to be taken for compensation should be that which they derived before their revenue

[श्री जसवन्तसिंह]

powers were taken over in 1949 and deduction began to be made for administrative charges."

और सरकार की तरफ से This is agreed to."Government has no desire to make double deduction of administrative expenditure."

तो मैंने जो कुछ भी अपना संशोधन प्रस्तुत किया है उसकी पुष्टि सरकार के क्षत्रिय महासभा के साथ हुए समझौते से होती है। यदि किसी को यह शंका पैदा हो जावे कि हमने केवल जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सेज़ का प्रश्न था अपने आपको एग्री किया है। ऐसी सूरत में दोनों पक्षों ने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सेज के अलावा इनके ग्रोस इन्कम का प्रश्न था और वह दोनों का तभी बराबर माना जाता है जब कि फोर्मर राजस्थान के लिये १९४९ से पहले के साल माने जावें और जिनकी जागीरें अब ली जावेंगी उनके लिये बेसिक इयर अब से माना जावे। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जब सरकार और क्षत्रिय महासभा ने इस बात को मान लिया है तो मैं निवेदन करूंगा कि मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे अवश्य मंजूर किया जावे।

श्री अध्यक्ष—आपने सब मूव कर दिये।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मैं एक ही एमेन्डमेंट मूव करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—बाकी के आप मूव करना नहीं चाहते ?

श्री मथुरादास माथुर—Mr. Speaker, Sir, I want to move the following amendment: " In clause 4 of the Second Schedule as substituted by clause 34 (b) omit sub clause (ii) and renumber the remaining sub-clauses."

Sub-clause (ii) runs as follows:-

"(ii) any amount payable by the Jagirdar for the basic year to any local authority by way of cess or otherwise;"

This should be deleted and the whole thing should be re-numbered. This is done primarily because there are no Districts anywhere in Rajasthan except in Jaipur where this is being realised; and there too the cess should not continue. So no purpose will be served in putting this sub-clause (ii) and therefore I move the amendment that this sub-clause (ii) should be deleted.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, I beg to take my amendment as moved.

Page No.38

श्री मथुरादास माथुर—Mr. Speaker, Sir, there is one more amendment in my name in clause 34 which also, Sir, may be taken. "In item (g') of sub-clause (ii) under (a) of Sub-clause 34......

श्री अध्यक्ष—I have'nt got it.

श्री मथुरादास माथुर—You have it, sir. It has put in with 33.No.20 in my name.

श्री अध्यक्ष—"Substitute the word 'Central' for the word 'Union'?

श्री माथुरादास माथुर—Yes, Sir. that is only technical.

श्री हरिकृष्ण व्यास–[The amendment is as under :

(a) In Clause (2):

Delete the proposed part (i) and part (ii) and substitute in their place the following:-

(a) In clause 2:

(i) Delete the sub-clauses (b), (c). (d), and (e) of the second schedule of the principal Act.

Sub-clause (b):

Delete the proposed sub-clause (b) proposing to insert a new Clause 4.

Sub-clause (c)

Instead of the proposed insertion of words 'seven times' 'three times' may be inserted.

Add a proviso to clause 5 as under:-

'Provided that all amount recovered by the Jagirdar after the 18th Feb., 1952 whether by way of rentsor otherwise, whether recovered in cash or in kind shall be all computed as payments made towards his compensation and rebabilitation grants.'

Sub-clause (d): Delete the proposed Clause 6 and Clause 7."]

Mr. Speaker, Sir, I take my amendment as moved and proceed to make some submission.

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जिस क्लाज़ के बारे में हम अभी विचार कर रहे हैं यह इस सारे बिल में सबसे ज्यादा महत्व रखने वाला क्लाज़ है। इसमें कम्पन्सेशन किन-किन चीजों पर मिलेगा , किस रेट पर मिलेगा, नेट इन्कम से केल्कुलेशन किस प्रकार किया जायगा, उन सब बातों का हवाला Second schedule of the Principal Act में है और उसमें संशोधन किया जा रहा है।

मैंने जो संशोधन पेश किए हैं, माननीय अध्यक्ष, वह पहला तो यह है कि ग्रोस इन्कम की जो डिटेल्स दी गई हैं प्रिन्सिपल एक्ट के सेकिन्ड शिडयूल, क्लॉज़ २ पार्ट (ए) में, उसमें ' income from rents' लिखा हुआ है। अब जो नया अमेन्डमेंट लाया जा रहा है क्लॉज़ ३४ द्वारा, उसमें ये शब्द बदले जा रहे हैं कि 'income from land revenue and rents' रेन्ट से जागीरदार की जो आमदनी होती है वह तो ठीक है। लेकिन जागीरदार की लेन्ड रेवेन्यू से कौनसी आमदनी होती है, यह मुझे समझ में नहीं आया? लेकिन वर्तमान करेन्ट टरमिनोलोजी (Current terminology) जो है उसके अनुसार केवल स्टेट ही लेन्ड रेवेन्यू ले सकती है। अल्टीमेटली जिसको जमीन देनी है "That vests in the State" और लेन्ड रेवेन्यू केवल स्टेट ही ले सकती है। तो जागीरदार के मुआवजे में लेन्ड रेवेन्यू का समावेश कैसे होगा और क्योंकर होगा, यह समझ में नही आया और गलत प्रतीत होता है। इसलिए जो संशोधन किया जा रहा है वह नहीं किया जाय और इस भाग को डिलीट किया जाय। ऐसा मेरा पहला संशोधन है।

उसके बाद इसी ग्रोस इन्कम के पार्ट (बी), (सी), (डी) और (इ) हैं, उनकी ओर भी यदि आप गौर करेंगे तो यह नज़र आयगा कि ये जो चारों भाग हैं जो जागीर आज आती है, जो कि रेवेन्यू इन्स्टीटयूशन है, उनका और इन चीजों का कोई सम्बन्ध नहीं है। फोरेस्टस से जो आमदनी होती है उसे भी ओरिजिनल एक्ट के सेकिन्ड शिडयूल के भाग (२) (बी) में गिनने का प्रोविज़न दर्ज है। "grazing fees" को भी फोरेस्ट की आमदनी की तरह गिना जाकर उसको भी इसमें इन्क्ल्यूड किया गया है, यदि किसी जगह खानें इत्यादि हैं तो उनकी जो पिछले तीन वर्ष की आमदनी है उनको उसी बेसिस पर इन्क्ल्यूड किया जाय और इसके अलावा "sale of fishing rights" इत्यादि हैं उन सब चीजों को टोटल कम्पेन्सेशन के सिलसिले में ग्रोस इनकम केल्क्युलेट किया जायगा और इन सब बातों का इसमें समावेश किया गया है। शायद इस स्टेन्डर्ड से और आगे बढ़ें तो कहीं जागीर के इलाके में अगर कोई तालाब है तो उस तालाब में जमा होने वाले पानी के लिए भी उससे दस साल के आबयाने को भी उस कम्पन्सेशन में क्यों नहीं इन्क्ल्यूड कर दिया गया और अगर किसी जागीरी इलाके में खनिज पदार्थ हैं तो उनको भी अगर अगले सौ वर्ष में खोजते-खोजते पता लग गया तो उनसे जितनी वेल्यु होगी उस भूगर्भ की खोज को भी क्यों नहीं इन्क्ल्यूड कर दिया गया? ये जो नेचुरल चीजें हैं, जंगल हैं, पानी है, माइन्स हैं, खनिज पदार्थ हैं क्वेरीज (querries) हैं; यानि ये जो नेचरल असेटस (assets) हैं उनको भी पर्सनल प्रोपर्टी के रूप में दे दिया गया है और इन सब चीजों के कम्पेन्सेशन को कॉम्प्युटेड (Computed) करने के बारे में ओरिजिनल एक्ट में दर्ज किया गया है और अब इस अमेन्डमेंट बिल में उनको हटाने का कोई जिक्र

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

नहीं किया गया है। अतः मेरा दूसरा संशोधन यह है कि सेकिन्ड शिडयूल के पार्ट [२] के सब सेक्शन (बी), (सी), (डी) और (ई) को डिलीट कर दिया जाय।

जागीरदारी एक रेवेन्यू इन्स्टीट्युशन है। जागीरदार का तात्पर्य यह है कि उसे जमीन से लगान लेने का ठेका दिया गया था। कुछ आमदनी उस राज्य के पास जमा हो जाय और बाकी खर्चे के रूप में "for certain services rendered or continuously being rendered." ले ली जाय। या तो सर्विसेज की गई या की जाने वाली सर्विसेज ऐसा है तो जो नेचुरल चीजें हैं, भूगर्भ में जो चीज़ें पैदा होने वाली हैं वे ऐसी चीजें हैं जिनका सम्बन्ध व्यक्ति विशेष की जायदाद से नहीं लगाया जा सकता है। उस आमदनी को जागीरदार की आमदनी में इन्क्ल्यूड करना जागीरदारी प्रथा को बढ़ाना-चढ़ाना है और उसको एन्लार्ज करके इन चीजों की आमदनी को उस कम्पेनसेशन की रकम में जोड़ कर कम्पेनसेशन की रकम को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है। यह दोषारोपण मैं जागीरदारों के ऊपर करने के बजाय राजस्थान सरकार के ऊपर करना चाहता हूँ। जागीरदार तो चाहेंगे कि किसी तरह के कम्पेनसेशन की मिकदार बढ़े। राजस्थान सरकार ने कौन से उसूलों पर इन चीज़ों को जागीरदारों की पर्सनल प्रापर्टी माना है। फोरेस्ट को पर्सनल प्रोपर्टी में माना, तालाबों के पानी को भी और क्वेरीज़ को भी पर्सनल प्रोपर्टी में माना है और भूगर्भ में आज या कल जो वेल्यूऐबल चीजें मिलेंगी उनको भी पर्सनल प्रोपर्टी माना जायगा। हर इलाके की भूगर्भ प्रोडयूस को स्टेट का माना गया है। That is supposed to vest in the State. ये चीजें आज निकलें या कल निकलें, जो नेचरल प्रोडयूस हैं वे स्टेट में हीं वेस्ट होते हैं। उसको किसी की व्यक्तिगत प्रोपर्टी कैसे माना जाय? यह मुझे अन्यायपूर्ण और गैरवाजिब जँचता है। अतः मेरा सेकन्ड अमेन्डमेंट है कि (बी), (सी), (डी) और (ई) भाग को इसमें से हटा दिया जाय।

उसके बाद मेरा प्रस्ताव इस धारा ४४ के लिए जो किया गया है वह यह है "After sub-clause (d), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(f)...(g)...(h)...(i)..."

अर्थात् (एफ), (जी), (एच) और (आई) भी एन्टर नहीं किये जाँय अर्थात् क्लाज़ ४४ का पार्ट दो है वह डिलीट किया जाय। यह संशोधन का तीसरा भाग है। आप देखेंगे कि ओरिजिनल एक्ट के अन्दर एक गैर वाजिब चीज़ लिखी गई है और इस संशोधन विधेयक के ज़रिए उसको पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया गया है। न सिर्फ जो नेचुरल प्रोडयूस (natural produce) की चीज़ हैं बल्कि सॉल्ट के बारे में और सॉल्ट के बारे में ही नहीं लेकिन एक्साइज़ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी और अन्य चीजों के बारे में ग्रोस इनकम को इन्क्ल्यूड करने की सिफारिश का जो प्रस्ताव है वह (एफ),(ज), (एच) और (आई) में दिया गया है। यह बात ठीक है कि पन्त रिपोर्ट में उनका उल्लेख है और यह भी ठीक है इस प्रकार का समझौता राजस्थान सरकार ने और जागीरदारों

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

के प्रतिनिधियों ने आपस में किया है। लेकिन इसका तात्पर्य यह हुआ कि राजस्थान सरकार स्टेट विदिन स्टेट (state within state) को रिकग्नाइज़ कर रही है।

कस्टम, साल्ट, एक्साइज ये चीजें आज तक एक स्टेट के अधिकार की बात गिनी गई हैं और जैसा कि भारत के अलग-अलग राज्यों का वित्तीय एकीकरण हुआ उस समय माननीय कृष्णमाचारी की अध्यक्षता में जो कमेटी नियुक्त हुई थी उस कमेटी ने इस प्रश्न पर विचार किया और यह तात्विक विचार किया कि अलग-अलग राज्यों में रेल्वे कम्पनियों, रेलगाड़ियों के विभाग चलते थे, उनको जब भारत स्वतन्त्र हुआ, जब उनको राष्ट्र की सम्पत्ति के रूप में लेने का प्रश्न आया और कम्पेन्सेशन देने का सवाल उत्पन्न हुआ, तब श्री कृष्णमाचारी ने यह कहा कि यह राज्य का एक बुनियादी उसूल है कि इस चीज को यूनियन का सब्जेक्ट माना जाय और जब केन्द्र उसको अपने हाथ में ले लेती है तो कम्पेन्सेशन देने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए, चाहे कोई चीज कभी किसी के हाथ में रही हो। जो पार्ट 'ए' और 'बी' स्टेट स थीं, उनके सम्बन्ध में इसी प्रकार के निर्णय हुए। पार्ट 'बी' स्टेटस में जितनी भी रेलें थीं उनको केन्द्र ने अपने हाथ में लिया और उनको किसी प्रकार का कम्पेन्सेशन नहीं दिया गया। यह कृष्णमाचारी कमेटी का निर्णय था। जो अलग-अलग स्टेटें थीं और जब उनका एकीकरण हुआ तब भी यह प्रश्न आया। तब उसूलन यह माना गया कि जो जिसका सब्जेक्ट है उसी को मिलेगा, कम्पेन्सेशन का प्रश्न ही नहीं उठता। राजस्थान सरकार इस जमाने के अनुसार चलने वाले पहिये को सदियों पीछे घुमाना चाहती है। जब कि राजस्थान सरकार के अधीन कस्टम, साल्ट ये नहीं हैं तो वह किस प्रकार इनका फायदा जागीरदारों को दे सकती है। लेकिन केन्द्र ने जिस उसूल को तय किया वह राजस्थान सरकार तोड़ने जा रही है, क्योंकि जब राजस्थान सरकार यह मानती है कि जो जिसका विषय होगा वह उसके पास जायगा।

आज भले ही एक्साइज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो राजस्थान सरकार का बन गया है, राजस्थान की हुकूमत का बन गया है। अब तक उस पर किसका अधिकार रहा है या नहीं और उसकी एवज में मुआवजा देना उसूलन कभी दुनियाँ के अन्दर न हुआ है और न होगा। ऐसी दुनियाँ के अन्दर कहीं भी मिसाल नहीं मिलेगी जहाँ इस तरह से कम्पेन्सेशन दिया गया हो।

दूसरे भाग का ताल्लुक है जिसमें संशोधित सब क्लॉज़ रखा जा रहा है, वह न रखा जाय; इसको डिलीट कर दिया जाय।

इसके बाद जो चौथा भाग है उसमें कम्पेन्सेशन की मिकदार तय की गई है। सेवन टाइम है उसको थ्री टाइम कर दिया जाय। राजस्थान सरकार ने इस बात को बारबार कहा है कि हम दो अलग-अलग चीजें जागीरदारों को दे रहे हैं, एक तो कम्पेन्सेशन और एक रिहेबीलिटेशन ग्रान्ट और इसमें रिहेबीलिटेशन ग्रान्ट का ताल्लुक पुनर्वास से जोड़ा गया है और कम्पेन्सेशन का ताल्लुक इस बात से जोड़ा गया है कि यदि किसी की चीज ली जाय तो उसको कुछ न कुछ एवजाने के रूप में दिया जाना चाहिए। उसूलन कम्पेन्सेशन दिया जाय या नहीं इसकी बहस हम कर चुके हैं। अब प्रश्न यह

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

है कि कुछ इस सदन के माननीय सदस्यों की राय के बावजूद राजस्थान सरकार यह निर्णय कर चुकी है कि मुआवजा दिया जायगा। लेकिन अब सवाल यह रह जाता है कि कम्पेन्सेशन कितना देना चाहिये, इस समय यह चीज हमारे सामने है। अभी एक माननीय मित्र ने पूछा कि थ्री टाइम भी क्यों कम्पेन्सेशन देना चाहिए वह भी न दिया जाय। मेरी पार्टी के हाथ में अगर यह बात होती तो इसका उत्तर में ठीक तौर से देता, लेकिन यह जो चीज मैंने रखी है कि थ्री टाइम क्यों दिया जाना चाहिए इसके लिए मैं कुछ आधार आपके सामने उपस्थित करता हूँ जिसके अनुसार यह मुआवजा थ्री टाइम से ज्यादा नहीं देना चाहिए। थ्री टाइम्स मैंने इस आधार पर रखा है कि हमारे राजस्थान में एक साइकल माना जाता है, तीन वर्ष का एक साइकिल गिना जाता है। जिसमें एक अच्छा वर्ष आता है और एक काल का और एक में आधा काल और आधा अच्छा। यह हमारे राजस्थान के बड़े हिस्से में इस प्रकार का एक साइकल बना हुआ है, जिससे जोधपुर और बीकानेर डिवीजन सारा और जयपुर का सीकर और शेखावाटी का इलाका, इस प्रकार के साइकिल से प्रभावित रहता है। हाड़ौती का मैं नहीं कह सकता किन्तु जिन-जिन जिलों के मैंने नाम गिनाये हैं उनमें तो इसी प्रकार का साइकिल रहता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक साइकल के अन्दर जितनी एवरेज आमदनी होती है वह दे दी जाय। इस तरह से सात गुनी आमदनी के बजाय एक साइकिल में जितनी एवरेज आमदनी होती है वह देकर मुआवजा खत्म कर दिया जाय।

मेरे एमेन्डमेंट का आखिरी हिस्सा जो है उसके अन्दर एक सब क्लॉज़ और जोड़ा जाय। और उसके बाद ओरीजिनल सब क्लॉज़ जोड़ा जाय। मैं यह मानता हूँ कि यह मेरे एमेंडमेन्ट न्यायोचित हैं और सदन के हर एक माननीय सदस्य इसको कबूल करेंगे...

"Provided that all amounts recoverd by the Jagirdar after the 18th February, 1952, whether by way of rents or otherwise, whether recoverd in cash or in kind, shall be all computed as payments made towards his compensation and rehabilitation grants."

मैं इसके न्यायोचित होने के बारे में दो शब्द कहूं। इसके लिए सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहता हूँ और वह यह कि इस प्रकार का जब कभी प्रश्न आया, चाहे उसे मजदूर संगठन द्वारा पेश किया गया हो या किसान संगठन द्वारा उठाया गया हो और राजस्थान सरकार के निर्णय में तब्दीली कराने के बारे में आवाज उठाई हो तो एक ही जवाब मिला। वह चाहे मुख्य मन्त्री द्वारा हो या भूतपूर्व मुख्य मन्त्री द्वारा हो, वह एक ही था कि राजस्थान सरकार अपने निर्णय को नहीं बदलेगी और जो उसमें तब्दीली कराने में प्रयत्नशील हैं उन लोगों को साफ कह देना चाहता हूँ कि निर्णय तो लागू रहेगा। मुझे मौका मिला है इस प्रकार के उत्तर सुनने का। लेकिन जब आज जागीरों का प्रश्न आया, जब इन जागीरों के खत्म करने का मामला आया, तो वे आज अपने पुराने उसूल से अलग हट रहे हैं। अगर सार्वजनिक संस्था को इस प्रकार के उत्तर दिए जा सकते हैं, मजदूर संगठन को इस प्रकार का जवाब दिया जा सकता है तो फिर जागीरदारों के संगठन को इस प्रकार का

Page No.43

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

उत्तर क्यों न दिया जाय, उनके प्रति इस प्रकार का निर्णय क्यों न लिया जाय। जब आपने इस कानून को १८ फरवरी, १९५२ से लागू किया है। इस कानून को तोड़ने के लिए इस कानून को अमल में न लाने देने वाले, किसी न किसी प्रकार इस कानून को आगे न बढ़ने देने के लिए जितना भी समय मिले उतने दिन के लाटे हमें मिलते रहें, उतनी कमाई मिलती रहे इसी उद्देश्य से लगातार रिट एप्लीकेशन्स द्वारा लिखा-पढ़ी की गई, धमकी दी गई, मारपीट की गई। उसका उद्देश्य केवल यह था कि जितनी इसमें ढील की जाय, करनी चाहिए। मुझे अफसोस है, ताज्जुब है, हैरत है, लगातार जिन लोगों ने राजस्थान सरकार के निर्णय को तोड़ा है और जो अपना फायदा उठाने की कोशिश में रहे हैं आज उन्हीं से बातचीत कर समझौता किया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि जो कुछ इतने अरसे में किसानों से लेना था सो तो ले लिया, अब आगे से मुबारिक हो, अब नई बातचीत करके नया सिलसिला शुरू करेंगे। यह आपके रोजमर्रा के रुख से मेल नहीं खाता जो कि आप हमेशा किसानों और मजदूरों के सिलसिले में रखते हैं। न्यायोचित आधार तो यह है कि १८ फरवरी, १९५२ से लेकर आज तक जो कुछ किसानों से इन्होंने वसूल किया है वह इस मुआवजे में से बाद दे दिया जाय। उनको मान्यता नहीं दी जानी चाहिये, जो कि उन्होंने १८ फरवरी, ५२ के बाद वसूल किया है। जो कुछ भी वसूल किया गया है वह उनके रिहेबीलिटेशन ग्रान्ट या मुआवजे की रकम से बाद देकर यह रकम दी जाय।

तभी यह मैं समझूंगा कि जो रोज-रोज यह कहते हैं कि हम अपने निर्णयों में पक्के हैं और जो कहते हैं गंगानगर, सोजत और पाली आदि के लोगों को कि हम चूंकि हमारे निर्णयों में पक्के हैं, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मुझे कुछ समय दिया जावे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लॉज़ है, माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष—This is no consideration. You finish your speech within five minutes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Five minutes? All right.

तो माननीय अध्यक्ष, मैं यह कह रहा था कि यह जो उसूल है, यह जो कहा जा रहा है कि हम निर्णय के पक्के हैं आज वही बात राजस्थान सरकार इन जागीरदारों को कहे तो मैं मानूंगा कि वह एक मापदण्ड से चलती है। लेकिन गरीबों के लिए तो यह कहना कि तुम्हारे लिए तो राजस्थान सरकार ने एक बार जो कह दिया वह लोहे की लकीर है जो हुक्म हो गया सो हो गया, अब बदला नहीं जा सकता। पर वही राजस्थान सरकार जागीरदारों के संगठन से यह कहे कि कोई बात नहीं तुमने हमारे कानूनों को तोड़ा, वसूलियों की जबर्दस्ती से, हाईकोर्ट में गये, जो कुछ भी किया, कानून को तोड़ा

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

वह माफ; अब आओ तुमसे नया समझौता करें। यह सरकार का कौन सा मापदण्ड है? क्या यह सरकार अपने निर्णय की पक्की है? यह न्यायोचित नहीं है। इसके अन्दर कुछ तथ्य नहीं है। करोड़ों किसानों के साथ यह अन्याय है। अन्त में मैं, अध्यक्ष महोदय, यह अर्ज करना चाहूँगा कि यह कम्पेन्सेशन देने का प्रश्न कोई एक सरकार का प्राइवेट प्रश्न नहीं है। राजस्थान सरकार यह समझती है कि उसने निर्णय ले लिया और उसे यह निर्णय लेने का अधिकार है तो यह उसूलन गलत बात है। यह हर नागरिक का प्रश्न है, हर नागरिक के अधिकार का प्रश्न है।

एक बहुत खुशी की बात मेरे माननीय मित्र ने कही, जोश और खरोश में आकर कह गये कि जिन लोगों की जागीरें, जिन छोटे जागीरों की जागीरें ली जा रही हैं उनको कोई खास नुकसान नहीं है और जिन छोटे जागीरदारों के लिए कहा गया उन लोगों के लिए कहा जाता है कि इनमें से जिनकी आमदनी २५०) रुपया थी उनको १५ साल तक २२५) रुपया लगातार मिलता रहेगा। इसके अलवा कितनी और सहूलियतें रिहेबिलीटेशन और कम्पेन्सेशन के वास्ते और दी गई हैं, यह अलग है। खैर! ऐसे २५० रुपये वालों के लिए इन्कार नहीं है और इनको अगर २२५) रुपया दे दिया जावे तो कोई ऐसी बात नहीं है, यह दूसरी बात है; पर बड़े बड़े जागीरदारों को भी जो इसी मापदण्ड से दिया जा रहा है यह कतई न्यायोचित नहीं है। तो जहाँ तक जागीरदारों की आमदनी का सवाल है वह आमदनी अब किसानों से उनको हासिल नहीं होगी, उनको वह सरकार की ट्रेज़री से हासिल होगी। इसमें इनको पहले जितनी मुसीबत नहीं होगी और वह पैसा कौन देगा? वह पैसा देगी राजस्थान सरकार और राजस्थान सरकार के पास अगर इतना पैसा देने को नहीं होगा तो वह पैसा सरकार वसूल करेगी राजस्थान के नागरिकों से, नये-नये और भारी-भारी टैक्सों का बोझ इसके लिए लादा जावेगा, भारत सरकार को लिखा जावेगा कि हमें कस्टम और लगा रखने की इजाजत दी जावे। सेल्स टैक्स के बारे में नई नई योजनाएं बनाई जावेंगी इन्कम टैक्स पूरा लगेगा, लेवी और न जाने क्या क्या लगेंगे। हर नागरिक आज यह पूछ रहा है कि यह पैसा आवेगा कहां से? इतनी सीमा तक, इतनी बड़ी मिकदारी में दिया जाने वाला पैसा, जिसका न कोई नैतिक आधार है, न और कोई न्यायोचित आधार है, कहां से आवेगा? इसलिए मैं तो अध्यक्ष महोदय, यह कहूँगा कि आप यह सारा का सारा बिल पास कर दीजिये, पर इस कम्पेन्सेशन के लिए अलग बिल तैयार किया जावे। इसको छोड़कर बाकी का सारा का सारा बिल पास करने के साथ कम से कम यह किया जावे कि इस कम्पेन्सेशन का निर्णय रोक दिया जावे। इसके लिए अलग बिल तैयार किया जावे तो बहुत अच्छा होगा। जागीरें इनकी लेली जावें जो भी इस प्रकार का यह कानून है इस पर पूरा अमल किया जावे। बाकी रहा सवाल पैसे का, वह तो मिल ही जावेगा कहीं जाने वाला नहीं है, पर कम्पेन्सेशन का मामला अलग से तय किया जावे। इस कम्पेन्सेशन के सवाल पर राजस्थान के माननीय मन्त्री ने और उधर बैठने वाले मेरे माननीय मित्रों ने न तो जनता से मत प्राप्त किये हैं और न पब्लिक ओपीनियन ही इस प्रकार की प्राप्त की है। जागीर खतम करेंगे इस वादे और इस नारे पर कांग्रेस ने ये चुनाव लड़े हैं। कम्पेन्सेशन का कोई इश्यू चुनाव के सिलसिले में कांग्रेस ने नहीं रक्खा। कम्पेन्सेशन के सवाल पर कि हम इतना कम्पेन्सेशन देंगे उन्होंने ये चुनाव नहीं जीते हैं। इसलिए बहतर यह होगा इस कम्पेन्सेशन के सवाल पर कि हम इतना कम्पेन्सेशन इनको देना चाहते हैं पब्लिक ओपीनियन के लिए

श्री हरिकृष्ण व्यास

यह बिल सर्कुलेट करें। यह सरकार पहले इस इश्यू पर रेफेरेन्डम करे, अगर चाहें तो राय लें कि वे क्या चाहते हैं ? वे जागीरें खतम करना चाहते हैं, पर कम्पेन्सेशन के बारे में दूसरों के भरोसे और दूसरों पर बोझा लादने के भरोसे उदारदिल रखने वाली हमारी सरकार के साथ जनता की राय मेल नहीं खाती।

इसलिए मैं यह कहूँगा कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जावे। इस धारा को इस हद तक तो बदल दिया जावे, यह मेरी प्रार्थना है माननीय सदस्यों से। इतना कह कर मैं अपना यह संशोधन प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—श्री दामोदर व्यास।

श्री दामोदर व्यास—I don't want to move.

श्री अध्यक्ष—Shri Himmat Singh.

श्री हिम्मतसिंह अटरू—अध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आये हमारे कम्युनिस्ट भाई ने कम्पेन्सेशन पर बड़ा जोर दिया है कि कम्पेन्सेशन तीन गुना ही देना चाहिये। मैं कहता हूँ, अगर नहीं देना है तो फिर यह तीन ही क्यों ? और इसके लिए भी न्यायोचित होने की बात के लिए उन्होंने विशेष जोर दिया है। मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने कौनसी लॉ बुक स्टडी की है जिस पर वे इसे न्यायोचित नहीं बता रहे हैं। आप से तो औरों ने अधिक लॉ स्टेडी की है; यह भी आप जानते हैं या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम।

न्यायोचित बात बताने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। अगर किसी की प्रोपर्टी ली जावे तो क्या तरीके कम्पेन्सेशन देने के लिए आम तौर पर अख्तियार किये गये थे। ये करीब-करीब सभी सभ्य देशों में एक से हैं, यह मैं बता देना चाहता हूँ।

एक माननीय सदस्य—रशिया (Russia) के तरीके कैसे हैं ?

श्री हिम्मतसिंह—रशिया के तरीके तो और भी भिन्न हो सकते हैं। पर सभ्य देशों में, डेमोक्रेसी के देशों में ऐसे तरीके अख्तियार नहीं किये जाते।

श्री भैरोंसिंह (१६)—रशिया को क्या आपने असभ्य देश समझा है ?

(घण्टी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—न्यायोचित कम्पेन्सेशन पर विचार किया जावे, तो मेरा अर्ज करना यह है कि सामान्य तौर पर कम्पेन्सेशन जो दिया जाता है उसका एक सिद्धान्त होता है। कम्पेन्सेशन इसलिए दिया जाता है कि जिससे आपने कोई चीज ली, प्रोपर्टी ली या उसे कम्पलसरिली एक्वायर (Compulsorily acquire) किया तो उसके लिए उसको कितना कम्पेन्सेट किया जावे, सामान्य

श्री हरिकृष्ण व्यास

तौर पर उसका जो सिद्धान्त है वह यह है कि उसको इतना कम्पेन्सेशन दिया जावे कि उसको उसके अन्दर दुख न हो और इसके लिए स्केल यह रक्खा गया है कि कम से कम २० गुनी उसकी जो मार्केट वेल्यु हो वह दी जावे और कम्पलसरीली एक्वायरमेन्ट के लिए छः प्रतिशत और एड किया जावे। अगर इसकी तुलना एक एक्ट में दिये जाने वाले कम्पेन्सेशन से की जाती तो शायद मेरा ऐसा ख्याल है कि कम्युनिस्ट महानुभाव इस पर जरूरत से ज्यादा नहीं उछलते।

गवर्नमेन्ट ने अपनी मजबूरी और आर्थिक कमजोर स्थिति को मद्दे नजर रखते हुए इस कम्पेन्सेशन में आमतौर पर दिये जाने वाले कम्पेन्सेशन के सामान्य सिद्धान्त से इतनी कटौती की है, यह कोई न्यायोचित बात नहीं है। इतना कम कम्पेन्सेशन दिया जाना न्यायोचित तो नहीं होता जो आमतौर पर कम्पेन्सेशन देने के लिए सिद्धान्त माना गया है।

मैं इससे अधिक इस विषय पर नहीं कहना चाहता। जो समझौता हो गया है और उसके अनुसार जो कुछ हमने एक्सेप्ट कर लिया है उसके अनुसार हमने अपनी तरफ से त्याग ही बतलाया है और जैसा हमारे ये कम्युनिस्ट भाई बताते हैं कि थ्री टाइम्स ही दिया जावे, यह तो महज उनकी कल्पना ही कल्पना है। ऐसा हो सकता है कि अपनी पार्टी के खयाल से वे ऐसा कहते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस धारा के सम्बन्ध में एक संशोधन पहले इस आशय का आया था कि फोर्मर राजस्थान के जागीर दारों के लिए बेसिक इयर १६४६ से पहले का रक्खा जावे, जब कि उनके क्लेश्शन पॉवर्स फोर्मर राजस्थान ने ले लिये थे और इसमें हवाला दिया गया इस बात का कि पन्त रिपोर्ट में जो बात कही गई, हमने उसको एग्री किया है। मैं समझता हूं कि वह एग्रीमेन्ट पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमने उसमें यह कहा है कि डबल डिस्क्रीशन नहीं किया जावेगा। बेसिक इयर की धारा अलग-अलग कैटेगरीज में रखना लीगली भी ठीक नहीं होगा। अलग-अलग होने से डिस्क्रिमिनेशन होगा और इससे लीगल कॉम्प्लीकेशन्स होंगे।

तो उदाहरण तो एक ही रखना होगा, लेकिन उसमें डिडक्शन्स होते हैं वे डिडक्शन्स काटने से इनकम कम हो जाय, यह मानने का प्रश्न नहीं आता। डिडक्शन्स को केलक्युलेट करने के लिए नहीं लिया गया है, बेसिक इयर उसके अन्दर नहीं आयेगा, जिसका किसी प्रकार कोई ओब्लीगेशन हो। केवल इतना कहकर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बेसिक इयर को स्वीकार नहीं करता हूँ। जो कि मूल धारा के अन्दर अभी है उसी बात को रखना वाजिब होगा।

इसके बाद जोधपुर के माननीय मित्र ने यह कहा कि कम्पेन्सेशन के एमाउन्ट को हम लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, साल्ट की इनकम को भी इसमें गिन लिया है, एक्साइज़ की इनकम को भी गिन लिया गया है, लेन्ड रेवेन्यू को भी इसमें शरीक कर लिया गया है, वगैरह वगैरह बातें कही गई हैं। अध्यक्ष महोदय, लेन्ड रेवेन्यू के शरीक करने का कारण यह था, यह सही है कि लेन्ड रेवेन्यू का मतलब यह होता है कि जो (land revenue) स्टेट को पे (pay) की जाती है लेकिन

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

जो जमीदार-जागीरदार को पे करता है वह रेन्टस नहीं हो सकता है के वह लन्ड रेवेन्यू जमीदार जागीरदार को पे (pay) करेंगे उस इनकम को भी प्रोवाइड कर लिया गया है। इसके अन्दर लेन्ड रेवेन्यू शब्द है......

श्री हरिकृष्ण व्यास—That cannot be lease money.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जमींदारों के द्वारा पे (pay) की हुई इनकम को इसमें लिया जाय, उसके सिवाय ज्यादा अर्थ लगाने का प्रश्न नहीं आता और इसको मानकर ही चलें। इससे ज्यादा मतलब निकालने की कोशिश करना उपयुक्त नहीं होगा।

दूसरा, इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, हमने कम्पेन्सेशन केलक्युलेट करने में इस आधार को माना है कि जो कि जागीदार की वास्तविक आमदनी है उस आमदनी को मानकर केलक्युलेशन वर्क आउट किया जाय। एक माननीय मित्र ने यह कहा कि सॉल्ट सेन्ट्रल सब्जेक्ट है, एक्साइज़ एक स्टेट सब्जेक्ट है; फिर उसके अन्दर कम्पेन्सेशन देने की बात क्यों आती है? अध्यक्ष महोदय, आज सॉल्ट सेन्ट्रल सब्जेक्ट है, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट को गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से कम्पेन्सेशन दिया जा रहा है, और उसी प्रकार कुछ जागीरदारों को जो राजस्थान के अन्दर हैं और उनकी जागीरों में पहले साल्ट मेन्युफेक्चर होता था या अब भी हो सकता है, उनको कम्पेन्सेशन इस वक्त दिया जाता था गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से। तो साल्ट सेन्ट्रल सब्जेक्ट होते हुए भी न केवल राजस्थान गवर्नमेंट को दिया जाता है बल्कि जागीदारों को भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आज भी कम्पेन्सेशन दिया जा रहा है। उसी कम्पेन्सेशन को इसमें केलक्युलेट करने की बात कही गई है।

उसी प्रकार एक्साइज़ की बात है। लेकिन एक्साइज़ का बोझ सारे जागीरदारों पर लागू नह होगा। कुछ इलाकों के अन्दर कुछ जागीरदारों को एक्साइज का मुआवजा बराबर मिलता रहा है। उस मुआवजे को उस इनकम के अन्दर केलक्युलेट करने के लिए इसको माना गया है। यह आधार इनकम को केलक्युलेट करने का जो है वह यह है कि जो आमदनी इस समय उनको होती है उसको स्वीकार करें, न कि जो आमदनी नहीं हुई हो। वास्तव में कोई ऐसी आमदनी इसमें ऐसी स्वीकार कर ली गई हो, ऐसी बात नहीं है। वह अनुचित बात मालूम होती है। जो आमदनी उन लोगों को होती है उस आमदनी को अस्वीकार कैसे किया जाय, उसके लिए सेफगार्ड (safeguard) रखते हुए उस आमदनी को इसमें स्वीकार किया गया है।

कम्पेन्सेशन के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि कम्पेन्सेशन को तिगना कर दिया जाना चाहिए, बजाय सात गुने के। उनकी दृष्टि में यह ठीक हो कि उन्होंने तिगुनी बात कही बल्कि वह कम्पेन्सेशन नहीं देने की बात भी कह सकते हैं। इन चीजों पर कई बार चर्चा हो चुकी है इसलिए मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा लेकिन एक बात जो दोहराना चाहूँगा कम्पेन्सेशन के संबंध में जो उन्होंने सवा दो सौ रुपये ढाई सौ रुपये जागीरदारों को देने वाली बात कही थी, उस को दोहराया था। उसके संबंध में, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कुछ जगहों के आँकड़े बताना चाहूँगा। आज बिहार में जिसको आमदनी

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

पांच सौ तक की है उनको तीस गुना कम्पेन्सेशन दिया जाता है और एक हजार तक की आमदनी वालों को १६ गुना दिया जाता है, इसमें १५ पर्सेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सेज़ के काटे जाते हैं बिहार के अन्दर। हैदराबाद में ६० पर्सेन्ट एवरेज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सेज(average administrative expenses)काटे जाते हैं, लेकिन दो हजार तक की जिनकी आमदनी है उनको तीस गुना कम्पेन्सेशन दिया गया है और जिनकी आमदनी पाँच हजार तक है उनको पच्चीस गुना कम्पेन्सेशन दिया गया है। सौराष्ट्र के अन्दर १२० एकड़ तक की जमीन है, उनको २१ गुना ग्रोस इनकम का कम्पेन्सेशन २१ साल तक देने की बात कही गई है। आठ सौ एकड़ तक की जमीन है उनको १८ गुना कम्पेन्सेशन की बात कही गई है। सौराष्ट्र के अन्दर यह पाया गया है कि खुदकाश्त की इनकम को ग्रोस इनकम से अलग समझा गया है। उस ग्रोस इनकम में पांच हजार तक१।४उसके आगे जो आते हैं उसको बढ़ाया गया है और इस प्रकार से खुदकाश्त की इनकम को ग्रोस इनकम में केलक्युलेट नहीं कर अलग से माना गया है। इन चीजों को जब हम अपने सामने रखते हैं, इन आधारों को देखते हुए, तो मै समझता हूँ कि ऐसी परिस्थति नहीं हो सकती है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने कोई एक्स्ट्राऑर्डीनरी (extraordinary) इस बात के लिए खजाना खोल दिया कि जिसके अन्दर मनचाहा जागीरदारों को कम्पेन्सेशन दिया गया है। हिन्दुस्तान के अलग-अलग भागों में जो कम्पेन्सेशन दिया गया है उन चीजों को कल्पना में रखा गया है। उन चीजों को सामने रखते हुए और इस बात का आधार सामने रखते हुए कि हम यह चाहते थे कि यह सारी चीज एक समझौते और सहूलियतके साथ निबटाई जाय, हमने इन बातों को देखकर और दूसरे आधारों को सामने रखकर यह फैसला किया और उस फैसले के मुताबिक हमने इन धाराओं के अन्दर उनका समावेश किया है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि जो लिया गया वह ठीक लिया गया है और तजवीज और सुझाव के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक से सजेशन के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं और आगे भी रहेंगे। उसके दो और एक उदाहरण सदन की सूचना के लिए देता हूँ। वह इसको जानते हैं कि एक दूसरे के अन्दर रेन्ट रेटस के अन्दर झगड़ा था, उसको हमने रिवाइज किया। उसी प्रकार दूसरी जगह और ऐसे संशोधन हमारे सामने आये हैं तो हमने निष्पक्षता से विचार कर संशोधन आवश्यक हुआ तो संशोधन को स्वीकार किया है। यह समझकर चलना और यह कह देना कि गलती नहीं कर सकते या गलती को सुधारने के लिये तैयार नहीं होते, मैं उस भाषा में नहीं कहना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि किसी भी पक्ष की वाजिब बात को मानना चाहिए। उनको भी जब वह तरमीम पेश करते हैं, अध्यक्ष महोदय, इस बात को सोचने के लिये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उनकी बात मानी ही जाय, बल्कि वे दूसरों की वाजिब बात को स्वीकार करें। यह तो उचित तरीका हो सकता है। सजेशन की जो बात कही तो जो वह कहें वह उचित ही हो और दूसरे कहें वह उचित नहीं है, यह वाजिब सजेशन का तरीका नहीं होगा।

उन आधारों के ऊपर कम्पेन्सेशन के बारे में सारी चीजों का विचार किया गया है, जो उचित था उसको स्वीकार किया है। मैं समझता हूँ कि जो कम्पेरेटिव फीगर्स मैंने सदन के सामने पेश किये हैं, वैसे सदन के सदस्यों को अलग-अलग जगहों की उन लोगों की जानकारी समय-समय पर मिलती रहती है उन चीजों को सामने रखकर वह देखेंगे कि राजस्थान में जो कुछ किया गया है वह

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

कोई भी इस प्रकार की चीज नहीं है कि इसको अन्य राज्यों के मुकाबले में बहुत एक्स्ट्राऑर्डीनरी तौर से कर दिया है। उसके अन्दर खजाने के ऊपर भार पड़ेगा। यह बराबर कहा जाता है कि वह लेवी लेंगे तो इसलिए लेंगे कि जागीरदारों को मुआवजा देना है। लगान के अन्दर रिवीजन होगा तो इसलिए होगा कि आज जागीरदारों को मुआवजा देना है, गंगानगर में रेट्स बढ़ायेंगे तो कहेंगे कि जागीरदारों को मुआवजा देना है। तो जागीरदारों के मुआवजे की बात हर जगह दोहराना उचित नहीं है।

एक बात और कही है कि चुनाव से पहले कहा गया था कि हम जागीरदारों को समाप्त करना चाहते हैं लेकिन इस बिल को देखने के बाद आप जनता के पास जाँय और चुनाव लड़ें तो स्थिति और तरह की होगी। मैं माननीय मित्र को बतलाना चाहता हूँ कि अभी जो चुनाव हुए तो पंत रिपोर्ट निकल चुकी थी और लोगों को मालूम था और समय मिलने पर उसका पूरा उपयोग भी किया था। इस तरह जो चुनाव पिछले दिनों में हुए तो उन चुनावों के अन्दर जनता ने जो कुछ किया है, जनता ने यह दिखा दिया है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह वाजिब है और जनता के हित के अन्दर है।

असेम्बली के शुरू के वक्त में जागीर रिज़म्पशन व टिनेन्सी बिल और एग्रेरियन रिफोर्म्स की सारी पॉलिसी को देखते हुए चलना होगा, तब परिणाम पर पहुँच सकते हैं। केवल एक कम्पेन्सेशन की क्लॉज को लेकर यह कहना कि यह किया जा रहा है और बाकी के उसके साथ के एडवान्टेजेज़ जो हैं उनकी कहीं चर्चा नहीं लाई जाय यह एक प्रकार से और तरह का हो सकता है। लेकिन इसी बिल में कम्पेन्सेशन व टिनेन्टस और सब टिनेन्टस आदि के मामलों को पहले के एक्ट के मुकाबले में ज्यादा साफ कर दिया गया है। वे सारी चीजें जो थीं उनको देखते हुए चलें तो मैं समझता हूँ कि और कुछ तरह का हो सकता है। मैं सदन के सदस्यों से आशा करता हूँ कि वे सारी चीजों को आज के हालत से देखने का प्रयत्न करें बजाय इसके कि एक-एक तरह से और दूसरे दूसरी तरह से देखें। जैसा कि मैंने निवेदन किया भारत की अन्य रियासतों में जिस तरह से किया गया है उसी तरह से इस पर विचार करेंगे तो मालूम होगा कि जो कम्पेन्सेशन देने का तय किया गया है वह वाजिब किया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—What about proviso ? उस पर आपने अपनी कोई राय नहीं दी है : "Provided that all amounts recovered by the Jagirdar after the 18th February, 1952 whether by way of rents or otherwise, whether recovered in cash or in kind shall be all computed as payments made towards his compensation and rehabilitation grants."

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—मैं समझता हूँ कि इसका सवाल ही नहीं आता। आप जैसा कहते हैं कम्पेन्सेशन देने का सवाल ही नहीं आता कि कब से हम देंगे। तभी से देंगे जब से लागू करने की बात है। इसको आप स्वयं समझते हैं।

श्री जवानसिंह—मैंने जैसा कि शुरू में निवेदन किया था कि क्या यह सरकार की डिस्क्रिमिनेट पोलिसी नहीं होगी जब कि कुछ जागीरदारों के साथ कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट के सिलसिले में कुछ रवैया अख्त्यार किया जाता है और दूसरे के साथ कुछ और रवैया अख्त्यार किया जाता है। फोर्मर राजस्थान के जागीरदारों के साथ दूसरी तरह का रुख अख्त्यार किया जा रहा है। आपको एक ही सिद्धान्त मानकर चलना होगा। दोनों ही तरह के जागीरदारों के पास में रेवेन्यू पोवर्स थीं, यह आप मान लें तो दोनों के साथ न्याय कर सकते हैं। राजस्व मन्त्रीजी ने यह शंका प्रकट की है कि शायद हम पर वैधानिक आपत्ति आवेगी, ऐसा शक मालूम होता है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि यदि ऐसा कोई प्रश्न है तो सदन तैयार है कि वह आपत्ति को सुने और तत्पश्चात् इस पर अपना मत प्रकट करे। मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ एडवोकेट जनरल को बुलाया जाय और उनका जो मत या सलाह है कि कौनसी वैधानिक आपत्ति आती है कि जिससे यह क्लॉज बेकार हो जाता है उसको सदन सुने और फिर अपना मत प्रकट करे। इस कदर क्षत्रिय महासभा और सरकार के आपस में समझौता हुआ और दोनों ने मन्जूर किया वह हमारे सामने है। लेकिन जो असर सरकार पर पड़ता जा रहा है और जो समझौता लिखित रूप से हमारे सामने है उससे पीछे हट रहे हैं और जो चीज मन्जूर हो चुकी है उसको देने में आनाकानी करते हैं, यह दुःख की बात है। यह तो उस वक्त था जब कि पूरा जागीर उन्मूलन नहीं हुआ है। यह उसके पहले की बात है। यदि इस वक्त भी इस तरह की आपत्ति की जा रही है, समझौते से पीछे हट रहे हैं तो वाकई जब कुछ देने का समय आवेगा तो उस समय क्या बात होगी? लेन-देन की बात का वायदा कितना वास्तविक रूप लेकर जागीरदारों की सहायता करेगा या मदद कर पायगा इस पर मुझे शंका है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि एडवोकेट जनरल को बुलाया जाय और उनकी राय ली जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि इसमें ऐसा रखा गया है कि ४६ की बात को एग्री किया गया है। इसके साथ जैसी आपकी मन्शा है, वह ख्याल हुआ तो इन शब्दों को रखने की कोई जरूरत नहीं होगी।

"Government has no desire to make double deduction for the administrative expenditure."

श्री जवानसिंह—एक्सप्लिसिट नहीं है इसलिए जरूरत पड़ी। बाद में और हुक्म निकाल दिया जायगा। That is explanatory. ४६ का हुक्म निकलने के बाद डबल का सवाल आयगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जवानसिंह ने रखा है सीरियल नं० ३८, लिस्ट नं० २ में, उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार हुआ।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री एच. के. व्यास ने रखा है वह स्वीकार किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आवाज धीमी थी।

श्री मथुरादास माथुर—लेकिन थी गंभीर।

श्री अध्यक्ष—फिर से रख दें। प्रश्न यह है कि श्री हरिकृष्ण व्यास ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय। जो पक्ष में हैं वे हाँ कहें और जो विपक्ष में हैं वे ना कहें।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—My Hon'ble Members' 'no' should be recorded on this clause.

श्री अध्यक्ष—If you call for a division and when he votes for it. I will certainly cancel.

श्री जवानसिंह—There will be no occasion for that, Sir.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मथुरादास माथुर ने रखे हैं वे स्वीकार किया जाँय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ३४, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

खण्ड ३४, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड ३५, श्री जवानसिंह।

श्री जवानसिंह—I do'nt want to move it, Sir.

श्री अध्यक्ष- श्री वेदपाल त्यागी।

(अनुपस्थित)

श्री माथुर।

श्री मथुरादास माथुर—Mr. Speaker Sir, it is an amendment to third Schedule.

"In the Third Schedule sought to be substituted in the Principal Act by clause 35 of the Bill for clauses 1 and 2 substitute the following clauses :—

'1. Gross income and net income—Except as otherwise provided the gross and net income of jagir lands for the purpose of this Schedule shall be determined in accordance with the provisions of the Second Schedule.

2. Scale of rehabilitation grant—The rehabilitation grant shall be payable on the following scale—' "

Should I read all this or it is taken as moved ?

श्री अध्यक्ष—We can take it as moved.

श्री मथुरादास माथुर—

"I. Where the gross incom of a Jagirdar does not exceed Rs. 5000/-

(a) if such gross income does not exceed Rs. 250/- ...	eleven times the net income.
(b) if such gross income exceeds Rs 250/- but does not exceed Rs. 500/- ...	ten times the net income.
(c) if such gross income exceeds Rs. 500/- but does not exceed Rs 1,000/-	nine times the net income.

[श्री मथुरादास माथुर]

(d) if such gross income exceeds
Rs. 1000/- but does not exceed
Rs. 2,000/- ... eight times the net income.

(e) if such gross income exceeds
Rs. 2000/- but does not exceed
Rs. 3,000/- ... seven times the net income.

(f) if such gross income exceeds
Rs. 3000/- but does not exceed
Rs. 4000/- ... six times the net income.

(g) if such gross income exceeds
Rs. 4000/- but does not exceed
Rs. 5000/- five times the net income.

Provided that for the purpose of calculating the rehabilitation grant payable to a jagirdar fall in this category such marginal adjustments shall be made as will ensure that a jagirdar having a higher gross income does not get an amount by way of rehabilitation grant which is less than that payable to a jagirdar having a lower gross income.

II. Jagirdars whose gross income exceeds Rs. 5000/-

(a) if such gross income exceeds
Rs. 5000/- but does not exceed
Rs. 20000/- ... four times the net income.

(b) if such gross income exceeds
Rs. 20,000/- but does not exceed
Rs. 30,000/- ... three times the net income.

(c) if such gross income exceeds
Rs. 30,000 ... Twice the net income-

Provided that in respect of a jagirdar falling in this category, the afore said multiples shall be so adjusted that the total amount of compensation shall be equal to ten times the net income of his jagir lands if such income were calculated under clause 4 of the Second Schedule and the deductions to be made under sub clause (iv) of that clause were on the following scales.

(1) on the first Rs. 500/- of gross income ... 10%

(2) on the next Rs. 5000/- of gross income ... 15%

[श्री मथुरादास माथुर]

(3) on the next Rs. 10000/- of gross income ... 25%

(4) on the next Rs. 30000/- of gross income ... 40%

(5) on the balance of gross income ... 50%

III. In the Third Schedule clause 3 the words and figures 'section 6 and 7' occuring at the end shall be substitutied by the words and figures 'section 6 or section 7".

यह तरमीम इसलिये पेश की गई है कि आखिर ही आखीर में नैनीताल में पंतजी के यहां पर क्षत्रिय महासभा के नुमायन्दों और राजस्थान सरकार के दर्म्यान जो समझौता हुआ उसको आधारभूत समझकर, अमेन्डिग बिल में इनकोर्पोरेट (incorporate) करने के लिये यह तरमीम पेश करने की जरूरत पड़ी है। इसके ऊपर ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है, क्योंकि उधर के साथियों ने और इधर के साथियों ने इसको माना है और जहां तक एक साथी का संबंध है उनकी विचारधारा शुरू से ही मेल नहीं खा रही है। इसलिये उनको संतोष दिलाना मेरे लिये मुमकिन नहीं होगा; इसलिये मैं उसका प्रयत्न नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष—I will give him satisfaction.

श्री मथुरादास माथुर--How Sir ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—I think in anticipation.

श्री मथुरादास माथुर—The House will be obliged for that.

श्री अध्यक्ष—I am going to satisfy you now by giving him opportunity to have his say.

श्री मथुरादास माथुर--इसलिये इन लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी तजवीज पेश करता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे मित्र माननीय श्री डीडवाने से आये हुए सदस्य, ने जो संशोधन रखा है उसके बारे में खास कुछ नहीं कहना है। माननीय अध्यक्ष, मुझे अपना खुद का संशोधन रखना है और उसका ताल्लुक है ५०० से कम आमदनी वाली जागीरों से। माननीय मित्र को उधर नजर दौड़ाने से कोई खास फायदा नहीं है, उनको फायदा है दूसरी ओर नजर दौड़ाने से। My amendment, should I take it as moved.

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री हरिकृष्ण व्यास (संशोधन इस प्रकार हैं)—

"In the proposed new 'The Third Schedule' delete The Third Schedule

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

and substitute in its place the following :—

"The Third Schedule"
(See Section 38A)

1. Gross income and net income. For the purposes of this schedule the gross income and net income of Jagir lands shall be determined in accordance with the provisions of the Second Schedule.

2. Scale of Rehabilitation Grant. The Rehabilitation grant shall be payable on the following scale :—

(a) On the first Rs. 5000/- of gross income.	Five times of the net income.
(b) On the next Rs. 15,000/- of gross income.	Equal to the net income.
(c) On the next Rs. 10,000/- of gross income.	Half the net income.
(d) On the balance of gross income.	One tenth of the net income.

3. The administrative charges referred to in sub-clause (iv) of clause 4 of the second Schedule shall be calculated to be at least as follows :—

(i) On the first Rs. 5000/- of gross income	10%
(ii) On the next Rs. 5000/-	25%
(iii) On the next Rs. 10,000/-	40%
(iv) On the next Rs. 30,000/-	$66 \frac{2}{3}$%
(v) On the balance of gross income.	75% "

माननीय अध्यक्ष, मैंने जो तीसरा शीड्यूल है उसको रीड्राफ्ट करके पेश करने की कोशिश की है। इसका उसूल क्या हो, इसको पेश कर दूं आपकी आज्ञा से। इसका उसूल हो ग्रेडेशन का। जैसे जैसे आमदनी की मिकदार बढ़ती जाय वैसे वैसे रिहेबिलिटेशन की रकम के आँकड़े कम होते जाँय और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ की मिकदार बढ़ती जाय, यह इसका उसूल हो। दर असल कम्पेन्सेशन का प्रश्न एक अलग सूरत का प्रश्न है। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि एक निश्चित आमदनी तक तो रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट की आवश्यकता होती है और इसीलिये वह ५०० से कम की आमदनी वाला सुझाव है। मेरे मित्र का उनकी तरफ मैंने गौर नहीं किया। जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ देने में कोई इन्कार नहीं कर सकता। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाय

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

वैसे वैसे रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट के आंकड़े क्या हों, इसके लिये मैंने संशोधन रखा है। जिस प्रकार का, अभी तीसरा शिड्यूल में प्रस्तावित है, उतने का उतना रखा है; परन्तु इसके बाद।

"On the next Rs. 15000/- of gross income"

वहाँ शायद फोर टाइम्स रखा है, मैंने संशोधन कर दिया है। "equal to the net income."

"पहली ५००० की ग्रोस इन्कम पर, नेट इन्कम का फाइव टाइम्स।

दूसरी १५००० की ग्रास इन्कम पर इक्वल टू दी नेट इन्कम।

फिर आगे की १०,००० की ग्रोस इन्कम पर हाफ ओफ दी नेट इन्कम।"

फिर जब २५ और ३० हजार तक ग्रोस इन्कम पहुँच जाती है तो यहां रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट देने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिये मैंने यहां १।१० तक का संशोधन रखा है -

यह तो हुआ, जहां तक रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट का सवाल है। जब एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ के बारे में भी जो पहली ५००० ग्रोस इन्कम में १।१० का अंदाज लगाया गया है वहां वैसा ही रहने दिया लेकिन नेक्स्ट ५००० पर २५ पर्सेंट, उससे नेक्स्ट १०००० पर ४० पर्सेंट और उससे नेक्स्ट ३००० पर ६६ सही २।३ परसेंट और फिर बेलेंस ओफ ग्रोस इन्कम पर ७५ परसेंट रखा है।

तो यह बात जिन-जिन मेरे मित्रों ने कही हैं, उन्होंने उसूलन तो कुबूल किया कि रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट की आवश्यकता विशेषकर छोटे तबकों को है, बड़े तबकों को आवश्यकता नहीं है। यह भी कुबूल किया कि जैसे जैसे आमदनी की मिकदार बढ़ती जाय वैसे वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ की मिकदार भी बढ़ती जावे।

एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ में केवल वसूली का खर्चा ही आ जाना चाहिये। यह अगर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ की परिभाषा समझी जाय तो इसकी यह एक बहुत ही खतरनाक परिभाषा मानूंगा क्योंकि वसूली के खर्च के अलावा सार्वजनिक कामों के लिये खर्चा भी इन्क्ल्युडेड था। राजस्थान सरकार को उन सभी इलाकों में यह सुविधा देनी चाहिये। यह काम अमूमन जागीरदारों की आमदनी में से ही होना चाहिये। तो इस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ के स्केल बढ़ जानी चाहिये जहां कि आमदनी बढ़ती जाय। ४०-५० हजार की आमदनी के ४० या ५० या हद १०० जागीरदार होंगे। तो इस तरह केवल १०० केसेज़ में मेरे संशोधन का असर पड़ेगा। सिर्फ ५० या १०० आदमी ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हमारे साथ राजस्थान सरकार ने अन्याय किया, वहाँ करोड़ों आदमी ऐसे होंगे जिनको राहत मिलेगी और यह रकम हँसी-खुशी से स्कूलों, सड़कों, अस्पतालों और इसी प्रकार अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिये इस्तेमाल की जायगी। एक ओर ५० या १००

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

आदमियों की नाराजगी है और दूसरी ओर करोड़ों आदमियों की भलाई है। अब इन दोनों में से सरकार कौनसा रास्ता चुनना चाहती है, यह देखना है।

डीडवाना से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाना मुश्किल है, पर आपने इसे उसूलों से भी तोला कि ५० आदमियों को व्यक्तिगत दृष्टि से नुकसान तो होता है पर इसके एवज में करोड़ों आदमियों का भला होता है तो इन दोनों में से हमें किस ओर राय देनी चाहिये और इसका नतीजा यही निकलेगा कि इस प्रकार के संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय। इसलिये अन्त में मेरा यही सुझाव है कि छोटे आदमियों के बारे में ही इसको स्वीकार कर लें, परन्तु जैसे जैसे मिकदार बढ़े, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ बढ़ाने चाहिये। यहां उदारता से कोई लाभ नहीं, चंद लोगों को फायदा होगा और करोड़ों आदमियों को नुकसान होगा। जहां सरकार के काम से करोड़ों आदमियों को नुकसान होता हो वहां सरकार का हाथ पकड़ लें। पर यह मेरे करने से नहीं होगा। जो सदस्य उधर बैठे हैं उनके करने से हो सकता है। वैसा करने से शिकायत तो चंद आदमियों की तरफ से होगी, पर करोड़ों आदमी आपको धन्यवाद देंगे।

अन्त में मैं सदन से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज को बढ़ाने और रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट को कम करने का मेरा जो यह संशोधन है, उसे स्वीकार किया जावे। मुझे आशा है कि यह स्वीकार कर लिया जावेगा।

डीडवाने से आये हुए मित्र ने जो संशोधन रखा है उसके बारे में मैं कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझता।

श्री मथुरादास माथुर—I may request you (Shri H. K. Vyas) to keep patience.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Then I need not request because I will also have some hand in deciding.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में हमारे जोधपुर से आये हुए मित्र का जवाब देने का प्रश्न रहता है। लेकिन मैं किसी बहस में उलझना उचित नहीं समझूंगा कि हम इस बारे में चर्चाओं से पड़ जायँ। यह चीज बहुत विचार-विनिमय के बाद ही सोच-समझ कर तय की गई है। अगर इस बारे में और कहा जाय तो पहली धाराओं के बारे में जो जो कह चुका हूँ उनको दोहराना पड़ेगा। उन सब बातों को बगैर दोहराये यही कहूँगा कि वैसे कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन को रखा गया है, दर असल ऊपर वालों को रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट देने का नहीं था, कम्पेन्सेशन के नाम से जो था उसी को ब्रेक ओफ करके इस पर लिया गया है। एमाउन्ट से दो राय हो सकती है, परन्तु दूसरे राज्यों से और जो दूसरे इस बारे में जानकारी

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

रखते हैं उनसे बात-चीत करके जो उचित था उस पर पूरा पूरा विचार करके फिर यह सब कुछ तय किया गया हैं। जो कुछ तय किया गया है वह वाजिब है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मथुरादास माथुर ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री हरिकृष्ण व्यास ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ३५, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

खण्ड ३५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना

(विराम)

Now we take clause 13.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, इस धारा के सम्बन्ध में काफी वाद-विवाद हुआ और इस बिल की यह एक महत्वपूर्ण धारा है इसलिए इस पर कई प्रकार के संशोधन आये और इसमें यह कहा गया कि किसानों के बेदखली के प्रश्न इसमें खुलते हैं। मैं इस सम्बन्ध में यह कह देना चाहता हूँ कि पहले मूल एक्ट में जो धारा थी उसमें संशोधन करके एक धारा इस प्रकार की लाई गई कि जिस जागीरदार ने सन् १९४८-४९ के पहले लगातार ५ साल तक खुद काश्त करते रहे हैं और उसके बाद उन्होंने किसी को एक साल के लिए दे दी हो, उनको यह अधिकार होगा कि वे जमीन वापिस प्राप्त कर सकें। इसका मतलब यह हो सकता है कि ऐसे जागीरदार हो सकते हैं जिनकी तादाद बहुत कम हो, जो पहले खेती करते रहे हों और बाद में एक साल के लिये

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

किसी दूसरे किसान को खेती करने के लिए दे दी हो और उसके बाद आर. पी. टी. ओ. आ जाने से उनको उस जमीन पर वापिस खेती करने का मौका नहीं मिला हो तो उनको उनकी जमीन वापिस नहीं दिलाना, यह उचित नहीं है। क्योंकि वे खुद भी काश्तकार के रूप में है, चाहे वे जागीरदार भी हों। इस दृष्टिकोण से यह धारा रखी गई है। लेकिन इसके बाद एक बात और हमारे सामने लाई गई और एमेंडमेन्ट मूव किया गया कि इस बीच में किसी को खातेदार के मातहत और अन्तर्गत जमीन से बेदखल करके किसी दूसरे को जमीन देना ठीक नहीं होगा। इस पर काफी विचार किया और मैं समझता हूँ कि किसी को खातेदारी या वापीदार के हकूक प्राप्त हुए हैं उसको अगर जमीन से बेदल किया जाता है तो वाजिब बात नहीं होगी। इसलिए मैं श्री नाथूरामजी मिर्धा ने जो एमेंडमेन्ट मूव किया है उसको मानने में सहमत हूँ। इसके साथ साथ एक एमेन्डमेंट इस आशय का मूव किया है कि इसमें सब क्लॉज़ (७) है वह इस प्रकार रीड करता है :

"(vii) Any cultivated or culturable land held by a tenant of the jagir land other than a khatedar tenant, the allotment of which as Khudkasht may be recommended in the prescribed manner by the Commissioner for Khudkasht lands; and"

इसको डिलीट करने के लिए कहा गया है। मैं समझता हूँ कि पंत रिपोर्ट को देखने से और उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया गया है कि किसी को बेदखल करके और जमीन देने के सिवाय १९४८-४९ की केटेगरी है उसके अलावा किसी बात को स्वीकार नहीं किया गया है। पंत रिपोर्ट से भी यही प्रतीत होता है और हमने शुरू से कहा है और कहते आये हैं कि सरकार की आधारभूत नीति है कि जो जमीन पर काबिज है उसकी जमीन नहीं छीनी जाती है। इस दृष्टि से इस धारा को हटाने के लिए जो चीज है उसको भी मैं स्वीकार करता हूँ।

एक एमेंडमेंट मूव किया गया है जो वह है कि जो पानी पीने के तालाब वगैरह का जो केचमेंट एरिया है उसके बारे में श्री मोतीलालजी ने पेश किया है कि उसको खुदकाश्त के लिए मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इससे किसी को एतराज नहीं हो सकता। इसे भी मैं स्वीकार करता हूँ।

इनके अलावा जितने भी एमेंडमेन्ट हैं उनको मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं। इसलिए मैं इस आशा के साथ यह कहूँगा कि सदन इस धारा को स्वीकार करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३ में जो संशोधन श्री तनसिंहजी ने रखा है स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

Page No.60

श्री अध्यक्ष—अब प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री एच. के. व्यास ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, इसमें एक कठिनाई उपस्थित होगी। मेरे संशोधन में (७) को डिलीट करने का अंग है उसको सरकार ने मान लिया है। अगर पूरे एमेंडमेन्ट पर मत लिया जावेगा तो यह पार्ट भी उसमें आ जावेगा और जब वह पूरा एमेंडमेन्ट गिर जावेगा तो यह पार्ट भी गिर जावेगा। इसलिए इसको छोड़ कर मत लिए जावें।

श्री अध्यक्ष—यह तो सरकार ने मान लिया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप पूरे एमेंडमेन्ट पर मत लेंगे।

श्री अध्यक्ष—जो संशोधन क्लॉज़ १३ के बारे में श्री एच. के. व्यास ने रखा है :

"Delete the proposed and original clause (iii)."

क्या सदन को यह स्वीकार है?

(अस्वीकृत)

संशोधन का यह अंग अस्वीकार किया गया।

(विराम)

आगे इस अंग (दूसरे भाग) को वापिस ले सकते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप इसको छोड़ कर बाकी पर वोट ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—आप इसको विथड्रा कर लीजिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House?

(स्वीकृत)

Leave is granted.

श्री हरिकृष्ण व्यास—(७) के सिलसिले में जो भाग है उसको मैं वापिस लेता हूँ।

Page No.61

श्री अध्यक्ष—क्लॉज़ १३ में श्री एच. के. व्यास ने जो संशोधन रखा है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो एमेंडमेन्ट श्री चाँदमल मेहता ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

श्री चाँदमल मेहता—मैं अपना एमेंडमेन्ट वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House?

(स्वीकृत)

Leave granted.

श्री चाँदमल मेहता—मैं अपना एमेंडमेन्ट वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री नाथूराम मिर्धा ने जो एमेंडमेन्ट रखा है उसको स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री भैरूँसिंहजी ने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन-श्री मोतीलाल चौधरी ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

संशोधन स्वीकृत हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १३, संशोधित रूप से स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत किया गया)

खण्ड १३, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने ।

(विराम)

खण्ड १७, श्री मोहनलाल सुखाड़िया ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज़ को स्थगित करने का खास विचार यह था कि सिरोही से आने वाले एक मित्र ने एक संशोधन इस आशय का पेश किया था कि जो तालाब के पेटे में पानी सूखने के बाद रहे उस पर काश्त करने का अधिकार जागीरदारों को होना चाहिए और यह खास तौर से फोर्मर राजस्थान के कुछ इलाकों और जयपुर के कुछ हलकों में हो सकती है । वे माननीय मित्र यहाँ पर मौजूद नहीं हैं । मैं समझता हूँ कि उनको कोई एतराज नहीं हो तो उनके इस एमेंडमेन्ट को इस रूप में नहीं लेकर इस प्रकार लिया जा सकता है :

"Provided that nothing contained in clause (d) shall affect the rights of the Jagirdar in any portion of a tank which may be in the personal cultivation of the Jagirdar."

इन शब्दों से मैं समझता हूँ कि उनके सेन्स की पूर्ति हो जाती है । बाकी शब्द उनके संशोधन से हटा दिये जावें तो मुझे स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं होगा । इसके अलावा जितने संशोधन हैं उनको स्वीकार करने में असमर्थ हूँ ।

श्री अध्यक्ष—I think this serves his purpose.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—"Provided that nothing contained in clause (d) shall affect the rights ....."

श्री अध्यक्ष—मुझ को दे दीजिए ।

(कुछ विराम के अनन्तर)

[श्री अध्यक्ष]

The proviso to be added to clause 17, I read it out; "Provided that nothing contained in clause (d) shall affect the rights of the Jagirdar in any portion of a tank which may be in the personal cultivation of the Jagirdar."

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १७ के इस संशोधन को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

यह संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री चाँदमल मेहता—मुझे रिप्लाई देना है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मथुरादास माथुर ने खण्ड १७ के लिए रखा है उसको स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो खण्ड १७ में श्री हरिकृष्ण व्यास ने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि रावत श्री शम्भुसिंह ने जो संशोधन रखे हैं स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुए।

(विराम)

प्रश्न यह है कि............

श्री चाँदमल मेहता—मुझे जवाब देना है, माननीय अध्यक्ष!

[श्री चाँदमल मेहता]

अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ के सम्बन्ध में मैंने जो एमेंडमेन्ट्स भेजे थे उन एमेन्डमेंट्स के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया है। इससे मैं मानता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय ने उन एमेंडमेन्ट्स को पढ़ने का कष्ट भी नहीं किया है।

(विपक्ष द्वारा हँसी)

एक संशोधन तो टेक्निकल है और उस टेक्निकल अमेंडमेन्ट को माननीय मन्त्री महोदय को मान लेना चाहिए। मैं खास तौर पर माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ सब क्लाज़ थर्ड में :

"(b) (iii) of Sub-section (1) of Section 23 of the Principal Act—

Delete 'or house sites' in line three.

Delete 'and (ii)' in the same line "

अगर माननीय मन्त्री महोदय ध्यान से इसे पढ़ते तो उनको पता चलता कि जो शब्द इस्तेमाल किये गये हैं वे वाकई कितने आवश्यक हैं। क्योंकि जो क्लाज़ दिया गया है उसमें अमेंडमेन्ट किया गया है और वह उसके खिलाफ जाता है, यदि इसको नहीं रखते हैं। वे उसको पढ़ लेते तो शायद यह कहने का मौका ही नहीं आता। यह बात बताती है कि माननीय मन्त्री महोदय ने जो दूसरे अमेंडमेन्ट दिए हैं उनको पढ़ने की कोशिश नहीं की है।

(हँसी)

जहाँ तक (डी) का सवाल है वहाँ तक मैंने एक शब्द "Jagir and land" के बीच में "Or khalsa" एड करने के लिए अमेंडमेंट पेश किया है। अगर उसको माननीय मन्त्री महोदय थोड़ी देर के लिए सोचते तो उसमें उन्हें पता लगता कि इसमें यह बात कही गई है कि जो ऐसे तालाब हों जो कि जागीर और खालसा के बीच हों और अगर उससे खालसे की जमीन को पानी मिलता हो तो वे तालाब जागीर में नहीं रहने चाहियें। अगर माननीय मन्त्री महोदय इस संशोधन को ध्यान से पढ़ते तो ऐसी बात नहीं होती कि वे उसका उत्तर न दें।

सब क्लॉज़ (डी) में जो तालाब के बारे में कहा गया है उस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि जो तालाब जागीरदारों के पज़ेशन में दिये गये हैं वे पशुओं के पीने के पानी के काम में आने चाहिये और इन्सान के उपयोग में आने चाहिये। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिनके लिए इन्कार नहीं किया जा सकता। मैं ऐसा मानता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय के दिमाग में यह चीज

[श्री चाँदमल मेहता]

है कि खास तौर पर कोई उनके जो मर्जी के व्यक्ति हों उनके ही अमेंडमेंट स्वीकार किये जांय और दूसरों के नहीं।

(विरोधी पक्ष द्वारा 'हियर हियर')

अगर उनकी वह विचार धारा है, तो वे उसको निकाल दें और देखें कि वाजिब अमेंडमेंट है या नहीं। वे देखें कि जो टेक्निकल बातें कही गई हैं वे मानने काबिल हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—और कोई, श्री भैरोंसिंहजी वगैरह जवाब देना चाहते हैं?

('नहीं' इस प्रकार की आवाज)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जो अमेंडमेंट पेश किये गए, मैंने उनको भी देखा है और माननीय मित्र ने जो भाषण दिये उनको ध्यानपूर्वक सुना भी है। सदन में जो बहस हुई उस समय मैं उपस्थित भी था।

श्री चाँदमल मेहता—माननीय मन्त्री महोदय अनुपस्थित थे जब कि मैं चारों अमेंडमेंट मूव कर चुका था।

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हो सकता है कि मैं किसी एक मामले पर उपस्थित नहीं होऊं किन्तु वैसे तो मैं उपस्थित था।

जो अमेंडमेंट मेरे माननीय मित्र द्वारा प्रस्तुत किए गये उनको मैंने पढ़ा है। उसमें उन्होंने कहा कि तालाबों पर नहाने की गुन्जाइश होनी चाहिए, पीने के पानी की और पशुओं के लिए पानी की छूट होनी चाहिये। तो मैं समझता हूँ कि यह तो राइटस है इनके लिए कोई इन्कार नहीं कर सकता। इस प्रकार के अमेंडमेंट लाने की कोई आवश्यकता नहीं। यह चीज तो इम्प्लाइड (implied) है कि इन कामों के लिए कोई इन्कार नहीं करेगा, जैसे पशुओं के पीने का पानी, नहाने के लिए इत्यादि। इन अमेंडमेंटस की आवश्यकता नहीं महसूस करते हुए ही मैंने उनका कोई जवाब नहीं दिया है। मेरा यह खयाल था कि वे अपने आप ही समझ जावेंगे, जब कि मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ कि इस प्रकार के अमेंडमेंटस को लाने की आवश्यकता ही नहीं है। जो स्वीकार करने की बातें थीं वे स्वीकार कर ली गईं। इस प्रकार के जो दूसरों के अमेंडमेंटस थे उनका भी जवाब नहीं दिया गया तो आपके संशोधनों का कैसे उत्तर दिया जा सकता था ?

(हंसी)

Page No.66

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

श्री चाँदमल मेहता—मेरा जो अमेंडमेंट है वह टेक्निकल है और मैं समझता हूँ कि यदि उस ओर ध्यान दिया जाता तो उसको स्वीकार कर लिया जाता। मेरा अमेंडमेंट यह है कि "or house site" तथा "and (ii)" हटा दिया जाय। इसके सम्बन्ध में जवाब नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—आपने देखा नहीं, अब आपको ये दिखला रहे हैं।

(हंसी)

आपने उनको बुलाया नहीं। बुलाकर डिस्कस कर लेते तो हाउस का टाइम सेव हो जाता।

(विराम)

श्री हरिकृष्ण व्यास—कम से कम आपकी पार्टी वालों से तो सम्बन्ध अच्छे रखने चाहिये

(विराम)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जगतसिंह झाला ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अन्य संशोधन, श्री जवानसिंह के संशोधन के शेष भाग स्वीकार किये जाँय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुए।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरोंसिंह ने रखा है वह स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

संशोधन अस्वीकृत हुए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसमें हाउस साइट की जो बात कही गई है वह दूसरे सेक्शन में रिपीट होती है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझ नहीं पाया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—प्रिन्सिपल एक्ट में।

श्री अध्यक्ष—प्रिन्सिपल एक्ट नहीं, क्लाज १७ में बताइए।

(विराम)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उनका जो अमेंडमेंट है उसमें "'and (ii)' dropping the last letter 's' of the word 'clauses' in the last line."

श्री अध्यक्ष—I have not been able to follow, amendment No. 76 ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—In the third line dropping the last letter 's'

इसमें इसको ड्रॉप करने की बात कही गई है। "and (ii)" यहाँ रिपीट हुआ है, (iii) में उसको ड्रॉप करने की बात है।

श्री अध्यक्ष—इसके अलावा और सब स्वीकार करते हैं।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—यह क्लॉज किस प्रकार रीड करेंगे। इसको जरा पढ़कर सुना दीजिए।

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, यह क्लॉज इस तरह अब रीड होगा।

"All private buildings, places of worship, and wells situated in, and trees standing on lands included in such enclosures or house sites......

श्री अध्यक्ष—Section 23 ?

श्री चांदमल मेहता—"Included in such enclosures or house sites, as are specified in clause (1) above, or land appertaining to......"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १७ में, प्रिन्सिपल एक्ट के सेक्शन २३ के सब

[श्री अध्यक्ष]

सेक्शन (३) में जो श्री चाँदमल मेहता का अमेंडमेंट है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

यह संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

श्री चांदमल मेहता – माननीय अध्यक्ष, मेरे दूसरे अमेंडमेंटस माननीय मन्त्री स्वीकार करने की स्थिति में मालूम नहीं दिखाई देते; अतः मैं उन्हें वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि श्री चाँदमल मेहता अपने शेष संशोधन वापिस लें।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपने शेष अमेंडमेंट वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड १७, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड १७, संशोधित रूप से, स्वीकार किया गया।

(विराम)

खण्ड २२, श्री सुखाड़िया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, इस धारा के सम्बन्ध में कल काफी वाद-विवाद हुआ था। उसमें यह बात रखी गई थी कि अच्छा यह हो कि कम्पेन्सेशन और रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट के रूप में जो रुपया जागीरदार को मिलता है वह आपस में बराबर बराबर बाँट दिया जाय। एक सदस्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि बड़ों को तो बहुत मिल चुका है इसलिए छोटों को सब बाँट दिया जाय। कई तरह की चर्चायें इस सम्बन्ध में हुईं। कानून बनाते समय हमने तय किया कि कम्पेन्सेशन उन्हीं को दिया जाय जो इस वक्त जागीरों के मालिक हों और जिनके कब्जे में जागीरें हों, उन्हीं को कम्पेन्सेशन देने की बात आती है। बाकी के कम्पेन्सेशन बाँटना या न बाँटना यह तो उनके पर्सनल रूल्स से गाइड होता है। हम उसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं कर सकते। अगर हम इस समय इस तरह का संशोधन करते हैं तो कोई न्यायोचित नहीं है। इसलिए जो संशोधन दांता रामगढ़

श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

से आने वाले सदस्य ने रखा है उसे स्वीकार करने में असमर्थ हूँ और सदन से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस धारा को मूल रूप में स्वीकार कर लें।

श्री भैरोंसिंह (दाँता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, जिस समय मैंने संशोधन प्रस्तुत किया था उस समय भी इस सदन में काफी बहस हुई थी। कई माननीय सदस्यों ने मेरी विचार-धारा का समर्थन किया, उन्हें मैं सर्व प्रथम धन्यवाद अर्पित करता हूँ। किन्तु साथ-साथ माननीय राजस्व मन्त्री से जब यह सुना कि कानून बनाते समय हम इस प्रकार की धाराओं को कानून में नहीं जोड़ सकते हैं, जिनके कारण कानून का मतलब ही शायद दूसरा हो जाय तो मैं राजस्व मन्त्री को यह बताऊँगा और उनको ठीक ढंग से, समझाने की कोशिश करूंगा कि कानून का मतलब अगर ठीक ढंग से, ठीक प्रकार से लागाया जाय, उल्टा नहीं; तो काफी संख्या वाले लोगों को राहत पहुँचाने वाला हो सकता है। हमारे सामने दिक्कत यह आती है कि जिस वक्त जो संपत्ति लें......

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member will only make a reply and will not give a fresh speech.

श्री भैरोंसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) उनको उसके लिए रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट दे सकते हैं। मैं मानता हूँ कि कानून की दृष्टि से वह उचित है, किन्तु हम ऐसा भी कानून बना सकते हैं कि जब कोई जागीर समाप्त हो रही है तो उस जागीर पर भिन्न-भिन्न लोगों का अधिकार है उनको उसका हिस्सा दें। आज जो जागीरदार जागीरी रिज़म्पशन एक्ट की मातहत अपनी जागीरों को समर्पित करता है तो उसमें सरकार का दृष्टिकोण यह होना चाहिये और सरकार को यह देखना चाहिये कि उस जागीर पर कब्जा जागीरदार का है या जागीरदार के अन्य छुट भाइयों का इस प्रकार कब्जा साबित करने के लिये उसको कानूनी रूप में लाने के लिये हमें हिस्टोरिकल बैक ग्रान्ड (historical background) देखना पड़ेगा, यह देखना पड़ेगा कि हिस्टोरिकल बैक ग्राउन्ड के आधार पर यह किनको मान्यता देता है। जागीरों पर जागीरदार अपना कब्जा इकाई के रूप में रखने के लिये छुट भाइयों को छोड़ते जाते थे। वे बेचारे सिर्फ अपने मेन्टीनेन्स अलाउन्स में सन्तोष करते थे। इस तरह से जागीरों की इकाई के रूप में मान्यता चली आती है। लेकिन आज जब जागीरें स्वयं समाप्त हो रही हैं तो उसकी इकाई का सिद्धान्त हमारे सामने नहीं होना चाहिये। इस तरह से विघटित हुई जागीर पर केवल जागीरदार का कब्जा नहीं किन्तु छुट भाइयों का भी कब्जा है।

जिस वक्त जागीरें समाप्त की जाती हैं तो वह सब की सम्पत्ति है और सब की सम्पत्ति होने के नाते जिस वक्त उस पर अधिकार किया जाता है तो हमें यह मान्यता देनी पड़ेगी कि जिन छुट भाइयों को मेन्टीनेन्स अलाउन्स मिलता है उनको भी रिहेबीलिटेशन ग्रान्ट में और मुआवजे में हिस्सा दिया जाय क्योंकि जिस इकाई को आप ले रहे हैं यह इकाई सारे भाइयों की सम्पत्ति है। इसलिये इस चीज को कानून में रखना आवश्यक हो जाता है। इन कार्यों को जिस वक्त सरकार अपने कब्जे

[श्री भैरोंसिंह]

में करे उस सारी कॉन्सोलिडेटेड सम्पति पर सरकार द्वारा अधिकार करने से पहले जिनका कब्जा हो उन पर उनसे क्लेम्स लिये जांय। उनके क्लेम्स सुनने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि आज तक यह सम्पत्ति सारे भाइयों की मिली हुई सम्पत्ति है। उसके पश्चात् जो मुआवजा या रिहेबीलिटेशन ग्रान्ट मिलती है उन सब को बराबर बाँट दिया जाय। इस तरह से इस कानून में किसी तरह की खामी नहीं होगी और इसी प्रकार से हम इस कानून को डेमोक्रेटिक बना पायेंगे और इस कानून का फायदा खासतौर से गरीबों के लिये होगा।

इसलिये मैं फिर निवेदन करूंगा माननीय मन्त्री जी से कि इस पर वे फिर सोचें और मैं तो यह कहूँगा कि कल यह संशोधन जब इस प्रकार का आया था तो जागीरदारों ने उनसे सहमति प्रकट की और उन्होंने भी ऐसा कहा था कि ऐसा कानून होना चाहिये। दलील महज यह है कि इसका रूप क्या हो ? अगर मेरे वर्डिंग ठीक नहीं है तो इसको ठीक तरह से ठीक वर्डिंग में एडजस्ट किया जा सकता है पर मूल सिद्धान्त से दूर नहीं जाया जा सकता मतभेद सिर्फ भाषा से है। इससे मैं यह मानता हूँ कि आप स्वीकार तो करते हैं इस सिद्धान्त को, पर कानूनी रूप इसको क्या दिया जावे इस पर विचार करना है। मैं समझता हूँ कि आपके पास साधन हैं और इस प्रकार से आप इसको कानूनी शक्ल दे सकते हैं, अपनी लीगल एडवाइज़ ले सकते हैं। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि इस वक्त तो इसे स्वीकृति दें। फिर कानूनी रूप देने के लिए इसको शाम तक के लिए पोस्टपोन कर दें। इस बीच कानूनी एडवाइज़ आप इस पर ले लें और कानूनी शक्ल भी इसे देने के लिए वर्डिंग्स भी तैय कर लें। इस प्रकार इसको कानून में एडजस्ट करें तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि भैरोंसिंहजी ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जावे। जो संशोधन के पक्ष में हों वे हाँ कहेंगे जो विपक्ष में हों ना कहेंगे।

(मतदान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता, 'ना' पक्ष जीता ?

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६) Ayes have it, Sir.

श्री मथुरादास माथुर—Noes have it, Sir.

श्री अध्यक्ष—(श्री भैरोंसिंह से) Do you want division ?

श्री भैरोंसिंह—Yes, Sir.

(विभाजन घन्टी के पश्चात् सदन में परस्पर बातचीत होने पर)

श्री अध्यक्ष—Order please ! order !!

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरोंसिंहजी ने खण्ड २२ के अन्तर्गत रखा है उसे स्वीकार किया जावे। जो पक्ष में हों वे हाँ कहेंगे और जो विपक्ष में हों वे 'ना' कहेंगे।

(मतदान के पश्चात्)

[श्री अध्यक्ष]

'ना' पक्ष जीता, 'ना' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह—Ayes have it, Sir.

श्री मथुरादास माथुर—Noes have it, Sir.

श्री अध्यक्ष—Those who are for the amendment will please stand.

श्री वेदपाल त्यागी—We want clear cut division.

श्री अध्यक्ष—This is a form of division. Those who are in favour of the amendment will please stand. (कुछ क्षणों पश्चात्) Please stand for Ayes.

श्री भैरोंसिंह—No, Sir.

श्री अध्यक्ष—If they want, their names can be recorded.

(कुछ सदस्यों के खड़े होने के पश्चात्)

The rest are NOES.

श्री वेदपाल त्यागी—There can be neutrals as well.

श्री अध्यक्ष—AYES are 11 and the rest I take as NOES.

The calculation is there.

(विराम)

the 'NOES' have it, 'NOES' have it. The amendment is rejected.

(विराम)

Now the question is that clause 22 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 22 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 32, Shri Sukhadia.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, कल इस सम्बन्ध में विरोधी दल के नेता

Page No.72

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

की ओर से यह बात कही गई थी कि हमने जो बातचीत की उसके दौरान में गवर्नमेंट अपने जागीरदारों के जो पेंशन प्राप्त सर्वेन्टस हैं उनको पेन्शन नहीं देने की बात इससे जाहिर होती है। जिस क्लॉज़ को हमने डिलीट किया है उससे तो मैं उनका ध्यान क्लॉज़ २१ के सब क्लॉज़ (बी) की ओर दिलवाना चाहता हूँ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—ओरिजिनल एक्ट के ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— नहीं अमेन्डमेंट। उसमें कहा गया है :
"That a Jagirdar was liable to pay out of the income of his jagir land resumed under this Act any pension to a person Government may pay such pension or any part thereof as it may deem fit."

तो इस चीज को यहाँ पर इन्क्ल्यूड कर लिया गया है और इस धारा को यहाँ पर रखने का मतलब यह होगा कि उनको कम्पेन्सेटरी अलाउन्स देना लाजिमी हो जावेगा। यह बात रखना इसलिए आवश्यक नहीं कि जिस चीज के लिए आपने कहा उसकी पूर्ति वहाँ पर हो जाती है। तो अच्छी तरह से देखेंगे आप तो उसमें वह चीज आ जाती है।

अब रहा इसके बाद श्री भैरोंसिंहजी की तरफ से इस अमेन्डमेंट का सवाल। कोर्ट फीस के मामले में उन्होंने यह कहा कि कोर्ट फीस लागू नहीं होगी और आपने कल कोर्ट फीस के बारे में गवर्नमेंट के कोर्ट फीस एक्ट का हवाला दिया। इसके सम्बन्ध में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको बिना कानून में लाये नोटिफिकेशन के जरिए भी इस सम्बन्ध में आज्ञा देने का सरकार को पॉवर है। एक्ट में इसके लिए दिया है जिसके अनुसार "Notwithstanding anything contained in the Act, the Government may by notification in the Rajasthan Gazette exempt the whole or any part of Rajasthan, any person or class of persons from payment of court fees."

तो उस राइट के अनुसार जो निर्णय किया गया है उसको कार्यान्वित करने के कार्य के लिए पूरे रूल रखे हैं, उसके लिए रूल्स हैं। इसलिए उसको यहाँ पर लाना आवश्यक है। इन चीजों के साथ जैसा कि मैंने अर्ज किया कि श्री वेदपाल त्यागी के एमेंडमेंट को स्वीकार करता हूँ; जिस से सब-क्लाज (बी) डिलीट हो जाती है और बाकी का जो ओरिजिनल क्लाज रखा है उसे सदन स्वीकार करे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—'Suitable' शब्द को इन्सर्ट करने के लिए कहा था उसको भूल गये शायद आप ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—भूला नहीं। उसकी आवश्यकता नहीं है। so far as may be paracticable." यह आये हैं उससे भी उस भाव का समावेश होता है। प्रेस्क्राइब्ड

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

यह आये हैं उससे भी उस भाव का समावेश होता है। 'प्रेस्क्राइब्ड रूल्स' और दिए गए हैं। उन प्रेस्क्राइब्ड रूल्स में 'सूटेबल' और सारी बातें आ गई हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—अभी माननीय राजस्व मंत्री ने जैसा फरमाया कि कल जो सुझाव दिए थे कि २१ का जो प्रोवीजन है उसको देखें तो जहाँ तक हम चाहते हैं वह नहीं आता है। मैंने माननीय अध्यक्षजी, एक अमेंडमेंट दिया है उसको भी देखें तो एतराज नहीं है। उसका भी इस वक्त राजस्व मन्त्रीजी की जो बातचीत का मतलब सोचते हैं करीब-करीब वही है। अन्त में जाकर चेन्ज है:- "Where any person reffered to in sub-section (1) is not employed by the Government, the Government may grant to him such pension, compensatory allowance or gratuity as may be prescribed in the rules or according to the practice obtaining in jagirs.

Where no such rules or practice exists Government may grant in deserving cases such pension, compensatory allowance or gratuity as may be prescribed."

मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन ठिकानों के अधिकारियों को आप गवर्नमेंट सर्विस में लें तो उनका तो ठीक हो गया मगर वे उसके योग्य नहीं हों और उनसे कहा जाय कि रिटायर हो जाओ, लेकिन उन्होंने किसी ने २० वर्ष की सरविस की, किसी ने ३५ वर्ष की सेवा की, किसी ने ४० वर्ष की सर्विस की है और जिन ठिकानों में प्रेक्टिस कस्टम या यूसेज से या रूल्स में उनको कुछ दिया जा रहा था, और जहाँ ऐसे कायदे नहीं थे तो उनको ठुकराने के बजाय कुछ ऐसे रूल्स सरकार बना दे, चाहे कितने ही कम हों, सरकार के कायदे हैं, गवर्नमेंट के कायदे से कितने ही कम हों, लेकिन कुछ न कुछ दिया जाय तो बहुत बड़ी राहत मिलेगी। यह सेन्स २१ में नहीं आता है। इसको कन्सीडर करने के लिए तैयार हों तो बहुत हद तक यह जो बेकार हो जायेंगे उनको मदद मिल सकेगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)-अध्यक्ष महोदय, जो बात आपने रखी है कि बेकारी की समस्या को हल करने के लिए कुछ न कुछ तरीका किया। तो मैं इसके सम्बन्ध में एक बात अर्ज करना चाहूँगा कि जहाँ मैंने कल बिल्कुल जागीरदार के एम्प्लॉईज़ को नहीं लिया जाय इसके बारे में आये हुए एमेंडमेंट का विरोध किया था वहां साथ ही साथ इस रेस्पॉन्सीबिलिटी को किसी न किसी रूप में लेने के लिये कि जो भी जागीर सर्विस के अन्दर हैं उनको कम्पेन्सेटरी एलॉउन्स देना या दूसरा उसके रूल्स में प्रेस्क्राइब करके देना, इन सारी चीजों का मकसद यह था कि हम उनको पट्टा देना चाहते हैं कि जो सर्विस में नहीं लिया जायगा उनको कोई रूल्स बनाकर कम्पेन्सेटरी एलाउन्स देंगे, ग्रेचुएटी देंगे या पेन्शन देंगे। बातचीत के दौरान में भी वाजिब तौर से एक ही बात हो सकती है जिसका कि इसी धारा में समावेश हो जाता है। गवर्नमेंट बराबर जागीर रिजम्पशन के बाद जहां पेन्शन दी जा रही है, पहले से वहां रूल्स हैं उसके मुताबिक कन्सीडर करके तय कर सकती है कुछ ठिकानों के उदाहरण दिये जो हो सकते हैं। खेतड़ी के बारे में या सीकर के बारे में है कि वहां पेन्शन रूल्स थे। लेकिन जहां नहीं

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

है और कोई जानबूझकर आज बना दे या मान लिया जाय कि जो सर्विस में लिये जायेंगे उसके लेने के बारे में हमारी नीति होगी। उसके भाव में अब जो एमेंडमेंट मूव किया है वह उसके भाव के अन्दर नहीं है। मेरी उस भाव का कोई विरोध करने की दृष्टि नहीं रही। उसके अन्दर क्योंकि वह धारा स्वयं उपयुक्त है इसके करने से उसका दुरुपयोग होगा, जो गलत होगा। जो उनकी मन्शा थी उसकी पूर्ति, इक्कीसवीं क्लॉज़ की उपधारा (बी) के द्वारा हो जाती है जिनकी ओर में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इसकी पहली जो सब क्लॉज़ है उसको स्वीकार कर लिया है, इसलिए इसको भी स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन धारा ३२ में श्री एच.के व्यास ने संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उसके आधे हिस्से को छोड़कर उतना ही लिया जाय क्योंकि उसका आधा हिस्सा मान लिया गया है। मैं विदड्रा कर लूं उसको जो हिस्सा मान लिया गया है। पूरे को डिलीट करने का संशोधन था तो उसमें आधा डिलीट कर दिया गया है। उस पर भी वोटिंग हो जायगा। इसलिए या तो उसको विदड्रा कर लेने दें या उतना छोड़कर करें। जो हिस्सा मान लिया गया उसको टेक्निकली विथड्रा करने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—**Is it the leave of the House.**

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—**I withdraw it.**

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री एच.के व्यास के संशोधन का शेष भाग स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री वेदपाल त्यागी ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मथुरादास माथुर ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरोसिंह ने रखा है वह स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

(विराम)

(श्री जसवन्तसिंह से) आपका भी संशोधन रखूँ ?

(श्री जसवन्तसिंह ने मना करने पर)

प्रश्न यह है कि खण्ड ३२, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड ३२, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

खण्ड १

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड १ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

प्रिएम्बल तथा टाइटल ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो प्रिएम्बल और शार्ट टाइटल हैं उनको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

प्रिएम्बल और शार्ट टाइटल विधेयक में अँगरूप से स्वीकार किये गये ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Sir, I beg to move that the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्षजी, मुझे दो-चार शब्द कहने हैं यह बिल पास हो उससे पहले।

खास तौर से कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी यह इतने महत्व का बिल है और पास होने के बाद में यह एक विस्तार से एक इतने बड़े वर्ग पर इफेक्ट लायेगा इसलिए कुछ कहना जरूरी हो जाता है। इस सदन में जो यह बिल लाया गया है उसमें सबसे बड़ी महत्त्वपूर्ण बात पाँच हजार से कम की आमदनी वाली जागीरों की है। बहस के दौरान में हम लोगों की तरफ से यानी संयुक्त दल की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया है। छोटी आमदनी की जागीरों का सवाल हल हो, इस पर अभी थोड़े दिन पहले दोनों पार्टीज के बीच में फैसला हुआ। अभी सरकार की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया कि जब से, डेढ़ साल पहले से इस विषय पर दोनों पार्टियों में बात-चीत हो रही थी उस वक्त से यह बात मानली गई थी कि सभी जागीरों को चाहे वे छोटी हों और चाहे वे बड़ी, उनका उन्मूलन होगा। माननीय अध्यक्ष, इस विषय में माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने भी दो दिन पहले पंत रिपोर्ट से कुछ एक्सट्रेक्ट्स पढ़ कर सुनाये थे जिनसे उन्होंने यह सिद्ध करना चाहा था कि ५ हजार या उससे कम की जागीरें जो हैं उनको भी शुरू में उन्मूलन करने का दोनों पार्टियों के बीच सवाल था। मैं सदन के सामने गलत फहमी को दूर करना चाहता हूँ। जहाँ तक राजस्थान क्षत्रिय महा सभा का सवाल है उन्होंने जो बातें तय कीं उनको वे बराबर आज तक मानते आये हैं। ५ हजार या नीचे की जागीरों का सवाल २७ मई, ५४ को १५ दिन पहले पंतजी के साथ में जो बातचीत हुई उसकी उन्होंने पंच के रूप में रिपोर्ट दी है। उसका एक पैरा आपको पढ़कर सुनाऊँगा जिससे आपको मालूम होगा कि ५ हजार से कम आमदनी वाली जागीरों के उन्मूलन का सवाल अभी दोनों पार्टीज़ के सामने आया है, न कि पहले जैसा सदन के सम्मुख कहा गया है। उस पर आप गौर करें। पंतजी ने अपनी रि में पेज २७ में यह फरमाया है :

"Last year at a similar conference the questions relating abolition of Jagir in cases where the gross income of jagirdars."

श्री अध्यक्ष—Where is this report? Is it before the House?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—With the Minister. A copy has been sent to us. He has also read an extract from that report.

श्री अध्यक्ष—Has it been circulated to Members?

एक माननीय सदस्य—No, Sir.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—It is in our possession. It states :—

"Last year at a similar conference the questions relating to the abolition of Jagirs in cases where the gross income of jagirs exceeded Rs. 5000/- were discussed and settled."

In which meeting ? On 27-5-1954. In this meeting the question of jagirs having an income of Rs. 5000/- and less was considered and it was decided that jagirdari should be abolished in the lower income group also.

मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो गलतफहमी इस सदन में हो गई थी और सदन के बाहर हो गई थी, हम भी पार्टी में थे और ५ हजार से कम वाली जागीरों के बारे में पहले से तय हो गया था, वह सिद्ध नहीं होता। यह पंतजी की १५ दिन पहले की रिपोर्ट से साफ हो जाता है। यह मैंने गलत फहमी मिटाने के लिए बताया है। एक्ट के मुताबिक मैं यह कहना चाहता हूँ कि बहुमत (मेजोरिटी) सरकार के साथ है, वह जो चाहे कर सकती है। जहाँ हम लोगों का स्टेन्ड था हमें खुशी है कि उस स्टेन्ड पर हम लास्ट मिनिट तक डटे रहे और हटे नहीं। ६ अप्रेल, सन १९५४ को करीब २ महीने पहले जागीर कमिश्नर की तरफ से क्षत्रिय महासभा के ऑफिस में एक चिट्ठी आई और उन्होंने एक बिल हम लोगों के पास भेजा और चिट्ठी में यह कहा गया था कि एग्रीड अमेन्डमेन्ट बिल भेजा जाता है, आप इस पर अपने कमेन्ट्स भेजें। यह ६ अप्रेल, सन् १९५४ की बात है, इस बात को दो महीने हुए हैं। १६ या १७ अप्रेल को राजस्थान क्षत्रिय महासभा के मन्त्रीजी को साथ लेकर राजस्व मन्त्रीजी और मुमकिन है कि मुख्य मन्त्रीजी भी दिल्ली गये और वहाँ पर लॉ डिपार्टमेन्ट से बातचीत करके जो बिल सर्क्युलेट किया गया था उसको अन्तिम रूप से तयार किया। राजस्थान क्षत्रिय महासभा और राजस्थान सरकार के बीच में एग्रीड फॉर्म में फाइनल्ली सेटल हुआ और वही सदन के सामने पेश किया गया और माननीय सदस्यों द्वारा कंसीडर किया गया।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

जो विधान सभा की बैठकें हुईं उनमें बड़े अच्छे वातावरण के साथ अमेंडमेन्ट्स आये। हम लोग यह ख्याल कर रहे हैं कि एक डिसिप्लेन्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी, जैसी कांग्रेस पार्टी है वह यदि पहले के एग्रीड बिल को जिस फोर्म में सदन के सामने लाई उसी माफिक इस बिल को पास करते तो बहुत हद तक हम खुश होते, लेकिन बड़े ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इतनी बड़ी संस्था होते हुए, जिसके मुकाबले की टक्कर का कोई दूसरा राजनैतिक दल नहीं है, लेकिन न मालूम किन खास कारणों से या पर्टिक्युलर रीज़न्स से, जो हमारे साथ बातचीत हुई उस हद तक उस पर नहीं डटे रहे और उसके विपरीत गये। लेकिन जहाँ तक हमारा वचन था, हम उस पर डटे रहे। मैं ४-५ बातें बताऊँगा जिन पर फंडामेन्टली जो एग्रीड बात थी उस पर न चलकर उससे दूर हट गये। मुझे आशा थी कि जागीरदारी एबोलिशन बिल हमारी रजामन्दी से पास होगा और इससे अब राजस्थान में एक नया चेप्टर खुलेगा। लेकिन एग्रीमेन्ट को छोड़ कर चार-पाँच बातें एग्रीमेन्ट के खिलाफ रखी गई हैं। सबसे पहले मैं कपिलदेवजी के एमेन्डमेंट को लेता हूं।

श्री मथुरादास माथुर—मैं एक सफाई चाहूँगा। श्री जसवन्तसिंहजी इस वक्त क्षत्रिय महासभा की सफाई दे रहे हैं या जो विचार वे रख रहे हैं, वे लीडर आफ ऑपोजिशन के नाते विचार रख रहे हैं ?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—कई बार ऐसा होता है कि एक ही आदमी की तीन-चार तरह की हैसियत होती है। इस समय मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत से अपने विचार आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन मेरी नोलेज (ज्ञान) में दूसरी बातें भी हैं। यदि मेरे मित्र यह चाहें कि मैं उनको इस्तेमाल नहीं करूँ, लेकिन मैं तो मामूली मानव हूँ इसलिए मेरी नोलेज में जो बातें हैं उनको भी मैं कहूँगा, उनको मैं अलग नहीं कर सकता। लेकिन इस समय मैं ऑपोजिशन के मेम्बर की हैसियत से ही बोल रहा हूँ।

एक एमेंडमेंट श्री कपिलदेवजी कलेक्शन ऑफ एरियर्स (बकाया वसूली) के सम्बन्ध में लाये। उन्होंने कहा कि यह सिंपल एमेन्डमेंट है, लेकिन सिंपल के साथ बहुत बुरा असर लाने वाला एमेन्डमेंट यह था। जो राहत मिलने वाली थी वह न मिलकर कइयों का सफाया इससे हो जायगा। मैं उन आदमियों में से हूँ जिनका एग्रीमेंट में कुछ हाथ था। जहाँ-जहाँ हमको आपत्ति हुई हम राजस्व मन्त्रीजी के पास गये। मुख्य मन्त्रीजी के अलावा मुझे दूसरा ऐसा कोई मन्त्री नहीं मिला जो कुछ राहत पहुँचा सकता, लेकिन राजस्व मन्त्रीजी के पास पहुँचने पर जहाँ-जहाँ कठिनाई हुई वहाँ-वहाँ उन्होंने हमको मदद दी, मैं इस बात को मानने को तैयार हूँ और ग्रेटिट्यूड (gratitude) के साथ मानता हूं। मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि यहाँ जो समस्याएं पैदा होंगी, जिस वक्त जागीर जाने वाली है उस समय यदि ये ही राजस्व मन्त्री रहे तो जो भी समस्यायें सामने आयेंगी उनका दृढ़ता के साथ समस्या का हल करेंगे और न्याय के रास्ते पर चलेंगे। फिर भी मैं यह कहूँगा कि जो कुछ भी एग्रीमेंट हुआ था उससे थोड़ा बहुत विचलित होना पड़ा है।

एक-दो एमेंडमेन्ट श्री नाथूरामजी मिर्धा द्वारा भी पेश किये गये थे वे भी सब्सटेन्शियल्ली जो एग्रीमेंट हुआ था उसके विपरीत थे। मैं ज्यादा उनके बारे में नहीं कहना चाहता हूं कि एग्रीमेंट की मन्शा के विपरीत पास किये गये हैं जिसमें गवर्नमेन्ट भी एक पार्टी है। इस बात का दुःख है।

चौथा एमेंडमेंट श्री बृजसुन्दरजी ने फेमिली अलोटमेंट के लिए पेश किया था और उसको गवर्नमेन्ट ने मन्जूर किया, वह भी एग्रीमेंट की बिल के खिलाफ है।

पाँचवा एमेंडमेंट पेन्शन, ग्रेच्युटी आदि सर्वेन्ट्स को देने का सवाल था उसको, जिस हद तक एग्रीमेंट था, उस हद तक नहीं माना।

आखिरी और छटा अमेंडमेंट जो मंजूर किया उससे भी गवर्नमेंट अपने वायदे पर डटी नहीं रही। इन बातों को कहते हुए मैं यह कहूँगा कि हमें यह उम्मेद नहीं थी कि जो बातें तय हो गई हैं उनको कुछ पोलिटिकल रीजन्स के कारण या और किसी दबाव के कारण बदल दिया जायगा।

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को इस बात की खुशी है कि बहुत सी बातें जिन पर बातचीत हुई अमेंडमेंट लाकर उनको किया है और सरकार इसके पास होने पर जब यह एक्ट बन जायगा और इसके इम्प्लीमेंटेशन का सवाल होगा उस वक्त भी इसे विशाल हृदयता के साथ ही करेगी। वैसा होने के बाद आज के जागीरदार भूतपूर्व जागीरदार ही होंगे, उनके साथ और दूसरों के साथ, किसानों के साथ और दूसरी जनता है उन सब के साथ एक ही बरताव किया जायगा। और राजस्थान की बहबूदी के लिए, हमारे इस महान् देश की बहबूदी के लिए, हर नागरिक की बहबूदी के लिए इम्प्लीमेंटेशन के सिलसिले में वही व्यवहार किया जायगा जो पाँच-सात बातों को छोड़ कर इस बिल की दूसरी बातों के सिलसिले में गवर्नमेंट द्वारा दिखाया गया है।

श्री मथुरादास माथुर—माननीय चेअरमैन, सबसे पहले मैं इस तरफ से उन सब सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने सहयोग से, समझौते से, सद्भावना से यह स्थिति पैदा की कि आज हम राजस्थान लेण्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिज़म्पशन ऑफ जागीर के अमेंडमेंट बिल की तीसरी रीडिंग पर आ गये हैं और कुछ समय के बाद में यह बिल पास होकर, इसकी जो फोर्मेलिटीज़ हैं वे पूरी हो कर, यह कानून बन जायगा। क्षत्रिय महासभा की ओर से, जिसमें कि माननीय लीडर ऑपोजिशन के मुख्य सदस्य हैं और दूसरे सदस्यों ने बहुत ब्रोड माइन्डेडनेस (विशाल हृदयता) से इस बिल को पास कराने में सहयोग दिया है।

बहुत अच्छा होता कि हम यही इम्प्रेशन लेकर सदन से बाहर जाते परन्तु मुझे खेद है कि एक बहुत बड़ा चार्ज सदन के इस ओर बैठने वाली पार्टी पर और सरकार पर लगाया गया है कि हम पूरा समझौता निबाहने में नाकामयाब रहे या निबाह नहीं पाये और इस बारे में दो-चार बातें लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने रखी हैं।

मेरा कतई इरादा नहीं था सदन का समय लेने का लेकिन क्योंकि ये बातें रखी गईं और इनसे कोई गलतफहमी सदन के सदस्यों में नहीं रह जाय इसलिये मैं कुछ बातें कहने के लिये खड़ा हुआ हूँ। इस जागीर रिज़म्पशन एक्ट में और जागीर समस्या को खत्म करने के लिये ५,००० से कम की जागीरों को जो जोड़ा है, यह हमने बहुत बड़ा काम किया है। दो दलों में जिनमें से एक वेस्टेड इन्ट्रेस्ट हैं, जिनकी जागीरें सैकड़ों वर्षों चली आ रही हैं और दूसरा वह दल जो २५-३० साल से बराबर मांग करता आ रहा है कि यह प्रथा खत्म होनी चाहिये, फ्यूडल टेन्योर देश में नहीं रहे, उनमें परस्पर प्रेम से बात-चीत होती है तो कभी इधर, कभी उधर कमी रह जाती है। पर कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से जो बातें रखी गईं, पंत रिपोर्ट पर जो समझौता हुआ, हम यह बात रखना चाहते हैं कि पंत रिपोर्ट से हम एक इंच भी, एक कदम भी इधर या उधर नहीं गये हैं।

मिसाल के तौर पर श्री भैरोंसिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा था उसने हमारे इधर बैठे सदस्यों के दिमाग पर काफी असर पैदा किया था, और इक्विटी और जस्टिस भी यही मांग करती

[श्री मथुरादास माथुर]

थी, फिर हमने कानूनी नुक्ते निगाह से देखा, पर हम समझौते की मंशा थी उसी पर डटे रहे हैं और बावजूद सदन के सदस्यों की विपरीत इच्छा के हमने उसे स्वीकार नहीं किया।

श्री वेदपाल त्यागी—मैं समझता हूँ कि वह समझौते का अंग नहीं था।

श्री मथुरादास माथुर—हो सकता है कि सदन के उस ओर बैठने वाले सदस्यों को इससे संतोष नहीं मिला हो पर हमें संतोष है कि पंत रिपोर्ट जो आसमानी जिल्द की रिपोर्ट है, जिसमें कई बातें लिखी हैं, उनको हमने लफ्ज व लफ्ज पूरा करने की कोशिश की है।

चार बातें माननीय लीडर अपोजिशन ने रखी हैं उनके बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।

इतनी बड़ी पंत रिपोर्ट है जो राजस्थान में हमारे जीवन में क्रान्ति पैदा करने वाली बात है। उसमें जो भावना रखी गई है उसके बिपरीत कुछ किया हो तो वे बतायें। हो सकता है कि कई शर्तें छोटी-मोटी हमारे सामने रखीं, जैसे श्री कपिलदेवजी की तरमीम के बारे में रखा।

एरियर्स ऑफ रेंट जागीरदारों के किसानों में बाकी हैं, उनके लिए कोई जागीरदार कह दे कि इस गाँव के किसानों में १० हजार रुपया मांगता हूँ जो सरकार इसका फैसला करके वसूल करके मुझे दें। जागीरदारों ने तो यहां तक मांग रखी थी कि सरकार ऐसे एरियर्स का कुल रुपया हमें एडवांस में दे दे और फिर सरकार वसूल करती रहे। पर, सरकार ने आखिर में माना कि हम वसूल करके देंगे। भारत का संविधान हिन्दुस्तान के हरेक नागरिक को अधिकार देता है कि वह हाई कोर्ट में जा सकता है। विधान के बाहर जाना इस हाउस के दायरे के बाहर की बात है। जो कानून हमने पास किया, वह हाईकोर्ट में जाकर अवैध और गैर कानूनी हो जायगा; तो लोग यही कहेंगे कि कांग्रेस, क्षत्रिय महासभा और कांग्रेस सरकार ने ऐसा कानून पास कराया जो कि हाई कोर्ट द्वारा अवैध और गैर कानूनी करार दिया गया। तो यह वजन आप पर ही गिरने वाला है। हम पर यह वजन गिरेगा कि उनकी एक मांग पर वैसे काम को किया। पंत का समझौता नहीं कहता कि ऐसा किया जाय। आपने जो कुर्बानी की है वह जाने वाली चीज थी, हमने भी आपको आपकी इच्छा के माफिक कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन एलाउन्स दिया है, १८ टाइम्स तक कम्पेन्सेशन की रकम पहुँची है। श्री हरिकृष्ण व्यास तो हमसे बहुत नाराज है तथा और भी सदस्य नाराज हैं पर हमने पन्त रिपोर्ट को पूरी तरह माना है।

एक बात और है। ५ अप्रेल सन् १९४८ को रात्रि के १२ बजे अगर किसी किसान को खातेदार बनने के हक मिल गये हैं तो आज ६ साल के बाद क्या विधान सभा उनसे वह हक ले सकती है? १९५४ में जो इस मुल्क ने तरक्की की है, पंच वर्षीय योजना ने जो ढाँचा तैयार किया है, और योजनाओं ने जो ढाँचा देश के सामने रखा है, उसके खिलाफ काम कर सकती है?

मैं क्षत्रिय महासभा के जो बड़े जवाबदार व्यक्ति हैं, उनको अर्ज करना चाहूँगा कि जमाने की हवा को देखते हुए जो जागीर उन्मूलन की बात को तय कर लिया तो अब वैसी बातों को दोहराना

[श्री मथुरादास मथुर]

ठीक नहीं। किसानों से खातेदारी हकूक वापिस लेना प्रतिक्रियावादी कदम होगा, इसमें कानूनी भी कई अड़चनें पड़ेंगी कि जो हकूक दिये गये वे वापिस नहीं लिये जा सकते।

दूसरी बात नाथूरामजी की जो तरमीम थी उसके लिये कहा गया। हमारे विरोधी दल के नेता बड़े प्रोमिनेन्ट सदस्य हैं, वे अपने दबाव से इस ढाँचे को जो शक्ल बना रहे हैं, उसके लिये वे जिम्मेदार हैं। उनकी वजह से जो इसकी शक्ल बनी है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता।

हम टिनेन्सी बिल ला रहे हैं। सिकमी काश्तकार को बेदखल नहीं किया जाय, उसे इम्प्रूवमेंट करने के हक दिये जाय, खातेदारी हुकूक वे खरीद सकते हैं तो उनको ही दिये जाँय। टिनेन्सी एक्ट में ये सब बातें हैं जो हम जल्दी ही पास करने जा रहे हैं। फिर हम उनकी ६ साल से बेदखलियां रोक रहे हैं तो यह न्यायसंगत ही है। जो नया समाज का ढाँचा बनने वाला है, खुद काश्त के नाम पर उनको बेदखल करेंगे तो यह आपके लिये शोभा की बात नहीं होगी।

खुद काश्त की कोई समस्या जोधपुर में नहीं रही है। जोधपुर में एक आना, दो आना समस्या खुद काश्त की रह गई है। मैं आपको यह कह सकता हूँ कि सभी जागीरदारों के पास खुद-काश्त की जमीन है, चाहे उन्होंने धौंस से, चाहे प्रेम से, चाहे झगड़ा करके जमीन हासिल की हो; मगर उनके पास खुदकाश्त की जमीन है। अब यह खुदकाश्त की समस्या तो सिर्फ कागजों पर लड़ने की चीज रह गई है। मेरे दोस्त इस बात को मंजूर करेंगे कि यह समझौता जो हुआ है वह ऐसा नहीं है जिससे उनकी शान में फर्क पड़े। इस समझोते ने तो, मैं समझता हूँ कि इस सदन की इज्जत बढ़ाई है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने जो हृदयता दिखाई है और शांत वातावरण में आपने ऐसा किया है उसके लिये आभारी हूँ। मैं आपसे आखिर में यह अर्ज करूंगा कि फिर इस बिल पर बोलने का मौका नहीं मिलेगा इसलिये कुछ बोल लूं। जो जागीरदार सदस्य हैं उनसे मैं यह अर्ज करूंगा कि इस अमेन्डेड बिल को, जिस सरकार ने पेश किया है, पास किया जावे। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग इसमें मदद देंगे। यह नहीं होगा कि इसके लिये आप हाई कोर्ट में जावें और रिट पेश करें। और उन लोगों पर आप ध्यान डालें जिनका आप नेतृत्व करते हैं। ५-७ साल से जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने के नारे लगाये जा रहे थे उसमें आप भी शामिल ही थे। आपने नेहरूजी को पत्र लिखा और यह समझौता हुआ। अच्छा हुआ या बुरा हुआ, जो कुछ भी हुआ उसको अमल में लाने में कोई कानूनी दखल नहीं होनी चाहिए। रिटें नहीं हो, इसमें आप अपना पूरा सहयोग दें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir, you had fixed 11-30 for half-an-hour discussion.

श्री अध्यक्ष—A request has been received that it may be postponed.

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष, जिस बिल को हम बिल के रूप में परिवर्तित करने जा रहे हैं वह कौन से जागीरदारों को ज्यादा इफेक्ट करेगा इसके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। इसके लिये शब्दः—

[श्री खेतसिंह]

"The Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs (Below Rs. 5000/-) Bill, 1954."

रखे जाते तो उपयुक्त होता। इस बिल के पास होने से यह बिल सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा ५००० से नीचे के जागीरदारो को, उन्हें नुकसान होगा। यदि किसी को नोकरियें नहीं मिलेंगी तो वह भी ५ हजार से नीचे के जागीरों वालों को, यदि किसी को खुदकाश्त नहीं मिलेगी तो वह भी पांच हजार से नीचे वालों को। उसके अलावा बड़े-बड़े जागीरदारों को जितने फार्म उनके पास हैं उनके पास ही रहेंगे, कम्पेन्सेशन की रेट भी वैसी ही रहेगी। उनके नोकरों को नौकरियें भी मिलेंगी, लेकिन मैं यह कहूँगा कि छोटे जागीरदारों के लिये इसमें कोई प्रोविजन नहीं। इसकी जिम्मेदारी दोनों पार्टीज़ पर है; क्या क्षत्रिय महासभा और क्या सरकार। क्षत्रिय महासभा ने तो पहले ही कहा था कि हम ५००० से नीचे के जागीरदारों को रिप्रेजेन्ट नहीं करते। हमने समझा हमारा भी रिप्रेजेन्टेशन होगा। मगर इस मुगालते में हम कई महीनों तक बने रहे और आखिर में जब दो महीने पहले क्षत्रिय महासभा के लोग नेनीताल बुलाये गये उस समय महज किसी एम. एल. ए. को, जो उन्हीं का आदमी था, अपने साथ ले गये और हमारा प्रतिनिधि बनाया, इससे हम जरूर असंतुष्ट हैं। फिर भी सरकार ने हमको १८ गुना मुआवजा दिया है, उसमें हमको संतोष है कि आपने कुछ लिबरल व्यूज़ अपनाये और सद्भावना दिखाई है। इसके अलावा मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलना चाहता हूँ कि न तो ५००० से नीचे के किसी जागीरदार ने रिट की है और न उनका करने का विचार ही है। फिर भी जो हमारे साथ न्याय किया गया है उससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट सरकार से करते थे। बस इतना ही कहूँगा।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय अध्यक्ष, इसके पहले कि राजस्थान लैंड रिफोर्म्स एन्ड जागीर रिजम्पशन का पूरा पूरा कानून बने, मैं आपके सामने दो-तीन धाराओं पर जो कानूनी अड़चन होगी, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ।

सबसे पहली धारा खुदकाश्त की धारा है। इसमें यह डेफिनिशन दी गई है:—

" 'Khudkasht' means any land cultivated personally by a jagirdar and includes any land recorded as Khudkasht ..."

इसमें यह गुंजायश रहती है कि अगर कोई जागीरदार खुदकाश्त करता है या टीनेन्ट के नाम से करता है तो भी वह उसकी खुदकाश्त मानी जावेगी। अगर कानून से उसकी खुदकाश्त समझी जावेगी तो उसका मतलब यह होगा कि जागीरदारों और काश्तकारों के बीच में एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होगा। जमीन काश्त करने वाले की है, फिर भी वह जमीन काश्तकार से लेकर जागीरदार को दिला दी जा सकती है। ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि कानून की दृष्टी से यह उचित नहीं है और मैं कहूँगा कि यह कहां तक वाजिब है, इस पर ध्यान दिया जावे। इससे पहले कि हम इसको कानून का रूप दें उस पर विचार किया जाना जरूरी है।

(हियर हियर)

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

दूसरा पॉइन्ट दफा ४६ प्रिन्सिपल एक्ट का है, जिसमें लिखा हुआ है :—

"Save as otherwise provided in this Act, no Civil or Revenue Court shall have jurisdiction in respect of any matter which is required to be settled, ed or dealt with by any officer or authority under this Act."

जो जयपुर और जोधपुर के पहले के टीनेन्सी एक्ट हैं और मौजूदा जो टीनेन्सी एक्ट है, जो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर हाउस के सामने आया है; काश्तकार किसी बात को तय करने के लिए दावा ला सकते हैं कि वह किस प्रकार का काश्तकार है।

वह इस प्रकार का दावा ला सकता है। लेकिन अपके दफा ४६ के अन्तर्गत आप उस काश्तकार को इस प्रकार का दावा करने से भी डिबार (debar) करते हैं। यदि गलती में खुदकाश्त या दूसरी बात दर्ज होनी रह गई हो तो वह इस प्रकार की गलती को दुरुस्त कराने के लिए दावा भी नहीं ला सकता है, जब कि उसको दूसरे कानूनों के द्वारा इस प्रकार का दावा करने का अधिकार हासिल है। मेरे खयाल से यह एक ऐसी दफा है जो हाई कोर्ट से अल्ट्रा वायर्स (ultra vires) करार की जा सकती है। जो किसानों को अधिकार है, वे आप छीन नहीं सकते और ऐसी सूरत में इस प्रकार का प्रोवीजन रखना कॉन्स्टीट्युशन के विपरीत है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप इस पर गौर करें।

श्री वेदपाल त्यागी—अध्यक्ष महोदय, आज थोड़े समय के बाद जिस बिल पर यह सदन विचार कर रहा है कानून के रूप में बदल जावेगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून हम बनाने जा रहे हैं जिससे कि राजस्थान के देहातों में जहाँ मुकदमों की एक आम प्रथा चली आ रही है उसका अन्त करने जा रहे हैं। जैसा कि प्रारम्भ में माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने कहा था समझौते की पृष्ठभूमि को लेकर यह बिल पेश किया गया है और यह समझौता क्षत्रिय महासभा और राजस्थान सरकार के बीच हुआ है। यह सत्य है कि इस बिल को कानून का रूप देने में बहुत तरह की विचारधाराएं पेश हुई हैं। वैसे तो जो बात किसी पक्ष को बुरी लगी उसने कही, लेकिन मैं यह समझता हूँ कि यह उपयुक्त वक्त है जब कि हमको सद्भावना के रूप में इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिये।

ठीक है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो शायद समझौते में नहीं आई हों और बहुत-सी बातें ऐसी भी हों जो कि समझौते में आ चुकी हों, लेकिन एक पक्ष को क्लियर न हो और दूसरे पक्ष को क्लीयर हो। किन्तु जब सब ने मिलकर इसको कानूनी रूप दे दिया है तो यह जरूरी हो जाता है कि हम उन बातों को भूल जाँय जो कि वे कटुता पैदा करती हैं। हमें उस कटुता को दोनों ओर से भूलना है और इस कानून को कानूनी रूप देने से पहले, सदन में उठने के पहले, हम सद्भावना लेकर उठें। जो राग अब अलापे जा रहे हैं हम उनको छोड़ दें। अब यह कहें कि पाँच हजार से नीचे

[श्री वेदपाल त्यागी]

की आमदनी वाले जागीरदारों के साथ अन्याय हो रहा है; आदि बातें कहने से कोई फायदा नहीं, जब कि हम यह समझ चुके हैं कि अब जागीरी प्रथा कितनी भी हम कोशिश करें कायम नहीं रह सकती, चाहे हम उसे अन्याय के रूप में देखें या न्याय के रूप में देखें। वह प्रथा तो खत्म होने वाली थी इसलिए खत्म हो रही है और उसको ग्रेस (grace) के रूप में ही स्वीकार करना चाहिये और एक दूसरे के विरुद्ध धन्यवाद देना चाहिये जैसा कि श्री मथुरादासजी ने दिया, जिन्होंने इस प्रथा के अन्त करने में सहायता दी है। वे वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं और हमें उसी ग्रेस के साथ इसको स्वीकार करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, जो समझौता जागीरदारों और सरकार के बीच हुआ है और जिस पर हमारी सरकार चाहती हैं कि उसे चारों ओर से धन्यवाद देना चाहिये और जैसा कि श्री त्यागीजी ने कहा कि हमको धन्यवाद देना चाहिये, उन्होंने धन्यवाद दिया उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन पड़ोसियों और साथियों को तो वे धन्यवाद देने के लिए कहते सो ठीक है लेकिन वे क्या धन्यवाद के पात्र हैं यह वे स्वयम् सोचें। जो समझौते में शामिल थे उन लोगों तक ने धन्यवाद नहीं दिया, दूसरे लोग तो क्या दे सकते हैं? जिन्होंने सद्भावना दिखाने के लिए, अच्छा वातावरण बनाने के लिए वाजिब और गैर वाजिब बातों को एक करके इस संशोधन बिल को सदन के सामने रखा है और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उन्होंने अच्छी बातों का हलाल कर डाला है। उन्होंने, भैरोंसिंहजी ने जो वाजिब संशोधन रखा था और उन्होंने खुद ने मन्जूर किया था कि जो संशोधन भैरोंसिंह जी ने रखा है वह वाजिब है किन्तु वाजिब होते हुए भी हम उसको इसलिए स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि उनके और जागीरदारों के बीच में समझौता हो रखा है। अगर यही बात श्री नाथूरामजी मिर्धा के संशोधन के पीछे लगाते तो ठीक था। वे यह समझते थे कि संशोधन अच्छा था। जो किसान खातेदारी हकूक पिछले छः वर्ष से प्राप्त कर चुका है तो उसको किस कारण से बेदखल किया जाता है? क्या यह आपने अच्छा किया है? इससे अधिक क्या आशा हो सकती है कि जो व्यक्ति जागीरदार के घर जन्मा है, उसका (जागीरदार का) भाई है, उसके साथ अच्छा बर्ताव क्यों नहीं होता है? उसके साथ में क्यों नहीं समानता का बर्ताव होता है? उस समय जबकि कांग्रेस सरकार और कांग्रेस इस समानता की छपाती है तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिये थी।

दूसरा सवाल है मेलाफाइड (mala fide) ट्रान्सफर्स के बारे में। बहुत से ऐसे ट्रान्सफर्स हुए होंगे जो कि मेलाफाइड हैं। जो लोग ऐसे ट्रान्सफर्स कर सकते हैं कि अमेंडमेंट बिल आने वाला है, जल्दी से जल्दी जमीनों को फरोख्त कर दें, तो ऐसे लोगों से क्या एक्स्पेक्ट नहीं किया जा सकता है कि वह भाई को कुटुम्ब से अलग कर दे, जब तक कि बिल न आ जाय। ऐसे मेलाफाइड को भी प्रोटेक्शन देना था तो हमारी सद्भावना जीतने की कोशिश की होती।

[श्री तनसिं ह

जहाँ तक इस बिल को कार्यान्वित करने का सवाल है मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि छोटे जागीरदारों की ओर से रिट एप्लीकेशन्स नहीं आने वाले हैं। जहाँ तक इस बिल को कार्यान्वित करने का सवाल है हमें ऐतराज नहीं होगा। लेकिन माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से बिल को पायलेट किया गया है, जिस तरीके से इस बिल को पास करने की कोशिश की गई है वह हमें शोभा नहीं देता। जागीरदारों के साथ समझौता कर लिया। अगर गलत है तो उसको ठीक करने के लिए आप तैयार नहीं और फिर जैसा कि आप कहते हैं कि जागीरदारों के साथ समझौता करने के कारण हम भी मैरोंसिंहजी के वाजिब अमेंडमेंट को भी स्वीकार करने के लिए असमर्थ हैं और यदि यह बात सम्बन्धित मन्त्री महोदय कहते हैं तो यह जरा विचार करने लायक बात है। उन्होंने यह बताया कि ये तो जागीरदारों की पर्सनल चीजें हैं और हम उनमें नहीं पड़ना चाहते। दूसरी ओर आप यह कहते हैं कि इस वाजिब चीज को भी इसलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि जागीरदारों से समझौता हो गया है और हम उसके विरुद्ध नहीं जाना चाहते। जब उस धारा पर विचार हो रहा था तो मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि चारों ओर से दबाव आया और समझौते की दुहाई दी गई होगी और उसी कारण से माननीय मन्त्री महोदय आवश्यक संशोधन को मानने के लिए और उसमें यह आवश्यक संशोधन करने के लिए तैयार नहीं हुए। मैं माननीय अध्यक्ष, निवेदन करूं कि अब किस आधार पर सहानुभूति की बात की जाती है और अब इस वक्त मैं सदन से आवाज आ रही है कि सहानुभूति दिखाओ इस बिल को पास करके और आपसी सद्भावना पैदा करो। क्या किसी सत्य बात को छिपाकर सद्भावना प्राप्त की जाती है? क्या आप किसी विचारधारा का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या आपने उस संशोधन का समर्थन किया? हमको अफसोस होता है यह बताते हुए कि जिस सत्य की ओर हमारी आँख देख सकती है, ऐसी चीज जो राइट मार्ग पर ले जाती है उस सत्य की ओर आँख उठाकर भी हमारी देखने की हिम्मत क्यों नहीं हो सकती? जिस सद्भावना को जीतने की कोशिश की जाती है उसको दूसरे ढंग से जीता जा सकता था किन्तु यह तो सद्भावना केवल मात्र है मुझे तो हृदय में घृणा पैदा होती है कि जिस चीज को सच मानते हैं और वह कांग्रेस संस्था जो गाँधीजी की अनुयायी अपने आपको कहती है, वे ही गाँधीजी, जो कहते थे कि सत्य के लिए वे देश का भी बलिदान कर सकते हैं, उसी सत्य की अनुयायी कांग्रेस संस्था ने समझौते के कारण सत्य को भी नहीं माना। उसी कांग्रेस संस्था ने यह सब कुछ चाहे सद्भावना प्राप्त करने के लिए समझौता किया हो, या अपना स्वार्थ देखने के लिए किया हो, किन्तु जो कुछ किया है उससे वह हमारी सद्भावना की पात्र नहीं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, माननीय अध्यक्ष, कि इस संशोधन को अस्वीकार करके उन्होंने अनुदारता दिखाई है और जनता इसको तब तक देखेगी जब तक कि इस समझौते की धज्जियाँ न उड़ा दी जाँय। इसलिए मैं कहूँगा कि इस सड़े-गले बिल को पास करने में सदन की ओर से क्यों सहयोग दिया जाना चाहिए। जो वाजिब बात थी उसकी ओर से कम से कम कह सकते हैं कि आँखें मूंद ली गई हैं। मैं इतना ही कह कर सदन से चाहूँगा कि......

श्री अध्यक्ष—डा० मंगलसिंह।

श्री मंगलसिंह—श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, जिस बिल पर इधर हम कई दिनों से विचार

[श्री मंगलसिंह]

कर रहे हैं और जिसके पास होने से इस प्रान्त में इतना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, मैं नहीं समझता कि इस असेम्बली ने ऐसा कोई भी कानून बनाया हो जिससे इतना बड़ा परिवर्तन हुआ हो। आज से कुछ वर्षों पहले जब राजाओं ने हिन्दुस्तान के एकीकरण में मदद देने के लिए अपनी रियासतों का समर्पण कर दिया था करीब करीब ऐसा ही समय आज भी मालूम पड़ता है।

माननीय अध्यक्ष, जिन जागीरदारों ने समझौता करके और एक दूसरे से मिलकर हजारों वर्षों से चली आ रही जागीरें समर्पित कर दी यह एक बड़े महत्व की बात है। मैं तो उनके त्याग और बलिदान को, जो कि उन्होंने इस तरह अपनी हजारों वर्षों से चली आ रही जागीरों को समाप्त करने में सहयोग दिया उसमें यह बात बड़ी महत्वपूर्ण समझता हूँ। यह बात, केवल कानून बनाने की आवश्यकता केवल किसानों के ऊपर जो वजन था चाहे जमीदार का हो या जागीरदार या इस प्रकार किसी दूसरों का हो उन पर से यह वजन हटाने के लिए सरकार की इस प्रकार के कानून बनाने की इच्छा थी। यह वजन जरूर हटा है। जागीरदारों को जो मुआवजा देने की बात है, मैं इस बात को मानता हूँ कि जो उन्होंने त्याग किया और जितनी सम्पत्ति की जागीरें दी हैं और इसको कामयाब करने के लिए जितना सहयोग दिया उसके मुकाबले में मुआवजा कोई चीज नहीं है। लेकिन जो भी मुआवजा दिया जायगा पूरा दिया जायगा। जागीरों के बदले में अथवा उनके पुनर्संस्थापन के लिए पूरी सहूलियतें दी जायेंगी, लेकिन यह आप सबको याद रखना चाहिये कि इस सबका वजन भी उन्हीं किसानों पर पड़ने वाला है जिन पर से कि वजन हटाया जा रहा है, इस प्रथा की समाप्ति करके। इसलिए मैं यह समझता हूँ कि जब जब भी यहाँ जागीरदारों के हकों के लिए चर्चायें इस बिल की धाराओं में हुई उस समय जागीरदारों की तरफ से यह सवाल उठाये जाते रहे हैं कि हमको फलां-फलां सुविधा मिलनी चाहिये। उस वक्त इधर बैठने वाले लोगों ने संकोच होते हुए भी उसे स्वीकार किया तो उनके दिल के अन्दर यह था कि ऐसा न हो कि जिन किसानों को बसाने के लिए यह कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर से वजन हट जाय और उस वजन को हटाने में जो लोग सम्मिलित हुए हैं उनके ऊपर कुछ वजन आता है तो संकोच नहीं करना चाहिये। जागीरदारों ने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया है तो उन्होंने यह सोचा कि जहाँ तक हो सके उनके द्वारा किसानों की भलाई होनी चाहिये। मैं यह आशा करता हूँ कि इस कानून द्वारा उन किसानों को, जो हजारों वर्षों से इस प्रथा के नीचे दबे हुए थे इस प्रथा से और इसी प्रकार से दूसरी प्रथाओं से पूरी पूरी राहत मिलती रहे और मैं समझता हूँ कि जागीरदारों ने इतना बड़ा जो त्याग किया है तो उन्हें अब छोटी-मोटी चीज के लिए या मुआवजे के लिए जिसमें यदि उनकी दृष्टि से कुछ कमी रह गई हो तो ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए-इससे उनके त्याग के ऊपर एक प्रकार टीका लगेगा, यह उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि जिस भावना से और जिस त्याग से और जिस सहयोग के वातावरण में जागीरदारों ने मिलकर पंतजी की सलाह को मानकर जो समझौता किया उस पर दोनों ओर के लोग दृढ़ रहेंगे और उसी विश्वास के साथ इसे कार्यान्वित करने में सहयोग देंगे, ऐसी मेरी आशा है।

रावत श्री शम्भूसिंह—अध्यक्ष महोदय, आज पाँच दिन से जागीर रिजम्प्शन एक्ट, जो बनने वाला है उस पर वाद-विवाद चल रहा है। उस पर दोनों पक्ष की तरफ से तरह तरह के विचार सुनने में आये। इस प्रकार का बिल जो हमारे सदन के सामने उपस्थित होकर आज पास होने जा रहा है उसे देखकर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ।। खास तौर से पूंजीवाद के इस जमाने में, जबकि आज देश में पूंजीवाद का बोलबाला है। पूंजीवाद का जो देश के ऊपर नंगा नाच हो रहा है उसको देख कर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। आमतौर से पूंजीवाद का साधारण नियम है कि पूंजीवाद के पनपने में जितनी बाधाएं उपस्थित होने वाली होती हैं उसको पहले साफ कर देना चाहता है ताकि पूंजीवाद का शासन बराबर जारी रहे। यह जो पूंजीवाद के मार्ग में एक प्रकार से बाधा थी और इस युग के पूंजीवाद बढ़े हुए, पूंजीवाद को देखते हुए इस बिल को पास करना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।

पूंजीवाद के यह भी लक्षण हैं कि अपने इन्टरेस्ट में जो काम करना चाहते हैं उसको जन-हित का इन्टरेस्ट कह कर वह काम करते हैं, इसके बिना वे अपना स्वार्थ साधन नहीं कर सकते जब तक कि इस प्रकार की बाधाओं को परास्त नहीं कर देते। आज पूंजीवाद का जो इस देश में बोलबाला है उसको देखते हुए इस प्रकार का कानून बन जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह दावा किया गया है कि इस प्रकार जागीरों के उन्मूलन से किसानों को राहत मिल सकेगी।

अगर ऐसा कानून आता जिसमें किसानों को लगान की कुछ छूट मिलती। आज जो लगान निरन्तर बढ़ा जा रहा है उसमें आधा कर दिया जाता या किसानों को पूंजीवादी लोगों से, मनी-लेन्डर्स से छुटकारा दिलाने का कोई कानून होता तो वास्तव में किसानों का कुछ हित हो सकता था। जहाँ आज गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में अजब तरह के कर लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ जागीर रिजम्प्शन से किसानों को मुक्त करने की दुहाई दी जाती है, ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं, यह मेरी समझ में नहीं आती। आज जबकि पूंजीवाद को यह डर लग रहा है कि पूंजीवाद अब ज्यादा टिकने वाला नहीं तो वह चाहता है कि अपने साथ दूसरी संस्थाओं को भी ले डूबे। पूंजीवाद डूबते डूबते किसानों के वास्तविक हितैषियों को भी ले डूबना चाहता है।

मैं इस जागीरी अमेंडमेंट बिल पर जो कुछ वाद-विवाद हुआ उस सम्बन्ध में दो-एक बातें प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, दावा यह किया गया है कि हमने पं० जवाहरलाल नेहरू को कन्सल्ट किया पं० पन्तजी को इसमें मध्यस्थ बनाया; मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ। लेकिन माननीय जवाहरलाल जी नेहरू ने जो कुछ अवार्ड दिया उससे राजस्थान गवर्नमेंट पीछे हट गई है। पं० नेहरू ने अपने

[रावत श्री शम्भूसिंह]

अवार्ड में जो कुछ कहा है वह डेमोक्रेसी के उसूलों के मातिक है। जो जो इन्वेस्टमेंट जागीरदारों ने अपने इलाकों को सुख समृद्ध बनाने के लिए किए उसका भी कम्पेन्सेशन देने के लिए कन्सीडरेशन होना चाहिये। आज जिस इम्प्रूवमेंट की वजह से राजस्थान की भूमि इतनी उर्वरा हो सकी है, जिसका उत्पादन इतना बढ़ा है उस इम्प्रूवमेंट की ओर ध्यान नहीं रखा गया है, यह जो किया गया है वह पंडित नेहरू के अवार्ड के विरुद्ध है। पन्तजी से भी इस संबन्ध में वार्ता हुई। लेकिन उनके आदेश के विपरीत भी कई धाराओं में परिवर्तन किया गया और इस तरह से राजस्थान सरकार अपने वचनों से पीछे हटी है। ऐसी अवस्था में यदि कोई पंडित नेहरू को एप्रोच करे और कानून की शरण ले तो इसकी उत्तरदायी राजस्थान सरकार होगी।

अध्यक्ष महोदय, यह दावा किया जा रहा है कि इस जागीरी उन्मूलन से राज्य में विकास होगा, किन्तु मैं समझता हूँ कि इसके उन्मूलन से जागीरी इलाकों में जिन लोगों को एम्प्लोयमेंट मिला हुआ था वे सब लोग अनएम्प्लोयड हो जायेंगे और इस तरह से हमारे प्राँतों में बेकारी की समस्या और ज़्यादा बढ़ जायगी।

श्री अध्यक्ष—That is not the intention.

मैं स्पष्टीकरण कर दूं। थर्ड रीडिंग पर जो डिबेट होनी चाहिये उसका क्या मतलब है? आप जनरल तौर पर सारे बिल पर इसके अनुसार डिसकस कर सकते हैं; यह नहीं कि फिर उसके प्रिन्सिपल पर डिसकस करें और उसकी डिटेल में जाकर कुछ कहें। रूल १४७ कहता है—

"The discussion on a motion that the Bill be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the Bill or for the rejection of the Bill. In making his speech a member shall not refer to the details of the Bill further than is necessary for the purpose of his arguments which shall be of a general character."

Yes, He (Shri Shambhu shingh) has finished.

श्री मानसिंह महार—टाइम हो गया साहब। अभी तो बोलने वाले भी बहुत हैं। आगे के लिए स्थगित कर दीजिये साहब।

श्री अध्यक्ष—I want to know how many members want to speak.

एक माननीय सदस्य—Ten.

Page No.89

श्री अध्यक्ष—No, vague, We can sit upto 1.00.

श्री शम्भूसिंह—तैयारी करके भी तो आना है इस पर हमें।

श्री अध्यक्ष—Let us sit upto 1.00 and we can finish. What is the use when we have discussed the Bill threadbare, clause by clause. If the Hon'ble Members can contribute some new arguments we are prepared to sit upto one.

एक माननीय सदस्य—We are prepared to sit.

श्री अध्यक्ष—Then those who want to speak will catch my eye.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, काफी बहस इस बिल पर हो चुकी है और माननीय अध्यक्ष ने अभी जो स्पष्टीकरण किया थर्ड रीडिंग का उस स्पष्टीकरण के बाद ज्यादा समय लेना आवश्यक भी नहीं है। एक कहावत प्रचलित है माननीय अध्यक्ष, कि 'History never repeats itself'

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस)—It does, it does.

('करतलध्वनि' सरकारी पक्ष की ओर से)

जरा सुनें आप।

"But if it does, for the first time it is a tragedy and the second time it it a farce."

तो हमने आज जो कार्य किया है इतिहास की दृष्टि से देखा जावे तो यह ऐतिहासिक कार्य गिना जाना चाहिये। इतिहास की दृष्टि से अगर देखा जावे तो जैसा कि मेरे माननीन मित्रों ने कहा इसकी वजह से राजस्थान में क्रान्ति हो जाय, ऐसी परिस्थिति पैदा होनी चाहिये और जागीरदारों का राजस्थान की भूमि सम्बन्धी अधिकारों का खात्मा हो, भूमि के साथ उनके आज तक के जिस तरह के सम्बन्ध रहे उनका उन्मूलन हो, इस बात से न सिर्फ इस सदन के माननीय सदस्य ही खुश होंगे बल्कि इस बिल को इस बात से राजस्थान का बच्चा-बच्चा खुश होगा। इस माने में और इस दृष्टिकोण से, सिवाय इसके और कोई दूसरी राय नहीं बनाई जा सकती कि हमें इस बिल को पास करना चाहिये। लेकिन जैसा मैंने अभी अर्ज किया माननीय अध्यक्ष महोदय, कि यह दूसरी प्रकार का रिपीटीशन है हिस्ट्री का और इस वजह से ऐसी परिस्थिति इस कानून से पैदा हुई है कि एक बार इस बारे में एक बड़े पोलिटीशियन ने पिछली लड़ाई के जमाने में कहा था :

"There has never been an occasion in history where so many have contributed so much to the welfare of such a large number."

लेकिन इस बिल के मातहत मेरा ख्याल है कि शायद ऐसा कोई मौका आजतक नहीं आया होगा कि जब इतने कम लोगों के लिए इस हद तक और इतनी बड़ी मात्रा में एक बहुत बड़े

[एक सदस्य]

जन-समुदाय का इतना बड़ा नुकसान किया गया हो। इस बिल में जो धाराएँ हमने पास की हैं उनका उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, लेकिन मैं संक्षेप में यह अर्ज करना चाहूँगा कि मेरे एक माननीय मित्र जो कि उस ओर बैठने वाले हैं माननीय सदस्यों के चीफ व्हिप हैं, गलती से उनके मुख से एक बात सच निकल गई और वे जो कह गए उनसे यह स्पष्ट हो गया कि दरअसल इस सारे बिल को कानून की शक्लदेने में जो दृष्टिकोण रक्खा गया है उसकी वजह से यह बिल उसकी काया के समान है। वह कह गये कि कई अमेन्डमेंटस जो हमने, इधर बैठने वालों ने रक्खे इस बिल पर, उन पर, उन पर से हमारे उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को ऐसा लगता था कि अमेन्डमेंटस उनको भी प्रभावित करते थे, लेकिन फिर भी चूंकि उन्होने समझौता कर लिया और उस समझौते की शर्तों से बन्धे हुए हैं वे उसे बदलना नहीं चाहते; इसलिए उन्होंने उन संशोधनों को भी अस्वीकार कर दिया।

श्री मथुरादास माथुर—I never said 'many amendments'. I said only about one amendment and that is moved by the Hon'ble Shri Bhairon Singhji.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I admit the correction made by the Hon'ble Member. He said only for one, but he must have felt it for many more.

तो मैं यह अर्ज कर रहा था माननीय अध्यक्ष, कि यह काया रह गई इस बिल की कि जिस काया के बूते पर आज हमने चार-पाँच दिन से लगातार यह बहस की और चाहे हम इसके लिए अपनी पीठ थपथपाएं और चाहे हम कहें कि हमने एक ऐतिहासिक कार्य किया है, चाहे हम यह कहें कि हमने यह in its totality और ऐसे ही दूसरे रेवेन्यू के कई कानूनों को मिला कर इनसे हमने किसानों के लिए कुछ न कुछ राहत की परिस्थिति पैदा की है लेकिन हकीकत यह है कि जब इतिहास ने मोड़ लिया है और एक जबर्दस्त मोड़ लिया है और वह मोड़ लेकर इतिहास जो यह एक अपूर्व मौका हमारे सामने लाया, जब परिस्थितियों ने मोड़ लेकर कुन्जी हमारे हाथ में रक्खी और एक सुनहरा मौका हमारे सामने आया और उस मौके पर हम लड़खड़ा गये, कोई सही फायदा आप जनता का, किसान का नहीं कर पाये, यह मौका हमने खो दिया, हम फेल होने की नौबत पर पहुँच गये। हम इतने halty हो चुके कि हम शायद आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं, यह भी कहना कई बार तो कठिन प्रतीत होता है। हम समय पर फेल हो गये इसलिये इस बिल के बारे में हम कहेंगे, मेरा ख्याल है कुछ मित्रों की तो मैं नहीं कह सकता, पर ज्यादातर यही चाहेंगे कि इसको पास किया जावे और मैं भी इसी राय का हूँ माननीय अध्यक्ष, कि हालां कि वक्त की पुकार हमने नहीं सुनी और सुनकर उसके अनुसार काम नहीं किया फिर भी जो कुछ हुआ है उसके लिए चाहूँगा कि इस बिल को पास किया जावे; लेकिन साथ ही यह समझकर पास किया जावे कि जो कुछ हम पास कर रहे हैं वह परिस्थितियां जितनी चाहती थीं अथवा चाहती हैं उससे कहीं कम है। इस बिल को यह समझ कर पास किया जावे कि आज हमने जो कुछ किया है वह तो शायद नाम-मात्र की शुरुआत है। आगे बढ़ना है हमें, और बहुत कुछ आगे और करना है, राजस्थान के किसानों के लिए; उनको राहत देने के लिए जो हमें करना था वह पूरा नहीं किया है हमने, यह तो शुरू करने का पहला ही कदम हमने उठाया है। साथ ही निश्चित रूप से यह मानकर पास करें इस बिल को कि हमने

Page No.91

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इसके द्वारा आज एक अविचारक और काल्पनिक अशान्त वातावरण, समाज के अशान्त वातावरण के नाम पर एक विशेष वर्ग को इतनी बड़ी-बड़ी सहूलियतें दे डाली हैं कि जिसका बोझा हमें परेशान करेगा, राजस्थान के आम लोगों को परेशान करेगा और जिस बोझ को हमें आगे चलकर समाप्त करना है, इस बोझे से छुटकारा पाना है। हम यह मानकर पास करें कि खुदकाश्त के सवाल पर जिस प्रकार का क्लॉज़ हमने स्वीकार किया है उससे एक नहीं अनेक लोगों के अधिकारों को कुचला गया है; सैंकड़ों, हजारों ही नहीं, लाखों किसानों के अधिकारों के हनन का मौका इसके द्वारा आवेगा और हमें इस बात की तैयारी भी रखनी चाहिये कि इस समय तो भले ही आपने हाथ रोक लिया पर आइन्दा मौका आवे तो इससे आखें न मूंदें और इन्हें राहत देने के लिए आवश्यकता हो तो एक नहीं अनेक संशोधन इसमें किये जावें और जिस कार्य का जो श्री गणेश, शुरूआत या प्रस्तावना आपने आज की है उसे आगे बढ़ाएं।

इन शब्दों के साथ मैं यह अपनी राय प्रस्तुत करूंगा कि इसे आप पास करें और अपने दिल को साफ कर लें और दिमाग की उलझनों को भी दूर कर लें और यहां से जावें तो पूरे सन्तोष के साथ नहीं बल्कि इस तैयारी से जावें कि जिस कार्य में हम पीछे रह गये हैं उसमें हमें आगे बढ़ना है और उस अधूरे काम को पूरा करना है। उनके लिए भविष्य का रास्ता खुला होगा और उनको भविष्य के लिये यह अधिकार होगा कि वे राजस्थान के किसानों के हितों को संरक्षण दे सकें। उस वक्त इस तरह का समझौता उनके हाथ न रोक सके, ऐसा प्रयत्न उनको करना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ जो मेरी अपनी राय थी वह सदन के सामने मैंने प्रस्तुत की है।

श्री भैरों सिंह (१६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान लैण्ड रिफॉर्मेस एण्ड जागीर रिज़म्शन (एमेंण्डमेंट) बिल के विषय में जो यह थर्ड रीडिंग चल रहा है उस सम्बन्ध में जितने भी माननीय वक्ताओं के भाषण सुनने को मिले उन सबके जरिये से एक ही बात प्रतीत हुई कि इसके जरिये से राजस्थान में एक क्रान्ति होने वाली है और राजस्थान सरकार का यह है एक क्रान्तिकारी कदम।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी हम क्रान्तिकारी कदम लें इसके पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो क्रान्तिकारी कदम हम उठा रहे हैं वह कानून संगत है या नहीं, न्यायसंगत है या नहीं और हमारे भारत के संविधान के अनुकूल भी है या नहीं।

मैंने, जिस समय प्रथम वाचन के समय भाषण हो रहे थे उस समय भी माननीय मित्रों का इस ओर ध्यान आकर्षित किया, था कि जो कुछ भी कार्यवाही इस बिल के द्वारा की जा रही है वह भारत के हमारे संविधान के प्रतिकूल है और इस कारण से यह आशंका है कि जिस क्रान्तिकारी कदम के उठाने के लिए बार-बार आवाज उठाई जा रही है वह बालाए ताक में रक्खा जाकर फिर दूसरे प्रकार का समझौता और सद्भावना का वातावरण निर्माण करने की बात फिर न करनी पड़े। जिस तरह से दो वर्ष का समय इस पहले समझौते में लग गया उसी तरह से फिर दो तीन साल का समय इस दूसरे समझौते के करने में न लग जावे, यह भी आपको देख लेना है।

[श्री भैरोंसिंह]

माननीय अध्यक्ष, भारतवर्ष के विधान के अनुकूल जब किसी की संपत्ति का हनन किया जाता है या संपत्ति के ऊपर राज्य सरकार द्वारा अधिकार किया जाता है तो उस वक्त सामने एक दृष्टिकोण रखा जाता है कि जिस संपत्ति का हम अधिकार करने जा रहे हैं उस संपत्ति पर अधिकार करने का वास्तविक तथ्य क्या है ? और उस तथ्य को जिस वक्त तक कानूनी स्वरूप नहीं देंगे तो सारी की सारी कार्यवाही विधान के प्रतिकूल समझी जायगी। जिन जागीरदारों ने राजस्थान हाई कोर्ट में राजस्थान के मूल कानून के खिलाफ जब रिटें पेश की थीं तो उसमें भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया था कि जिस कारण से जागीरें ली जा रही हैं उस कारण का जिक्र नहीं है। उसका रिपीटिशन इस कानून में किया गया है। आज यह मानकर चला जाता है कि मूल कानून को जागीरदार ने स्वीकार किया है। मूल कानून में यह संशोधन रखा है जिसमें पांच हजार से कम के जागीरदारों को को शामिल किया गया है उसके लिए भी एक ही दृष्टिकोण नहीं करना चाहिए था। उसमें स्पष्ट होना चाहिए था कि किस दृष्टिकोण से आप दूसरे आदमी की संपत्ति छीनने जा रहे हैं।......

श्री अध्यक्ष—आप प्रेस करने के विरोध में बोलिये।

श्री भैरोंसिंह—मैं विरोध में बोल रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जैक्टस एन्ड रीजन्स को उठाकर देखियेगा तो स्पष्ट मालूम होगा कि जागीरदारों और कांग्रेस सरकार में जो समझौता हुआ है उस समझौते को कार्यान्वित करने के लिए यह संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हम इस बिल के द्वारा पांच हजार की जागीरों को समाप्त करना चाहते हैं, उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया है। जो मूल कानून में जागीरें समाप्त करने का तरीका अख्त्यार किया गया है उस तरीके का कारण क्या है ? कारण नहीं दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय मन्त्री महोदय को बताऊंगा कि वह विधान के प्रतिकूल है। राजस्थान सरकारको जितने भी कानून बनाने का अधिकार है दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करने का अधिकार है उनमें यह स्पष्ट लिखते हैं कि पब्लिक युटिलिटी के लिये, पब्लिक पर्पज के लिए दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करना आवश्यक हैं वह कर सकती है, लेकिन उसको भी स्टेमेंट आफ आब्जेक्टस एन्ड रीजन्स में जाहिर करके बताना पड़ेगा ताकि कानून के रूप में यह मान लिया जाय कि राजस्थान सरकार जनता के काम के लिए, पब्लिक के काम के लिए इस प्रकार दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। इस बात का इस बिल में भी जिक्र होता तो ज्यादा उचित होता।

मैं यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पांच हजार से कम की आमदनी वाली जागीरें रहें, यह प्रथा उसी प्रकार से बनी रहे, इस सिद्धान्त के प्रतिकूल हूं; बल्कि मैं तो उन आदमियों में से हूं जो कि चाहते हैं कि जागीरदारों को बिना मुआवजा दिये ही समाप्त किया जाय। जिस क्रान्ति की यह बराबर चर्चा चल रही है और राज्यस्थान सरकार उसके लिये अपने आपको सौभाग्यशाली समझती है और विरोधी दल के सदस्यों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहती है व धन्यवाद किया गया, लेकिन यह क्रान्ति कार्य रूप में नहीं आयेगी। जब तक कि विधान की इसमें खामी है और राजस्थान सरकार इसको करती है तो दूसरी तरफ से जो जागीरदार जाकर बैठ गये हैं वे ही हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर

[श्री भैरोंसिंह]

ले आयेंगे और एक परिस्थिति इस तरह की आयेगी कि वे इस तरफ बैठने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करेंगे। उसके बारे में आज राजपूतों में और खास तौर से जागीरदारों में इस तरह के वातावरण का निर्माण किया जा रहा है.. ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कि वे लोग विधान प्रतिकूल जो चीज है इसको सामने रख कर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर प्राप्त करेंगे।

दूसरी चीज जो मुझे निवेदन करना है वह है खुद काश्त के विषय में। आपने इस बात का जिक्र किया था कि यह अमेंडिंग बिल किस तारीख से शुरू होगा। क्लॉज़ १ में लिखा है "It shall be deemed to have come into force from the 18th February, 1952."

जो खुद काश्त का प्रोवीजन रखा है क्लाज़ १४ (मूल कानून) के मातहत तो उसमें यह स्पष्ट है कि जिस वक्त कि खुदकाश्त के बारे में दरख्वास्त देना हो तो वह इस एक्ट के कमेन्समेंट के बाद में दे सकता है। उसमें ६ महीने की अवधि दी गई है, लेकिन आज इस एक्ट को कमेन्समेंट में आये हुए ढाई साल समाप्त होगये और आज यह कहा जाता है कि खुदकाश्त के बारे में उनको कार्यवाही करना है तो या तो उन अधिकारियों का, जिन लोगों ने यह कानून बनाया है उन लोगों ने अपनी बुद्धि का इन्श्योरेंस कर दिया है या अपनी बुद्धि का दान कर दिया है। अगर उनमें थोड़ी बहुत बुद्धि होती तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि क्लॉज़ १ में वह जो यह लिखते हैं कि "It shall be deemed to have come into force from the 18th February '1952" और उसके बाद इस चीज को मानने को तैयार नहीं हैं कि कमेन्समेंट का मतलब यह लिया जायगा कि १८ फरवरी, १९५२ से यह कमेन्समेंट में होगा। उसमें साफ है Resumption of Jagir and Land Reforms (Amendment) Act, 1954. इस का कमेन्समेंट किस वक्त से समझा जायगा। अगर १८ फरवरी, १९५२ से ही कमेन्समेंट की सूचना समझी जाती है तो इसका मतलब यह है कि जो ६ महीने की अवधि थी वह गई खड्डे में। छोटे जागीरदारों को इस बात का आश्वासन दिया गया था कि खुदकाश्त पर्याप्त मात्रा में दी जायगी, वह सारी की सारी चीज खड्डे में गई। इस आश्वासन के साथ कहा जाता है कि हम क्रान्ति ला रहे हैं, लेकिन वह क्रान्ति-क्रान्ति होगी उन लोगों के कुचलने के लिए जो कि गरीब हैं, जो राहत पाने के मुन्तजिर हैं। इन लोगों की राहत के लिए सरकार कोई प्रयत्न करेगी, लेकिन आज नाम लिया जाता है, लेन्ड रिफॉर्म्स करने का नाम लिया जाता है जिससे सामाजिक क्रान्ति आयेगी, लेकिन मैं आज स्पष्ट कहूँगा कि हम लेन्ड रिफॉर्म्स नहीं, capitalist reforms and petty Jagir resumption Act पास कर रहे हैं। जागीर रिज़म्पशन का जो नाम लिया जा रहा है वह महज पेट्टी जागीर होल्डर्स (petty jagir holders) को रिज्यूम करने में सरकारी कार्यवाही है और इस प्रकार की कार्यवाही जस्टिस और इक्विटी के नाते है। आप कहते हैं कि हमारी जितनी कार्यवाही है, जितनी क्रान्ति है उसका आधार है जस्टिस एन्ड इक्विटी। jutstice and equity) पंत एवार्ड सामने है। पन्त रिपोर्ट के जस्टिस और इक्विटी के सिद्धान्त को बालाये ताक रख दिया है।

[श्री भैरोंसिह]

पन्त एवार्ड जो कि रामायण है, महाभारत है और कोई ने तो बाइबल कहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह मरने वाले के पीछे पढ़ा जाने वाला गरुड़ पुराण है। तो उस गरुड़ पुराण के जरिये सारी कार्यवाही हो रही है। इसी गरुड़ पुराण के जरिये सारी इक्विटी और जस्टिसको दूर कर दिया है। आप करोड़ों का जीवन बदलने जा रहे हैं। अगर आप अन्याय करेंगे, उस विधान की आवाज के खिलाफ जायेंगे, इस प्रकार का दृष्टिकोण रखेंगे, तो जिस प्रकार आज यह गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है तो एक और गरुड़ पुराण उनके लिए भी पढ़ा जायगा। इसलिए उन गरीबों के साथ न्याय हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरी चीज जो मुझे बतानी है, वह विस्तार रूप से बता दूं। आज चाहे आप यह कहें कि हम इस प्रकार से क्रान्ति लायें। यह स्पष्ट दृष्टिकोण आज आपके सामने रख दूं कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि कल श्री वेदपालजी त्यागी ने कहा था कि धन और धरती बांटकर रखें। धन और धरती पर किसी का कब्जा नहीं, वह सबकी चीज है, इस संसार के अन्दर जिन्होंने जन्म लिया है उन सब का बराबर का अधिकार है, अगर वह बराबर करने का कानून नहीं है तो वह क्रान्ति नहीं, गरीबों को कुचलने का कदम है। दुबारा निकले हुए इस कानून की दिक्कतों को सामने रखते हुए, सिद्धान्ततः यह सारे के सारे गरीबों की ओर ध्यान दिया गया है, उन गरीबों की उस कथित क्रान्ति के बाद दुर्दशा होने वाली है। वह गरीब दरअसल में सच्चे भक्त हैं। उन गरीबों को इसमें कुचलने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी उनकी देशभक्ति में कमी नहीं आवेगी, लेकिन देशभक्ति के साथ दूसरे गन्दे वातावरण का निर्माण हो सकता है, उन लोगों की तरफ दुर्भावना जाग्रत हो सकती है। इसलिए इस पर दुबारा विचार किया जाय और दुबारा विचार करने के पहले इसको एक दफा समाप्त किया जाय। दूसरा कानून भी १५-२० दिन में, प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार की खामी रहे तो अन्यायकारी होगा और कल्याणकारी राज्य के लिए वह शोभाप्रद नहीं होगा।

तीसरी चीज में सदन के समक्ष जो प्रस्तुत करना चाहता हूँ वह यह है कि जो कुछ इतने बिल आये हैं उसका भी उसी प्रकार विचार किया जायगा। हमारे रूल्स आफ प्रोसीजर के कानून के अनुसार गजट में नोटीफाई करते हैं, लेकिन इस कानून को इस प्रकार से नोटीफाई नहीं किया गया है। जब तक कोई भी बिल राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया जाय, लोगों को जानकारी नहीं दी जाय, अगर उसको कानून के अंग रूप में मान लिया जाय तो बिल्कुल अवैधानिक चीज होगी और वह अवैधानिक करार दे दिया जायगा।

इन सारी आपत्तियों को सामने रखते हुए मेरा यह दृष्टिकोण है कि जिस स्वरूप में यह बिल है यदि इस बिल को इसी स्वरूप में ले लिया गया तो वह हाईकोर्ट में जाकर चेलेन्ज करेंगे और २-३ साल का जिसमें समय लग गया वह क्रान्तिकारी बिल धरा का धरा रह जायगा।

आज यह चर्चा चल रही है कि राजस्थान क्षत्रिय महासभा और कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर इस सारे समझौते को क्रियान्वित किया है और छोटे भूस्वामियों के प्रतिनिधित्व की खास तौर से दलील

[श्री भैरोंसिंह]

दी गई है कि पन्तजी से मिलने में छोटे भूस्वामियों का रिप्रेज़ेन्टेशन किया गया है, उसकी सारी बातें ठीक प्रकार से बताऊंगा। उस वक्त जो रिप्रेज़ेन्टेटिव गये थे उनको यह मालूम हुआ था या मालूम करा दिया गया कि किस प्रकार उनके सामने यह मामला प्रस्तुत करना है। लोगों को महज दिखाने के लिये उनको ले गये थे। वे महाशय कैसे थे कि वे असेम्बली में कभी नहीं बोल सकते थे। माइक से भी इनकी आवाज नहीं निकलती है। ऐसे आदमी ने जाकर रिप्रेज़ेन्टेशन किया। हमारा उन लोगों के पास जो कि दरअसल में दूसरे लोगों के आर्बिट्रेटर के रूप में समाज के सामने क्रान्तिकारी कदम लेने का विचार किये हुए थे उनके सामने ऐसे प्रतिनिधि ने प्रतिनिधित्व किया जिसके कारण मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि छोटे जागीरदारों के हितों की रक्षा नहीं हुई है, उनके साथ अन्याय हुआ है, कोई चीज न्यायसंगत नहीं हुई है। पन्त रिपोर्ट में कहीं यह नहीं है कि वे राजी हो गये हों कि ५ हजार से कम की आमदनी वाले जागीरदारों को खत्म किया जाय और उनको कम्पेन्सेशन दिया जाय या कोई भी क्रान्तिकारी कदम के लिए वह सरकार का जो कार्य है वह उन लोगों के लिए काफी है। उन लोगों के पुनर्वास सहायता के लिए किस तरह से रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट दी जाय। आज कह जरूर दिया जाता है कि छोटे-छोटे जागीरदारों को ज्यादा मुआवजा दिया जारहा है, ज्यादा रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट दी जा रही है। क्या छोटों को ज्यादा देंगे और बड़ों को कम देंगे? उनमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। वही ७ गुना मुआवजा बड़ों को दिया जायगा और वही ७ गुना छोटों को दिया जायगा। मुआवजा बराबर ही दिया जायगा। रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट बड़ों को ११ साल के लिये दी जायगी और छोटों को १८ साल के लिये दी जायगी। यह बिल्कुल भुलावा मात्र है। राजस्थान की कांग्रेस के सामने कोई इकोनोमिक प्रोग्राम नहीं है। जागीरदारी प्रथा खतम होने के बाद उनके पास चुनाव के नारे लगाने के लिये और कोई बात नहीं रह जायगी, सिवाय यह कहने के कि हम कम्पेन्सेशन जागीरदारों का खतम करेंगे और उनको मिलनेवाली रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट खतम करेंगे और इसी के ऊपर वोट बटोरने के सारे साधन जुटायेंगे। चाहे सरकार १८ गुना दे, चाहे ११ गुना दे या कैसी भी योजना भुलावे के लिये सामने रखे उसको कार्यान्वित न तो वे करेंगे और न जनता ही उन्हें ऐसा करने देगी। तो ऐसी हालत में अच्छा यह होता कि छोटे जागीरदारों को, भोमियों को एक मुश्त देकर रिहेबिलीटेट करने की स्वीकृति होती। लेकिन सारी की सारी चीजें पन्त अवार्ड को सामने रखकर कहते हैं कि हम इसके प्रतिकूल नहीं जा सकते। चाहे हम न्याय करें, चाहे अन्याय करें, चाहे विफल हों, चाहे सफल हों, सारी चीजों में हम दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे और हम पन्त एवार्ड को मानेंगे। मैं कहूँगा कि आपका कानून हाई कोर्ट में चैलेन्ज होगा रिट्स के जरिये। इससे तो अच्छा यही होगा कि इस कानून को विद्ड्रा करके दूसरा कानून प्रस्तुत किया जाय।

श्री हरलालसिंह—आज के महान् युग में सदियों से चली आ रही सामन्त प्रथा का खात्मा आज हमारे यहाँ हो रहा है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने और कांग्रेस सरकारने यह महान् कदम उठाया है। उसके लिये वह तो धन्यवाद की पात्र है ही लेकिन साथ ही जिन हमारे दूसरे भाइयों ने, जो कि जागीरदार हैं और जिनकी बड़ी-बड़ी जागीरें खतम हो रही हैं उन्होंने इस कार्य में सरकार को सहयोग दिया है। उसके लिये वे भी धन्यवाद के पात्र हैं (करतल ध्वनि) मैं कल से नये विचार में पड़ रहा था भैरूँसिंह जी के विचार सुनकर।

Page No.96

[श्री हरलालसिंह]

लेकिन इस वक्त भी जो मंतव्य उन्होंने जाहिर किया है, वह इधर-उधर की बातें मिलाकर किया है। वे हमेशा इसी तरह से बोलते रहते हैं। इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती कि छोटे जागीरदारों के प्रति खास सहानुभूति हो। इस कानून में कुछ खामियें रह सकती हैं, लेकिन वे भी पूरी हो जायेंगी। जैसा कि त्यागीजी ने कहा, हम इस भावना को लेकर चलते हैं कि इन्तजार अब ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, नजदीक ही में सब काम हो जायगा। हमारे सामने भविष्य है उसके लिये आप इन्तजार करें। मैं समझता हूँ इस मामले में सभी भाई सद्भावना के साथ इस कानून को पास करें और हमारे राजस्थान में जो प्रथा सदियों से चली आ रही है उसको खत्म करें। यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

(श्री ईश्वरीसिंह और श्री मानसिंह महार दोनों ही एक साथ बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष—श्री मानसिंह महार बोलें।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, जागीर उन्मूलन बिल के तीसरे रीडिंग के ऊपर बोलते हुए मैं ज्यादा निवेदन न करके यही कहूँगा कि हमारे मित्रों ने जो सद्भावना के वातावरण के बारे में कुछ बातें फरमाई हैं और इस बात पर कांग्रेस पार्टी के सचेतक ने जो खास जोर दिया है उसके लिये मैं कहूँगा कि वे इस सद्भावना के वातावरण के लिये हमारे धन्यवाद के पात्र शायद हो सकते थे, लेकिन उन्होंने जो एक छोटी-सी बात बीच में सुर्खी सी छोड़ दी कि हमारी कुछ धाराओं के लिये पूरी इच्छा होते हुए भी हमने उनको दबा दिया। उन्होंने यह एक ऐसी बात खड़ी करदी कि जिससे प्रत्येक जागीरदार के घर में गृह-कलह-सा खड़ा कर दिया है (हँसी) और मैं जानता हूं कि उन्होंने सद्भावना की ओट में छिपाये हुए इसी नियत से बात कही है कि इस प्रकार का वातावरण खड़ा हो। लेकिन अध्यक्ष, महोदय इस जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट पर जो अमेन्डिंग बिल आया है उसकी हम सबको उतनी ही खुशी थी जितनी कि उनको थी, किन्तु दुर्भाग्य से जो इस बिल के बारे में हमारे सामने पंत रिपोर्ट के रूप में कुरान शरीफ थी उसके अन्दर इस प्रकार का रद्दोबदल किया गया है कि जिससे इस कुरान शरीफ की शक्ल और सूरत ही बदल गई है। तो इस प्रकार की जो धार्मिक चीज होती है उसमें रद्दोबदल करना तो कोई मनुष्य का काम नहीं होता (हँसी)। लेकिन यह रद्दोबदल कुछ मनुष्यों ने ही कर दिया, इसलिये मैं इन चीजों को मंजूर करने में असमर्थ अपने आप को पाता हूं (हँसी)।

श्री भैरूंसिह (वि० स० १६)—आप तो मोहम्मद शाह हैं।

श्री मानसिह महार—(भाषण जारी रखते हुए) इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो ५ हजार से कम के जागीरदारों के बारे में बात कही गई है वह बिल्कुल वाजिब बात है। विरोधी पक्ष के नेता ने एक वाजिब बात कही। उन्होंने उस पक्ष का खंडन किया कि यह बातचीत एक वर्ष पहले तय हो चुकी थी कि ५ हजार से नीचे की जागीरें भी साथ ही ली जायेंगी। उन्होंने पंत रिपोर्ट के कुछ वाक्य सुनाये। इससे साफ जाहिर होता है कि ५ हजार से नीचे की जागीरों के पुनर्ग्रहण का जो सवाल

[श्री मानसिंह महार]

था वह २५ दिन पहले ही लोगों के सामने आया। यह बात इसकी द्योतक है कि ऐसे ५ हजार से ऊपर के जागीरदार बहुत कम हैं उनके मसले को तय करने में तो साल, डेढ़ साल लग गया। पैसेवालों को समाप्त करने में तो साल, डेढ़ साल लग गया और गरीबों के लिये केवल २० दिन में ही सारा कार्य हो गया। इससे बढ़कर क्या सुबूत हो सकता है कि उनके मसले पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिये था।

दूसरी बात ताज्जुब की जो हमारे सामने आई, वह यह है कि हमारे धौलपुर से आये हुए सदस्य ने यह फरमाया कि इस सदन में किसानों को रिप्रेजेन्ट करने वाला कोई नहीं है और जो हैं वे सब जागीरदारों को ही रिप्रेजेन्ट करते हैं और उनका ही पक्ष ले रहे हैं। यह बात सरासर गलत है क्योंकि जो कुछ थोड़े बहुत अमेन्डमेन्ट पेश हुए हैं और पंत रिपोर्ट के रूप में कुरान शरीफ हमारे सामने आई थी वह भी इस बात की द्योतक है कि जागीरदारी प्रथा को खत्म किया जाय। इसका अर्थ यह था कि जागीरदारी के खत्म होने से किसानों का भला होगा।

श्री वेदपाल त्यागी—Now, the Hon'ble Member represents the Kisans.

श्री मानसिंह महार—I am always representing the Kis ns.

तो किसानों के भले-बुरे की बात है, वह भी, इस सदन के अन्दर सब लोग जो आये हैं वे किसानों के वोटों से, जागीरदारों के वोटों से और दूसरे सब लोगों के वोटों से जीत कर आये हैं। तो यह कहना कि किसानों का पक्ष यहाँ पर रिप्रेजेन्ट नहीं होता, यह सरासर गलत है।

यह जो चंद खामियाँ इसके बारे में हैं उनको सदन के सामने रखने के बाद एक बात और जो धौलपुर के सदस्य ने फरमाई कि जागीरदार जो यह छोटी-मोटी माँगे करते हैं। इससे उनकी उदारता पर काला धब्बा लग जाता है। इसके ऊपर मैं यह कहना चाहता हूँ कि जागीरदारों ने बहुत-सी मांगें रखी थीं और यह जो अमेंडिग बिल आया है वह इनकी मांगों का १० वाँ हिस्सा तो दूर रहा सौवाँ (१०० वाँ) हिस्सा भी नहीं है। इस छोटे हिस्से को भी पन्तजी जैसे तपे हुए नेता के कहने को मान कर स्वीकार किया था। पीढ़ियों से जो जागीरें जागीरदारों के कब्जे में चली आ रही थीं उनको देने की जो बात जागीरदारों ने कही वह कम नहीं थी। इस जागीरी उन्मूलन के सिद्धांत को जागीरदारों ने माना तो वह उनका एक बड़ा भारी क्रान्तिकारी कदम था। तो, यह कह देना कि छोटी-मोटी माँगों पर, छोटी-मोटी चीज़ों पर बहस करना उनके त्याग को कलंकित करता है, सरासर गलत और न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। मैं कहता हूँ कि हम तो कोई छोटी-मोटी मांगें नहीं करते। तो आज मैं जागीरदार वर्ग की तरफ से सदन को बताना चाहता हूँ कि जो कुछ पन्तजी ने फैसला कर दिया उसे हम मानते हैं और आयंदा भी जो कोई खामियां रहेंगी और कमो बेशी की बात पन्तजी या जवाहरलालजी नेहरू कहेंगे उसको सहर्ष मानेंगे।

[श्री मानसिंह महार]

परन्तु यह बात है कि जो बातें समझौते से तय हो जाती हैं उनको बीच में लोग ब्लेकमेल करते हैं, तो वह हम मन्जूर करने को तैयार नहीं हैं। अगर उन्हीं बातों को जिनको आर्बिट्रेटर बनाया उनके पास ले जाते तो अच्छा होता।

जो क्षत्रिय महासभा की ओर से समझौता करने के लिए गए थे उन्होंने जागीरदारों के पक्ष की बातों का सही तौर से रिप्रेजेंटेशन नहीं किया, उन्होंने इस तरह की बात क्षत्रिय महासभा में कही थी कि जिन आशाओं को लेकर वे वहाँ गए थे उन्हें पूरी कराने में असफल रहे। फिर भी यह उन्हीं के धैर्य की बात है कि उन्होंने इसे मन्जूर किया और अपने साथियों को आश्वासन दिलाया था कि इस तरह की स्थिति हमारे सामने आई थी कि उतना तो नहीं है जितनी कि आशा लेकर गये थे, लेकिन पंतजी और जवाहरलालजी जैसे बड़े तपे हुए नेताओं ने मंजूर कर लिया है तो उस बात को टाल नहीं देना चाहिए। परन्तु दुर्भाग्यवश बीच में ये नई बातें खड़ी की गई हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि क्षत्रिय महासभा के नुमायन्दे जो तय करके आए थे, जो पंतजी जैसे तपे हुए नेता ने मन्जूर किया उसके सिवाय और कोई बात मन्जूर करने को तैयार नहीं होंगे, जब तक कि पन्तजी और नेहरूजी इसका फैसला नहीं कर दें। अगर किसी को यह खयाल हो कि जागीरदारों में या छोटे जागीरदारों में से कोई भी ऐसा है जो जागीरी एबोलिशन के सिद्धान्त को नहीं मानता हो, यह उनका केवल भ्रम है; पर इस प्रकार की जो कार्यवाही इस सदन में हुई है उसका हम विरोध करेंगे। जिस प्रकार का अमेंडिंग बिल हमारे सामने आया था, उस पर बहुत से ऐसे अमेंडमेंटस इस सदन में पास हुए हैं जिनसे कि इस बिल का रूप ही बदल गया है। ऐसी सूरत में यह कहना कि इस संशोधित बिल का विरोध करना, जागीरदारों और पंतजी के बीच जो समझौता हुआ है उसका विरोध करना है, यह गलत है। सही चीज यह है कि जो चीज पंतजी और जागीरदारों के बीच, समझौता होकर जो अमेंडिग बिल आया था उसकी शक्ल ही बदल गई है। उस बदली हुई चीज को मानने को हमारे साथी भी दबाव डालते हैं तो भी हम यह बता देना चाहते हैं कि जिन्होंने आर्बिट्रेशन किया है उनको मंजूरी नहीं करा लेते तब तक हम इसको मंजूर करने को तैयार नहीं हैं। अब आखिरी बात मैं सदन के सामने यह कहना चाहता हूँ कि सदन में बहुमत के सामने न्याय अन्याय को कहीं नहीं देखा गया, एक टाइम के बजाय दोनों टाइम बैठकर पास किया जाय, १२ बजे नहीं होता है तो एक बजे तक बैठ कर किया जाय, दूसरी रीडिंग खत्म होते ही तीसरी रीडिंग को २४ घंटों के लिए भी पोस्टपोन नहीं कराया जाय, इस वातावरण में हमारे साथ यह इस तरह का व्यवहार किया गया है। हम जरूर इसकी अपील हमारे आर्बिट्रेटर्स के सामने रखेंगे और इसके बाद जो फैसला वे करेंगे वही करेंगे।

यह जो जागीरी पुनर्ग्रहण है, यह तो जो रिवोल्युशन हिन्दुस्तान में आ रहा है उसकी शुरूआत है, शुरुआत की बात है। इसके बाद हमारे साथी इस परिवर्तन और रिवोल्युशन को यहीं तक सीमित नहीं रखें, पूंजीवाद की ओर भी बढ़ेंगे और भारतवर्ष से पूंजीवाद का भी जल्दी से जल्दी खात्मा करेंगे

[श्री मानसिंह महार]

यह कह कर मेरे मित्रों से अपील करूंगा कि जो कुछ इसके बीच में बातें रह गई हैं उन पर फिर से ध्यान दें और फिर इस बिल को सद्भावना के वातावरण में पास करें जिससे कि राजस्थान एक बहुत सम्पन्न प्रान्त के रूप में ऊंचा उठ सके।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, इस बिल की बहस के दौरान में, जो तीसरी रीडिंग के समय ली गई, कुछ बातें सुन कर मुझे आश्चर्य हो रहा है और मैं बहुत देर से बैठा-बैठा सोच रहा था कि यह कौनसी प्रतिक्रिया है कि ज्यों-ज्यों बिल पास होने के नजदीक आता है, त्यों-त्यों कुछ मित्रों का रोष बढ़ता जाता है, कुछ खामियाँ बताने की कोशिश की जाती हैं। इन चीजों को बार-बार कहा जाता है तो दिमाग में और तरह का असर होता है। अभी मेरे एक मित्र बोल रहे थे, उनके पहले भी एक मित्र बोले, यहाँ तक कि विरोधी दल के नेता भी बोले, उन्होंने भी कहा कि पंतजी का इस ओर बैठे हुए लोगों ने आदर नहीं किया, जिस रूप में यह बिल लाया गया उस रूप में नहीं किया और उस पर संशोधन कर दिये।

मैं नहीं कहना चाहता था, पर सदन के सामने कई अमेंडमेंट आये। कोई धारा ऐसी नहीं थी जिस पर अमेंडमेंट नहीं आए हों, जिस पर पंतजी की रिपोर्ट के खिलाफ, विरोधी दल के सदस्यों ने और विरोधी दल के नेता ने वोट दिए हैं और अब हम पर यह चार्ज लगाया जा रहा है कि हमने उसका पालन नहीं किया। हमने उसका पूरा सपोर्ट किया है और उसी के अनुसार चलने की पूरी-पूरी कोशिश की है। बेदखली का हमने विरोध किया है, पंतजी ने विरोध किया है और इस सम्बन्ध में उपधारा आ जाय तो कहा यह जाय कि हमने पन्तजी की बात का विरोध किया, जो जागीरदारों और राजस्थान सरकार के बीच समझौता हुआ उसका विरोध किया, पंतजी का आदर नहीं किया। मैं कहता हूँ कि निश्चित तौर से जो इस बारे में कोरेस्पॉन्डेन्स हुई है उसको देख लिया जाय, पंतजी की रिपोर्ट को देख लिया जाय, किसानों की बेदखली का हमने विरोध किया है। कम्पेन्सेशन बढ़ गया, इस पर हमने ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि पंतजी ने जो राय दी है उसको हमने पूरी तरह से माना है।

किसानों की बेदखली का हमने कहीं पर भी समर्थन नहीं किया है। इस सम्बन्ध में जो दो अमेंडमेंट लिए गए उनके बारे में कहा गया है।

दूसरा एरियर्स के बारे में अमेंडमेंट किया, आप कहीं पर भी किसी के पास चले जाइए, कोई इसे न्यायसंगत नहीं कहेगा, कोई जागीरदार कह दे कि अमुक किसान में एक हजार रुपया माँगता हूँ, और सामने वाला कहता है कि मैं दे चुका हूँ, गवर्नमेंट इसको वसूल करवादे, इस को कोई न्यायसंगत नहीं कह सकता, ऐसा क्यों करवाना चाहते हैं, इस पर कहा जाय कि पंत एवार्ड को नहीं माना गया।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

आप इन चीजों को सरकार से कबूल करवाना चाहते हैं और अगर सरकार इनको कबूल नहीं कर सकती है और कबूल करने में असमर्थ है तो आप यह कहते हैं कि पन्त एवार्ड को नहीं माना गया। तो मैं यह कहूँगा कि इस प्रकार का कहना एक भ्रममात्र है। बहुत-सी बातें विरोधी दल की तरफ से व विरोधीदल के नेता की तरफ से कही गईं। मैं उन सबकी चर्चाओं में जाना मुनासिब नहीं समझता। अध्यक्ष महोदय, आज हम इस बिलको पास करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि हम पन्तजी के फैसले के अनुसार चलेंगे। इसके अलावा मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि हमारी इस सम्बन्ध में बातचीत के शुरूआत में क्षत्रिय महासभा ने कहा था कि सारी की सारी रिट एप्लीकेशन्स वापिस ले ली जावेंगी।

श्री भैरूँसिंह द्वारा बाधा "यह नहीं"

मगर वे नहीं हुईं। शुरू में जब बातचीत हुई उस समय कहा गया था और पन्तजी के सामने भी कहा गया था। आज जब सरकार जिन बातों को आप कबूल करना चाहते हैं, नहीं कर सकती है तो आप यह कह रहे हैं कि हम पन्तजी के एवार्ड को नहीं मान रहे हैं, मैं यह विश्वास के साथ कहूँगा कि हम पन्तजी के एवार्ड का पालन कर रहे हैं, किया है और जो बातें पन्तजी के एवार्ड के विरोध में जाती हैं और आप उनको हमसे करवाना चाहते हैं; हम नहीं कर सकते। हम कभी भी पन्तजी के एवार्ड के विरोध में नहीं गये। इसलिए यह कहना कि हमने पंतजी के एवार्ड को नहीं माना है या उसका पालन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल गलत होगा। मैं यह कहूँगा कि हम पन्तजी के एवार्ड का पालन कर रहे हैं। यह बिल पन्तजी के फैसले के अनुसार ही पेश किया गया और अब नैतिक जिम्मेदारी दूसरे पक्ष पर आ जाती है कि वे पन्तजी के एवार्ड का पालन करें। उधर बैठनेवाले यह कहते हैं कि इसमें फलां-फलां अड़चनें आवेंगी। मैं यह कहूँगा कि वे अड़चनें आती हैं तो आवें और जब अड़चनें आवेंगी तो मैं समझता हूँ कि इतिहास दूसरी तरह का होगा। दरअसल हमने जो एमेन्डमेंट स्वीकार किया है वह पन्तजी के फैसले को मानकर ही किया है और उस ही के अनुसार चले हैं। पन्तजी के एवार्ड के अनुसार जो जो चीजें रह गई थीं उसमें एमेन्डमेंट किया गया है। मैं आशा तो यह करता था कि पन्तजी के फैसले के बाद जो एमेंडमेंट बिल पेश होगा उसमें भाषण और तरह के होंगे। मगर मैं यहाँ दूसरी तरह के ही भाषण सुन रहा हूँ। जब मैंने उन भाषणों को सुना तो इस प्रकार की बातें कहने के लिये मुझे प्रस्तुत होना पड़ रहा है। हम पंडितजी और पंतजी के पास गए और हमने आपसी समझौता किया। जो कुछ किया गया उसमें कांग्रेस पार्टी और क्षत्रिय महासभा ने सोच-समझ कर किया और यह आशा थी कि अब सदन का इस सम्बन्ध में ज्यादा समय नहीं लिया जायगा, केवल मामूली एमेंडमेंट पेश किये जावेंगे क्योंकि मामूली धाराओं पर मतभेद हो सकता है। मगर उसके विपरीत यह कहना कि श्री पंत-एवार्ड की पूर्ति नहीं की गई, उसका पालन नहीं किया गया, मैं समझता हूँ कि यह वाजिब बात नहीं होगी। अभी भाषण हुए, किन्तु वह एक अच्छी चीज नहीं हुई। जिस स्पिरिट से हमने आगे चलने की बात साफ की, जिससे कि अदालतों में न जाना पड़े वह स्पिरिट थी समझौते द्वारा इस समस्या को हल करने की और हमने उसे किया। आज इस बिल के पास

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

होने के बाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के सभी सदस्यों से सूचनार्थ यह कह देना चाहता हूँ कि हम इस पर बहुत जल्दी अमल करेंगे और अमल करना चाहते हैं और हो सकता है कि वह इतना निकट का समय हो जिसका अन्दाजा नहीं लगा पाए हों, जो आपत्तियें आवें हम चाहते हैं कि वे आवें और वह कष्ट का समय हो जिससे कि हमको यह तो मालूम हो जावे कि बिल की क्या शक्ल है और कौन-कौन इसमें साथ दे रहा है। सारा सही नकशा तो हमारे सामने आ जावे। जब यह बिल कर्यान्वित किया जावेगा तो मालूम होगा कि कौन इस पन्तजी के एवार्ड का पालन नहीं कर रहे हैं और किसने इसका पालन किस हद तक किया है ?

एक सदस्य ने यह कहा कि यह जागीरदारी पूंजीपतियों के रास्ते में एक रोड़ा था। मुझे मालूम नहीं कि इसमें कौनसा उनका हित था, जिसमें सामन्तवाद को खत्म करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक प्रजावादी संस्था है और किसानों के हित और अहित की बहुत सी बातें की और यह भी कहा कि कांग्रेस किस हद तक किसानों का हित और अहित सोचती है, इस तरह की चर्चाएँ की। मैं इन चर्चाओं में पड़ना नहीं चाहता लेकिन जिन-जिन क्षेत्रों से वे लोग आये हैं वे भी जानते हैं कि कॉग्रेस ने क्या किया है और उन्होंने क्या किया ? कितने लोग उनकी बातों को पसन्द करते हैं यह वे भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। लेकिन इन चर्चाओं में पड़ना अच्छा नहीं। अच्छा तो यही है कि हम यह मान कर चलें कि आगे का नकशा किस तरह का हो और उसके लिए सदन एक मत हो। जागीरदारी खुद में एन्ड (end) नहीं है। ये लेन्ड रिफोर्म की मंशा है। इसके लिये हमने यह समझौता किया है और इतना समय इस बात को आपस में तय करने में लगाया है। पन्तजी की बातों के अनुसार जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजों में एमेंडमेंट हो सकता था, हमने किया है। आज कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति यह कह सकता है कि इस समझौते से देश का हित होगा। मगर इसके बजाय जो अभी भाषण हुए तो उन भाषणों को सुन कर मुझे कई शंकाएँ हुईं कि इस प्रकार की बातें करने से आगे के वातावरण में कितनी कामयाबी होगी। मैं समझता हूँ कि यह बिल सदन के अन्दर इस बार आया है, इसी पर काफी बहस हो कर समाप्त हो जावे तो अच्छा है। अगर यह बिल कर्यान्वित हो जाए फिर इसके बारे में कुछ अड़चनें पैदा न की जावें और फिर सदन का समय जाया नहीं किया जावे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसमें जागीरदारों और जनता दोनों का हित होगा। ऐसा न हो कि फिर हाई कोर्ट में जाना पड़े और फिर कोई संशोधन करने पड़े। जिस शेप में यह बिल पास हो उसके लिये फिर इस सदन को उस पर विचार करने के लिये समय नहीं लेना पड़े।

इतना ही कह कर मैं एक बात और कहूँगा कि जो भैरूंसिंहजी ने एक बात की ओर इशारा किया है कि खुद काश्त के लिये दरख्वास्त के लिए १९५४ जुलाई से समय होना चाहिये यह हमने नहीं माना। इसमें हमारी कोई नीयत खराब हो, ऐसी बात नहीं है। हम समझते थे कि कमेन्समेंट ओफ दी एक्ट की बात जो है उसमें उसका समावेश हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं उसको इस प्रकार करने के लिए तैयार हूँ कि इस बात को स्पष्ट कर दिया जावे कि जिससे हम ६ महीनों की अवधि करना चाहते हैं। अगर माननीय अध्यक्ष, आप इसकी इजाजत दें तो मैं इसको फिर से नोट करके पढ़ दूं।

एक माननीय सदस्य—On Clause 10.

Page No.102

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—मैं समझता हूँ कि इसको स्वीकार करने के बाद मुझे और कुछ ज्यादा नहीं कहना है। अन्त में मैं यह कहूँगा कि जब बहस होती है तो इस प्रकार का वातावरण दिमाग में बन जाता है, मगर हमें तो यह समझ कर चलना है कि जिस बिल को हमने सदन में पेश किया है उसको दोनों पक्षों ने माना है। विरोधी पक्ष की तरफ से काफी बातें इस पर कही गई मगर मैं तो यह कहूँगा कि हमें तो शांत और अच्छे वातावरण में इस बिल को पास करना है और जो-जो बातें यहां कही गई हैं मैं समझता हूँ कि यहीं तक सीमित रहेगी और इस बिल को कार्यान्वित करने में हम उसे एक टीम स्पिरिट से कार्यान्वित करेंगे।

(करतल ध्वनि)

श्री भैरोंसिंह (वि० नं० १६)— Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to Clause 10.

" A Jagirdar who, on the 1st day of July, 1954, does not hold any Khudkasht or who, on such date, holds Khudkast less in area than the maximum area specified in section 18, may apply to the Collector or to the Commissioner for Khudkast lands upto the 31st day of December, 1954 for allotment of Khudkasht."

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, शब्दों में परिवर्तन हो चुका है तो क्या डेट वाला संशोधन हो रहा है या पूरे के पूरे क्लॉज़ का रिकास्ट किया जा रहा है।

The clause, as amended, has been adopted ?

श्री अध्यक्ष—The spirit is of the date.

डेट के बारे में रिकास्ट (recast) कर लीजिए।

(विराम)

Yes, खण्ड १० जो कि अमेन्डिंग बिल को है उसको डिलीट करके उसके स्थान पर यह धारा जोड़ दी जायः—

"Clause 10 shall be substituted by the following:—

"10, Amendment of sub-section (1) of section 14 of the Principal Act shall be substituted by the following sub-section, namely:—

"A Jagirdar who, on the 1st day of July, 1954, does not hold any Khudkasht or who, on such date, holds Khudkasht less in area than the maximum area specified in section 18, may apply to the Collector or to the Commissioner for Khudkasht lands upto the 31st day of December, 1954 for allotment of Khudkasht."

श्री अध्यक्ष—तो मैं इसका प्रश्न रखूँ ? क्या सदन को यह स्वीकार है ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १० अमेन्डिंग बिल का जो कि मैंने सदन के सामने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड १०, संशोधित रूप से, स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि-सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, १९५४ पारित हो।

(स्वीकृत)

यह विधेयक पारित हुआ।

(राज्य-पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

आप कौनसी डेट चाहते हैं एडजॉर्नमेंट के लिए।
Sine die or should I fix a date.

("१९ जुलाई की तारीख तय हो चुकी है" इस प्रकार की आवाज)

अब मैं १९ जुलाई १९५४ चार बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूँ।

(सदन की बैठक १२.५७ मध्यान्हपूर्व पर १९ जुलाई, १९५४ के ४ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—८ जून, १९५४.

मनफाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

Page No.104

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थित के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशन की सम्बन्धित मन्त्री महोदयों की अनुमति है ।)

प्रश्न

१०७८ (१३२/एल. एल. एम) श्री मुक्तिलाल मोदी एम. एल. ए.,—डिवीजन नम्बर १०८-क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) मई १९५३ से २८ फरवरी, ५४ तक जयपुर जिला बोर्ड में कितने अध्यापक नियुक्त किये गये हैं ?

(ख) इन अध्यापकों में कितने जैनी हैं ?

(ग) अध्यापकों को नियुक्त करने का क्या तरीका बरता गया है ?

उत्तर

(क) ७४.

(ख) ६.

(ग) जितनी भी दरख्वास्तें प्राप्त हुईं उनमें से योग्यता के आधार पर नियुक्तियां की गईं ।